हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

3 अप्रैल, 1978

खंड 1, 1978

अधिकृत विवरण

विषय–सूची

सोमवार 3 अप्रैल, 1978

पृष्ठ

सख्या

तारांकिंत प्रश्न वं उत्तर

(14)1

अतारांकित प्रश्न एव उत्तर (14)

25

घोषणाए

(क) अध्यक्ष महोदय. द्वारा––

ध्यानाकर्षण सूचनाओ के सम्बन्ध मे अपनाई

जाने वाली प्रक्रिया के बारे में

(14) 36

(ख) सचिव द्वारा–

विधान सभा द्वारा पारित विधेयकों सम्बन्धी

(14) 36

शोक प्रस्ताव
(14)41

दि पंजाब बोर्सटल (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1978
(14) 44

दि पंजाब एग्रक्लचरल प्रोड्यूस मार्किट्स

(हरियाणा अमेंडमैंट) बिल, 1978
(14) 47

बैठक का समय बढाना
(14) 85

दि पंजाब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्किट्स

(हरियाणा अमेंडमैंट) बिल, 1978 (पुनरारम्भ)
(14) 86–91

हरियाणा विधान सभा

सोमवार 3 अप्रैल, 1978

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–– 1, चण्डीगढ में 9. 30 बजे हुई ।

अध्यक्ष (ब्रिगेडियर रण सिंह) ने अध्यक्षता की

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्ष : साहेबान अब सवाल होंगे । स्वामी आदित्य वेश ।

श्री मेहर सिंह राठी : उनकी तरफ से तारांकित प्रश्न संख्या 295

एक आवाज : क्या इनके पास अथारिटी है?

श्री अध्यक्ष : . हां उनकी ओर से अथारिटी है ।

Flood Relief Fund

***295. Swami Aditya Vesh (Chaudhri Mehar Singh Rathi on his behalf) : Will** the Minister for Revenue be pleased **to** state -

(a) the amount received from various sources for the flood relief fund in cash or in kind from within the State upto 31-12-77;

(b) the amount received for the aforesaid fund

from other States upto 31-12-1977;

(c) the total amount received from the Centre upto 31-12-77;

(d) the constituency-wise amount distributed in the shape of cash or kind in flood affected areas of the State upto 31-12-77 out of the total amount received ;

(e) the constituency-wise quantity of fodder, food and clothes distributed upto 31-12-77; and

(f) the remaining amount, if any, in the said fund as on 1-1-1978 ?

Revenue Minister ((Shri Preet Singh):

(a) In cash :—Rs. 92,88,588.20.

In kind :-1. Quilts 6452 (2) Blankets 887 (3) Shawls 500 (4) Khes 95 (5) Fodder 14107 Qtls. Besides consumable articles such as achhar etc. ere also received. It is not possible to supply its details as the time and labour involved in working out the same will not be commensurate with any possible benefit to be obtained.

(b) Rs. 7,11,539.56.

(c) Rs. 1,50,000 from Prime Minister's Relief Fund and Rs. 20,000 from Indian Peoples' Famine Trust Fund, New Delhi.

(d) No amount was distributed constituency-wise, but amounts out of this fund were allotted district-wise to afford relief to the Food affected people, a statement

(Annexure 'A') giving the details of which is laid on the table of the House.

(e) A statement (Annexure B'**)** is laid on the table of the House.

(f) Rs. 62,77,646.52.

ANNEXURE 'A'

Statement showing the details of amount allotted to the districts out of the Chief Minister's Flood Relief Fund, for relief measures.

Sr. No.	District	Amount allotted (Rs. in lakhs)
1.	Ambala	1.00
2.	Bhiwani	1.00
3	Gurgaon	16.05
4.	Hissar	2.50
5.	Jind	2.00
6.	Karnal	1.00
7.	Kurukshetra	1.25
8.	Mohindergarh	7-00
9.	Rohtak	19.60
10.	Sirsa	1.00

11.	Sonepat	3.75
	Total :	56.15

ANNEXURE 'B'

Statement showing constituency-wise details of Distribution of Fodder Food and Clothes

District	Constituency		Fodder	Food	Clothes
1. Kurukshetra	(i)	Kaithal	—	Atta 42.50 Qtls. Dal 10.50 Qtls.	-
		Pai	—	Atta 31.20 Qtls. Dal 1.13 Qtls. Wheat 6.45 Qtls. Rice 80 Kgs. Gram 1.33 Qtls.	-
	)	Pundri	—	Atta 2.50 Qtls. Wheat 4.00 Qtls _Dal 60 Kgs.	-
	)	Guhla	—	Atta 10.88 Qtls. Dal 2.60 Qtls.	—
2. Jind	Safidon		2521	Atta 411 Qtls. Dal one	-

	Qtls.	Qtl.	
Kalayat	—	Atta 198 Qtls. Dal 50 Qtls. Milk Powder 8 bags Rice 8 bags Cooked food for 3889 persons	Nos. 600
Narwana	—	Atta 70 Qtls. Dal 16 Qtls. Rice 4 bags Milk Powder 4 bags Cooked food for 1914 persons	Nos. 300
Uchana	—	Atta 21 Qtls. Wheat 5 Qtls. Cooked food for 696 persons	Nos. 100
Jind	—	—	-
Rajaund	—	Atta 226 Qtls. Dal 1 Qtl.	- -

	) Jullana	—	Atta 55 Qtls.	—
3. Sonepat	Rohat	130 Qtls.	Atta 31 Qtls. Milk powder 10 Qtls.	Blankets 300 Clothes 194 Metres lady dresses 10
	Rai	145 Qtls.	—	Blankets 100
	Sonepat	140 Qtls.	Milk Powder 55 Kgs.	Blankets 55 Gents and Baby dresses 18
	Kailana	138 Qtls.	Milk Powder 50 kg.	Blankets 55
	Gohana	182 Qtls.	Atta 14 Qtls.	Blankets 100
	(vi) Baroda	200 Qtls.	Atta 24.55 ()tic Milk Powder 5 Qtls. Rice 5 Qtls.	Blankets 100-
4. Gurgaon	(i) Gurgaon	—	Food 1065 Qtls. Blankets	200 Shawls 100 Quilts 618
	(ii) Pataudi	—	Food 792	Blankets 300 Shawls 50

		Qtls.	Quilts 705
(iii) Sohna	—	—	-
(iv). Nuh	—	Food 51.44 Qtls.	Blankets 30 Shawls 225 Quilts 4545 Old clothes 1500 Sweater 175 Jerseys 2
(v) Tauru	—	Food 3375 Qtls.	Shawls 100 Quilts 1500 Old Clotes 1000 Sweater 90 Jersays 13
(vi) Hathin	—	Food 1708 Qtls.	Shawls 15 Quilts 2174 Sweaters 56
(vii) Ferozepur Jhirka	—	Food 2999 Qtls.	Blankets 130 Shawls 150 Quilts 3982
(viii) Ballabgarh	—	Food 225 Qtls.	-
(ix) Mevla Maharajpur	—	Food 5 Qtls.	—
(x) Faridabad	—	—	-

	(xi) Palwal	—	Food 18 Qtls.	Shawls 16 Quilts 32
	(xii) Hassanpur	—	Food 88 Qtls.	Blankets 61 Shawls 8 Quilts 113
5. Bhiwani	Loharu	—	Atta 210 Qtls. Rice 2.70 Qtls. Milk Powder 75 kgs.	
	Bhiwani	—	—	-
	Tosham	—	—	-
	Bawani-khera	—	—	-
	Dadri	—	Atta 56 Qtls. Milk Powder 25 kgs.	
	Badhra	—	Milk Powder 75 kgs.	-
	) Mundhal	—	Atta 9 Qtls. Milk Powder 25 kg.	-
6. Rohtak	Hassangarh	—	Food 550 Qtls.	Clothes 3046

	Kaloi		—	495 Qtls.	2802
	)	Kalanaur	—	293 Qtls.	1489
		Meham	—	38 Qtls.	200
	Jhajjar		—	1923 Qtls.	3376
	Beri		—	916 Qtls.	625
	)	Sahlawas	—	1049 Qtls.	750
	(viii) garh	Bahadur-	—	1919 Qtls.	3803
	Badli		—	2627 Qtls.	3961
7. Narnaul	)	Narnaul	134 Qtls.	Atta 67.70 Qtls. Dal 6.50 Qtls. Bread 800 Pieces	Clothes for 25 persons Quilt for 129 persons
		Atteli	221 Qtls.	Atta 94 Qtls.	Clothes for 30 persons
				Dal 16 Qtls. Bread 1200	Quilts for 42 persons blankets 61
	(iii)	Mohinder- garh	92 Qtls.	Atta 31 Qtls. Dal 8 Qtls.	Quilts 270
	)	Jatusana	6020 Qtls.	Atta 1440 Qtls. Dal 18	Clothes for 1555 persons

			Qtls.	Quilts for 28[cut off] persons Blankets 61
)	Rewari	8792 Qtls.	Atta 1147 Qtls.	Clothes for 1203 persons Quilts 111 Blankets 47
)	Bawal	1639 Qtls.	Atta 409 Qtls.	Quilts for 33[cut off] persons Blankets for [cut off] persons
8. Hissar	—	—	—	-
9. Sirsa	—	—	—	-
10. Karnal	—	—	—	-
11. Ambala	—	—	—	—

Clerical Staff

***317. Shri Shamsher Singh :** Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether the seniority of clerical staff working on the establishment side of the Revenue Department of District Jind has been finally determined; if not, the reasons thereof; and

(b) the criteria adopted for the promotion to higher posts ?

Revenue Minister (Shri Preet Singh):

(a) The seniority of permanent Clerks was finalised on 24-10-71. The seniority of temporary Clerks could not be finalised so far as the information relating to their service was to be obtained from District Sangrur and the Consolidation Department, Jullundur. Having collected the requisite information, tentative seniority list of temporary Clerks was circulated amongst them, inviting their objections to it. While the objections were considered, clarification on some points was sought from the Commissioner, Hissar.

(b) Promotions to the post of Assistants were made from Clerks in accordance with the provisions of District Subordinate Service Rules, 1942, and the criteria of selection on merit was followed strictly after 13-11-1972.

श्री शमशेर सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताएंगे कि जो टैम्पोरेरी क्लर्कस की बात बताई है उनकी गिनती कितनी है और वे कितने साल. से लगे हुए है?

Shri Preet Singh : It is a separate question and notice is required.

Shri Shamsher Singh : How is it a separate question, Sid ?

श्री अध्यक्ष : यह आपको फिर बता देंगे ।

Grants Given to the Universities

***314. Shri Devender Sharma :** Will the Minister for Education be pleased to state the University wise total amount

of grants given to the Hissar, Kurukshetra and Rohtak Universities of the State during the years 1975-76, 1976-77 and 1977-78 separately ?

शिक्षा मन्त्री (कर्नल राव राम सिंह) : सूचना सभा पटल पर प्रस्तुत हैं

विश्वविद्यालयों को दिए गए सहायतानुदान

(रुपये लाखों में)

विश्वविद्यालय का नाम	1975– 76	1976– 77	1977– 78
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र	139.10	110.30	101.76
महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक	--	150.00	115.00
हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार,	293.97	330.43	341.92

श्री देवेन्द्र शर्मा : क्या मन्त्री महोदय के नोटिस में यह बात है कि रोहतक और हिसार यूनिवर्सिटियों को यू 0 जी0सी 0 ग्रान्ट के अलावा सेंटर से कुछ और भी पैसा मिलता है?

कर्नल राम राव सिंह : यह अलग सवाल है । अगर इसके बारे में अलग से पूछा जाएगा तो बता दिया जाएगा ।

श्री देवेन्द्र शर्मा : मेरे पूछने का मतलब यह था कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को 197 5– 76 मे 139. 10 लाख, 1 976–

77 में 110.30 लाख और 1 97 7–7 8 में 101. 76 लाख ग्रान्ट दी गई और इसी तरह से हिसार यूनिर्विसटी को 197 5– 76 में 293. 97 लाख, 197 6– 77 में 330.43 लाख और 197 7– 78 में 341. 92 लाख ग्रान्ट दी गई । मेरे पूछने का मतलब यह है कि हिसार और रोहतक की यूनिवर्सिटियों को तो यू 0 जी0 सी0 ग्रान्ट के अलावा भी और ग्रान्ट 'मिलती है लेकिन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी को नहीं मिलती । यह पक्षपात क्यों है । जबकि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुछ एक कालेजों को छोड़ कर बाकी हरियाणा के सभी कालेजों को एफिलिएट करती है । वहां पर रैजीडैंशियल एकोमोडेशन भी पूरी नहीं है और बिल्डिग भी पूरी नहीं हैं ।

(इस प्रश्न का उत्तर नही दिया गया)

Accommodation for Government Servants

***409. Shri Mool Chand Jain :** Will the Chief Minister be pleased to state whether the Government has received complaints that due to lack of housing accommodation the House owners are charging exorbitant rents from Government Servants at their places of posting at District and Tehsil headquarters for their residence; if so, the steps taken or proposed to be taken by the Government to relieve them of this difficulty ?

Housing Minister (Smt. Sushma Swaraj) :

A statement is laid on the table of the House.

STATEMENT

A few representations have been received by the Housing Department wherein some of the associations of the Government employees have demanded that the housing accommodation may be provided by the Government to them at their places of postings at the district and tehsil headquarters. Funds for construction of Government houses for Government servants are allocated by the Housing Department to other departments in the State. Notwithstanding constraint of resources, a sum of Rs. 193.49 lakhs has been allocated during the period from 1974-75 to 1977-78 for this purpose to different departments. Besides, the Govt. employees are irte-alia eigible to purchase houses on hire purchase basis in the colonies constructed by the Haryana Housing Board. The Government employees are also advanced loans for purchase of land and/or construction of houses by the State Government. Such Government employees who are not provided with Government accommodation are paid admissible house rent allowance.

श्री मूल चन्द जैन : मन्त्री महोदय ने जो स्टेटमैंट मेज पर रखी है उसमें 197 4–7 5 से लेकर 1977– 78 तक इस काम के लिये 193.49 लाख रुपये रखा गया है । मैं पूछना चाहता हूं कि इस राशि में से 197 7–78 के लिये कितनी राशि रखी गई है और दूसरे इस साल के बजट में यह राशि कितनी रखी गई है?

श्रीमती सुषमा स्वराज : 197 7– 78 के 'लिये रुपया 69. 25 लाख था और 1978–7 9 के लिये 61 लाख रुपया रखा गया है ।

श्री मूल चन्द जैन : यह पैसा सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिये ही रखा गया है या दूसरे लोगों के लिये भी हे?

श्रीमती सुषमा स्वराज : यह पैसा केवल सरकारीं कर्मचारियो के लिये है । यह स्कीम 1 97 4– 75 मे रखी गई थी । इसके तहत हर विभाग से डिमांड मंगवाई जाती है कि गवर्नमैंट एम्पलाईज के 'लिये हाउस के लिये कितना कितना पैसा चाहिये । विभागों की मांग आने पर उसको देखा जाता है और फिर बजट में प्रोवीजन किया जाता है । यह स्कीम सरकारी कर्मचारियों के लिये आवास की सुविधा के लिये है ।

ठाकुर बीर सिंह : क्या मन्त्री महोदया बताएंगी कि क्या यह राशि जिलावार बांटी गई है और अगर बांटी गई है तो कितनी–कितनी राशि किस–किस किले को दी गई है?

श्रीमती सुषमा स्वराज : यह राशि जिलावार नही बांटी जाती बल्कि डिपार्टमैंट वाइज बांटी जाती है । अगर माननीय सदस्य. डिपार्टमैंट वाइज. पूछना चाहते है, तो मैं बता सकती हूं ।

चौधरी गंगा राम : क्या मन्त्री महोदया बताएंगी कि हरियाणा में कौन से ऐसे किले और तहसीलें है जहां ऐसे मकान बिल्कुल नहीं हैं?

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैंने पहले बताया कि किले और तहसील का ब्योरा नही है । यह तो डिपार्टमैंट वाइज पैसे दिये जाते हैं जहां उनकी मर्जी होतीं है मकान बना लेते हैं ।

चौधरी बीरेन्द्र सिंह . क्या मन्त्री महोदय बताएंगी कि जो 'विवरण उनके पास विभागों से कीया है उसमे क्लास तीन और चार के लिये कितना और गजेटिड अफसरों के 'लिये कितना पैसा रखा गया है?

श्रीमती सुषमा स्वराज : यह पैसा श्रेणी के हिसाब से नही बांटा जाता है । लेकिन ज्यादातर जो डिमांड आती' हैं वह क्लास तीन और चार के लिये आती है ।

चौधरी हरस्वरूप बूरा : क्या मन्त्री महोदया बताएंगी कि जिस डिपार्टमैंट के पास आलरेडी मकान हैं उनकी. बजाए उन डिपार्टमैंटस को प्रैफरैसं दिया जाएगा जिनके पास नही हैं?

श्रीमती सुषमा स्वराज : यह तो हम पहले ही कर रहे हैं । जैसे अब हमारे पास पी0डबल्यू0डी0 की डिमांड आई हमने उनको बिल्कुल पैसा नहीं दिया लेकिन पब्लिक हैल्थ वालों की डिमांड हमें जायज लगी उनको हमने पैसा दिया है ।

चौधरी संत कवर. क्या मन्त्री महोदया बताएंगी कि सरकारी कर्मचारियों को छोड़ कर बाकी आम जनता के लिये सरकार ने कितने मकान बनाए हें?

(इस प्रश्न का उत्तर नही दिया गया)

श्री मूल चन्द जैन : मन्त्री महोदया ने बताया था कि 197 7– 78 में 69. 25 लाख रुपये रखा गया था और 197 8– 79

में 61 लाख रुपये तो क्या हमारी सरकार यह महसूस कर रही है कि सरकारी कर्मचारियों को मकानों की जरूरत कम हो गई है?

श्रीमती सुषमा स्वराज : ऐसी बात नही है । मैंने आपको पहले भी बताया कि डिमांड को देखतेहुए बजट में प्रोवीजन किया जाता है । इस साल 183 लाख की डिमांड थी और हमने 61 लाख रखा है । पिछले साल इससे ज्यादा डिमांड थी इसलिये कुछ ज्यादा रखा गया था ।

श्री मूल चन्द जैन : जो अलग अलग महकमों की बात आती है यह तो एक अलग प्रश्न है लेकिन जैसे करनाल में 50 या 100 मकान बने हैं और उन्हें डी0 सी0 अलाट करता है तो क्या इस तरह की तजवीज और जगह भी बनाने की है?

श्रीमती सुषमा स्वराज : इस तरह की कोई प्रोवीजन नहीं है । इसके अलावा केवल हरियाणा हाउसिंग बोर्ड मकान बनता है । उसमें गवर्नमैंट एम्पलाईज के लिये 10 प्रतिशत रिजर्वेशन है । जब भी किसी एम्पलाई ने हाउसिंग बोर्ड में मकान के लिये दर्खास्त दी है तो किसी को मना नहीं किया गया है ।

श्री मूल चन्द जैन : जैसे मैंने करनाल के मकानों का जिक्र किया यह स्कीम कई सालों से जारी थी । क्या मंत्री महोदय। बताने की कृपा करेगी कि यह स्कीम बन्द क्यों की गई?

श्रीमती सुषमा स्वराज : जैसे मैंने बताया कि हाउसिंग प्लान के तहत चार स्कीमज हैं एक तो यह कि विभिन्न विभागों से

डिमांड मांग ली जाती है. दूसरी हरियाणा हाउसिंग बोर्ड मकान बनाता है, तीसरी गवर्नमैंट एम्पलाई को स्वय मकान बनाने के लिये लोन दिया जाता है और चौथी जो लोग ऐग्जोरबिटैट रैट देते हैं उनको हाउस रैंट दिया जाता है । जिस बात का जैन साहब 'जिक्र कर रहे हैं हो सकता है वह स्कीम जनरल. एडमिनिस्ट्रेशन के अन्डर हो ।

श्री मूल चन्द जैन : स्पीकर साहब, पानीपत में थर्मल. प्लांट बन रहा है और उस थर्मल प्लांट पर जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन के लिए हाउसिंग. अकोमोडेशन की एक गम्भीर समस्या बन गई है । क्या मन्त्री महोदया उनके लिए हाउसिज बनवाने का प्रबन्ध करेगी?

श्रीमती सुषमा स्वराज : इडस्ट्रियल टाउंज को पहले ही प्रैफैंस दे रहे हैं । अभी वहां पर वीवर कालोनी का उद्घाटन कर रहे हैं और पानीपत में और दूसरी कालोनीज में हाउसिज बनानेकी सुविधा दे रहेहैं ।

चौधरी लाल सिंह : क्या मन्त्री महोदया बतायेंगी कि जो गवर्नमैंट मुलाजिम चण्डीगढ मे काम कर रहे हैं, उन के लिए भी कोई सुविधा है?

(इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया)

चौधरी पीर चन्द : स्पीकर साहब, हिसार में बहुत मुलाजिम हो गए हैं । क्या उन के लिए मकान बनाने मे प्राथमिकता दी जाएगी?

श्रीमती सुषमा स्वराज : डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर पर हरियाणा हाउसिंग बोर्ड अपनी कालोनीज बना रहा है ।

श्री मूल चन्द जैन : स्पीकर साहब, पलवल के नजदीक ड्रेन बन रही है और वहां पर 5 एक्स0ई0एन लगे हुए हैं । इसके इलावा वहां पर गन्ना मिल भी बन रही है और इसका स्टाफ भी बहुत ज्यादा है । क्या इस क्षेत्र मे भी मकान बनाने की कोई स्कीम है?

(इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया)

चौधरी हरी चन्द हुड्डा : रोहतक में जो हाउसिंग बोर्ड के मकान बने हुए हैं जिनका मन्त्री महोदय ने उद्घाटन भी किया है, उन के बारे में वहां के लोगों में बड़ी बेचौनी है । क्या मन्त्री महोदया बतायेंगी कि उन क्वाटरों को लेने में लोगों की जो बेचौनी है, उसका क्या कारण है?

श्रीमती सुषमा स्वराज : आज तक मेरे नोटिस में ऐसी बेचौनी नहीं लाई गई और अगर मैम्बर साहिबान लायेंगे तो इसके कारणों को भी देख लेंगे (विघ्न)

चौधरी हरी चन्द हुड्डा : एक बार तो इनके नोटिस मे ला दिया है और अगर दोबारा चाहेंगे तो दोबारा ला देंगे ।

चौधरी गंगा राम : गोहाना में एक नया ड्रेनेज डिवीजन खुला है लेकिन स्टाफ को रहने के लिए कोई मकान नहीं हैं । क्या मन्त्री महोदया वहां कोई हाउसिंग कालोनी बनाने पर विचार करेगी?

श्रीमती सुषमा स्वराज : मैंने पहले बताया कि तमाम राज्य में जहां पर काम चलते रहेंगे वहां हाउसिंग प्रौब्लम आयेगी और जहां पर काम होते हैं वहां हर जगह इस तरह की कालोनीज स्थापित नही कर सकते । इसके लिए डिपार्टमैंट्स को पैसा दिया जाता है और डिपार्टमैंट्स अपने हिसाब के मुताबिक, जहां—जहां जरूरत होती है वहां अपना इन्तजाम कर लेते हैं ।

Works for Construction of Platforms and Roads

***494. Shri Kanhya Lal Poswal :** Will the Minister for Irrigation & Power be pleased to state—

(a) the reasons for suspending the construction of platforms & roads etc. by the Agricultural Marketing Board throughout the Haryana State ;

(b) the date by which the works already suspended by the Agricultural Marketing Board will be got completed ;

(c) whether the Contractors adopted the

agitational approach and whether any assurance was given by the Chairman, Haryana State Agricultural Marketing Board to the Contractors for making their payments ;

(d) the number of works stand completed in the Haryana Agricultural Marketing Board and whether the final payments have not yet been made to the Contractors in this respect ;

(e) the number of employees whose services were terminated from the month of May 1977 to-date ;

(f) whether the payments of work charged employees are pending with the Haryana Agricultural Marketing Board; if so, since when; and

(g) the names of the officers/officials responsible for this delay in making the payment togetherwith the action taken against them ?

Mr. Speaker : Extension has been asked for in respect of this question which has been granted. The communication received from the Minister concerned in this connection is as under :—

वीरेन्द्र सिंह मन्त्री

सिंचाई एवं विद्युत विभाग, हरियाणा,

चण्डीगढ ।

अ0 स0 पलाक 1940 ।। (5
)–78 / 5354

दिनांक 31–3– 1978.

विषय – तारांकित विधान सभा प्रश्न नं. 494 के उत्तर देने की अवधि बढाने के सम्बन्ध में ।

प्रिय

कृपया विधान सभा प्रश्न नं. 494, जोकि दिनांक 3– 4– 1978 की सूचि में श्री वीरेन्द्र सिंह, आई0पी0एम (कृषि मन्त्री) के नाम है की ओर ध्यान दें ।

इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये जिस रिकार्ड की आवश्यक्ता है वह इस समय उपलब्ध नहीं है क्योंकि चौकसी विभाग इस सारे मामले की जांच कर रहा है और इसके अतिरिक्त कुछ ठेकेदारों ने 80 सी0पी 0सी0 के नोटिस भी दे रखे हैं जिनके उत्तर दिये जा रहे हैं ।

उपरोक्त परिस्थितियों में इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये समय बढ़ा दिया जाये और ज्यों ही यह रिकार्ड चौकसी विभाग से उपलब्ध होगा इस प्रश्न का उत्तर दे दिया जायेगा ।

आदर सहित,

आपका,

हस्ता/–

(वीरेन्द्र

सिंह)

श्री रण सिंह बिगेडीयर

स्पीकर, हरियाणा विधान सभा,

चण्डीगढ ।

Quota fixed for admission in the Regional Engineering College Kurukshetra

***495. Chaudhri Shiv Ram Verma :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state-

(a) whether the 50 % quota is fixed for the students, who are domicile of Haryana, for admission in the Regional Engineering Colleg e Kurukshetra ;

(b) if so, whether the admission was given to the students of Haryana according to the fixed quot a during the academic years of 1972 to 1977; and

(c) if the admission was not given according to the fixed quota, the reasons therefor ?

Irrigation & Power Minister (Shri Verendar Singh) :

(a) No. From 1972 to 1975, 50 % quota was fixed for the students who were of Haryana domicile. But from 1976

onward 50

seats were reserved for students qualifying from educational institutions located in Haryana, irrespective of domicile.

(b) Admission to the Regional Engineering College, Kurukshetra was given to students of Haryana in accordance with the criteria governing quotas fixed during 1972 to 1977.

(c) Does not arise.

चौधरी शिव राम वर्मा : स्पीकर साहब, मन्त्री महोदय ने अपने जवाब में बताया कि हरियाणा डोमिसाइल स्टूडैट्सं के लिए कोई कोटा फिक्स नही है । इन्होंने हरियाणा डोमिसाइल और नान–डोमिसाइल में कोई फर्क ही नहीं रखा, क्या मन्त्री महोदय बतायेगे कि इसका क्या कारण है?

श्री वीरेन्द्र सिंह : वैसे तो यह फैसला जो बदला गया है, यह पिछली सरकार के दिनों में बदला गया था । लेकिन जो अब नई पालिसी है उसके अनुसार हरियाणा में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, रीजनल इंजीनियरिंग कालेज में, उनको दाखिला दिया जाए यह फैसला गवर्नमैंट आफ इ डिया के कहने से किया गया है ।

चौधरी हरस्वरूप बूरा : पिछली सरकार का जो फैसला है, क्या उसको सरकार रि–कंसीडर करने जा रही हे?

श्री वीरेन्द्र सिंह : नहीं यह फैसला ठीक मालूम देता है ।

***499. Chaudhri Peer Chand :** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether it is a fact that on 28-2-1973, on the occasion of the inauguration of fly over at Hissar by the late Governor, Shri B.N. Charkaravarty, some officers of the Flying Club, Hissar, were killed in a plane crash while showering flowers on him;

(b) if so, the particulars of the deceased officers togetherwith the amount of compensation, if any paid to the dependents of these officers ;

(c) whether any enquiry was ordered about this plane crash; and

(d) if so, the details of the report and recommendations made by the Enquiry Officer togetherwith the action taken by the Government thereon ?

Education Minister (Col. Rao Ram Singh) : (a) No

चौधरी पीर चन्द : स्पीकर साहब, अगर मन्त्री महोदय हिन्दी में जवाब पढ़ें तो अच्छा है, हमारी समझ में आ जाएगा ।

कर्नल राव राम सिंह : मैं कोशिश करता हूं और इसका ट्रांसलेशन करके बता देता हू ।

(ए) नही । एक पुष्पक हवाई जहाज. जो हइहसार एविएशन क्लब. का था, 28—2— 1973 को, इनआउग्रेशन सैरेमनी'

हे 1ने से पहले. गिर गया । पायलट इन्स्ट्रक्टर इन्चार्ज, चीफ इजीनियर क्लब. की इस एक्सींडैट में डैथ हो गई ।

(बी) वे आफिसर जिन की डैथ हुई वे हैं :–

(1) श्री जे 0सी 0 कक्कड़, चीफ इंजीनियर ।

(2) कैप्टन बलजीत सिंह, पायलट इन्स्ट्रक्टर इन्चार्ज ।

इन दोनों को पांच–पांच हजार रुपया, फी फैमिंत्री एक्स–ग्रेशिया ग्रांट दी गई ।

(सी) हां ।

(डी) उन्होंने जो उड़ान की, इसका क्या पर्पज. था, जो इन्क्वायरी रिपोर्ट आई है उस में नहीं निकल सका । लेकिन यह उड़ान आउथोराइज्ड नही थी । यानी अन–आउथोराइज्ड थी । इसी वजह से इन्क्वायरी आफिसर ने कोई रिकमैंडेशन नहीं की । तो भी सैन्ट्रल एविएशन विंग रने इझटूक्शन्ज जारी कर दी हैं कि आगे के लिए कि यह हवाई जहाज लो–फ्लाईंग नहीं कर सकता और इंडिया एयरक्रापट मैनुअल इन्स्ट्रक्शन. पर सही तौर पर अमल किया जाए ।

चौधरी पीर चन्द : स्पीकर साहब उन की जाने गई हैं, इसको देखते हुए गया । यह पांच–पांच हजार रुपया जो उनके परिवारों को दिया गया है, कम नही है? उनको उड़ान भरने के

लिए क्या सरकार ने हिदायत नही दी थी? मैं समझता हूं कि उनको सरकार ने इजाजत दी थी, अगर दी थी तो क्या सरकार इसकी दोबारा इन्यवायरी करवायेगी?

कर्नल राव राम सिंह : स्पीकर साहब, यह वाक्या 28–2–73 का हैं और मैं अपने दोस्त से सहमत हूं क्योंकि इतने क्वालिफाइड आदमियों कीं जब डैथ हो जाती. है तो 5 हजार तो क्या 50 हजार भी कम होता है । आदमी' तो चला ही जाता है । लेकिन जो रूल्ज एंड रैगुलेशन्ज हैं उन्ही के मुताबिक पांच–पांच हजार रुपया दिया गया होगा । जहां तक अन–आउथोराइज्ड उड़ान का ताल्लुक है, यह मसला 28–2–73 का है और फलाई ओवर के लिए गवर्नर साहब और मुख्य मन्त्री भी गये थे । जहां तक फलाइंग प्रोसीजर का ताल्लुक है, मेरा यह तजर्बा है और मुझे यकीन नहीं आता कि एक पायलैट इन्स्ट्रक्टर की इतनी हिम्मत हो जाएगी कि जहां गवर्नर और चीफ मिनिस्टर जा रहे हों, वगैर इजाजत से उड़ान करे, यह मेरा जाती विचार है । उसको वर्बल इन्स्ट्रक्शन दी गई थी, कागजात मे कोई इन्स्ट्रक्शन नहीं थी । जो गवाही इन्क्वायरी आफिसर के सामने पेश की गई उसी के अनुसार रिपोर्ट दी है और अपने नतीजे पर पहुंचे ।

श्री बलदेव तायल : मन्त्री महोदय ने कहा है कि उनकी राय के अनुसार बिना इन्स्ट्रक्शन से किती भी पायलैट या चीफ इंजीनियर की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि उड़ान करे । इस

उड़ान मे उनकी मौत हो गई । क्या मन्त्री महोदय इस केस की दोबारा इन्क्वायरी करने का आर्डर करने की कृपा करेंगे?

कर्नल राव राम सिंह : अगर आपने मांग की तो जरूर मामले पर गौर किय । जायेगा ।

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, दो महानुभावों की डैथ हो गई । उनको फलाई करने के लिए डी 0पी0 ने आर्डर दिए और दोबारा फलाई करके फूल बरसाये । उनकी डैथ हो जाने से गवर्नमैट ने दोनों परिवारों को पांच–पांच हजार रुपया दिया जो कि न के बराबर है । मै मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार इस मामले पर पुनर्विचार करेगी और उनको ज्यादा से ज्यादा सहायता देने की कृपा करेगी?

Mr. Speaker : I think, it is a marvellous question.

Col. Rao Ram Singh : If this is the wish of the House, the Civil Aviation Minister will definitely take up the question.

श्री फतेह सिंह विज : जैसा कि मन्त्री महोदय ने बताया कि उद्घाटन से पहले एक्सीडैंट हो गया. । क्या. मन्त्री महोदय बतायेंगे कि उद्घाटन. से कितनी देर पहले एक्सीडैंट हुआ हे?

कर्नल राम राव सिंह : मै डिटेल आफ इन्क्वायरी अपने साथ नहीं लाया । अगर आप जानना चाहते हैं तो दफतर में आ जाए । हम इन्क्वायरी रिपोर्ट बता देंगे ।

श्री अध्यक्ष : इन्होंने बता दिया है कि गौर कर रहे हैं ।

श्री बलदेव तायल : क्या मन्त्री महोदय को यह ज्ञात है कि फ्लावर ड्रौपिंग के लिए हवाई जहाज का इस्तेमाल किया जाता है और उस दिन भी गवर्नर महोदय की आमद पर पर फलावर ड्रौपिंग का प्रोग्राम था । कुछ अर्सा पहले जबकि वह फंक्शन होना था, फ्लावर ड्रोपिंग की जब रिहर्सल हुई तो उसके अन्दर यह पुष्पक विमान क्रैश हुआ था । अध्यक्ष महोदय, अभी मन्त्री महोदय ने बताया कि उनका अपना मत है कि यह इंक्वायरी ठीक रूप से नहीं हुई । इसलिए मै यह जानना चाहूंगा कि क्या मन्त्री महोदय अपने आप ही दुबारा इंक्वायरी करवायेंगे?

श्री अध्यक्ष : उन्होंने मान तो लिया है ।

श्री बलदेव तायल : उन्होंने नहीं माना जी ।

श्री अध्यक्ष : बाद में कहा है ।

कर्नल राव राम सिंह : स्पीकर साहब, मै अपनी बात जरा साफ कर देना चाहता हूं । मेरे दोस्त तायल साहब ने अभी फरमाया कि मैने यह कहा है कि इंक्वायरी गलत हुई है । मैंने ये शब्द कभी इस्तेमाल नहीं किये कि इंक्वायरी गलत हुई है । मैंने सिर्फ यह विचार जाहिर किया था कि मेरी नालेज के मुताबिक फ्लाइंग प्रोसीजर के अनुसार एक पाईलट की इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि यह वगैर वर्बल या रिटन इस्ट्रक्शंज के उड़ान भरे ।

जहां तक इंक्वायरी की बात है, चूंकि यह हाउस की मांग थी इसलिए पैंने कहा कि इस पर फिर गौर किया जाएगा । (विध्न) इसमें दो मसले हैं एक री– इंक्वायरी का और एक एन्हांसमैटं आफ ऐक्स–ग्रेसिया पेमैंट का ।

Both these questions will be examined.

चौधरी भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, इस हादसे में दो आदमियों की मौत हुई है । एक चीफ इंजीनियर की और एक कैप्टन बलजीत सिंह की । चीफ इंजीनियर के संबंधियों को तो बीमा वालों ने ऐसा दे दिया लेकिन कैप्टन बलजीत सिंह के परिवार को उसका पैसा नहीं मिला । क्या सरकार उस पैसे को दिलवाने की कृपा करेगी?

कर्नल राव राम सिंह : स्पीकर साहब, इन दोनों साहबान का पच्चीस–पच्चीस हजार का इंश्योरैन्स था लेकिन इंश्योरैन्स कम्पनी ने इसलिए पैसा देने से इंकार कर दिपा क्योकि फलाईट अनअयोराइज्ड थी । (विध्न) उसका कोई रिकार्ड नही था । जहां अरप्रयोराइज्ड फ्लाईट होती है वहां अगर ऐक्सिडैंट हो जाए तो इंश्योरैन्स कम्पनी पैसा देने से इंकार कर देती है ।

चौधरी भजन लाल : डी0सी0 के आर्डर थे ।

श्री अध्यक्ष : उन्होंने कहा कि रि–इंक्वायरी होगी और अगर अनअथोराइज्ड फ्लाईट वाली बात गलत साबित होगी तो उनको पैसा मिल जाएगा ।

चौधरी पीर चन्द : क्या मन्त्री जी बताएंगे कि आगे के लिए सरकार इस तरह की हवाई जहाज की उड़ान पर पाबन्दी लगाएगी?

कर्नल राव राम सिंह : यह फलाईग –क्लब का एयर क्राफ्ट है । इसे यदि आप भी पैसा देकर फूल डलवाने के लिए ले जान! चाहे तो ले जा सकते हैं । इसलिए इसमें कोई आपत्ति की बात नही है ।

श्री बलदेव तायल : अध्यक्श महोदय, फ्लावर ड्रौपिंग, अकसर राज्य. के जो माननीय अथिति होते हैं या बड़े बड़े अधिकारी होते हैं जैसे मुख्य. मन्त्री, राज्यपाल और मन्त्रीगण आदि उन पर की– जाती है । मन्त्री महोदय को यह लात होगा कि फ्लावर ड्रौपिंग करते वक्त हवाई जाहज को काफी नीचे उड़ान भरनी पड़ती है और नीची उड़ान भरने के अन्दर खासा खतरा पैदा होता है । इसलिए मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि केवल प्रशंसा हासिल करने के लिए इस तरह का खातरा मोल लेना क्या उचित है? यदि नही तो क्या इस तरह की उड़ान को बन्द करवाने की ये कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष : इस तरह की इंस्ट्रक्शंज इन्होंने दे दी हैं ।

कर्नल राव राम सिंह : रू इसके लिए जो इंस्ट्रक्शंज लेड डाउन है उनके अनुसार मैंने कहा उस वक्त भी एक चिट्ठी

भेज. दी गई थी और अब फिर उसे दोहरा दिया जाएगा यानी जो इंस्ट्रक्शंज फलाईग के बारे मे हैं उन्हे परसू किया जाएगा । बाकी जो फूल डलवाने की बात है, वे तो लोग शादियों के अन्दर भी डलवाते हैं । एयर क्राफ्ट को हायर करके कोई भी ले जा सकता है । इसलिए इस पर पाबंदी लगाना मुमकिन नहीं है ।

श्री मूल चन्द जैन : स्पीकर साहब, अभी मन्त्री महोदय ने बताया कि इस हादसे मे मरे व्थक्तियों का इंश्योरैन्स तो हुआ था लेकिन इंश्योरैन्स कम्पनी ने रुपया देने से इन्कार कर दिया । क्या मन्त्री जी हाउस में यकीन दिलाएंगे कि उनको जो मुआवजा देना है वह कम से कम पच्चीस–पच्चीस हजार जरूर दिया जाएगा?

कर्नल राव राम सिंह : ऐसा कोई वायदा इस वक्त नही किया जा सकता ।

Married and Unmarried women abortioned

***329. Swami Aditya Vesh** (Chaudhri Mehar Singh Rathee on his behalf) : Will the Minister for Food and Supplies be pleased to state—

(a) the district wise number of married and unmarried women who have been abortioned since the formation of Janata Government in the State during the period from 4th July, 1977 to 31st January, 1978; and

(b) the number of women out of those referred to in part (a) above died ?

खाद्य तथा पूर्ति मंत्री (श्रीमती डा 0 कमला वर्मा):

(क) एक ब्यौरा सभा पटल पर रखा जाता है ।

(ख) शून्य

ब्यौरा

जिला	कुल आप्रेशंज(एम0टी 0पी 0)	विवाहितों के आप्रेशन	अविवाहितों के आप्रेशन
अम्बाला	405	400	5
भिवानी	60	58	2
गुड़गांव	246	246	
हिसार	129	129	
जींद	80	80	
करनाल	289	262	7
कुरुक्षेत्र	200	199	1
नारनौल	132	132	
रोहतक	183	178	4

			1
			विधवा
सोनीपत	47	47	
सिरसा	130	130	

चौधरी मेहर सिंह राठी : स्पीकर साहब, मुझे जवाब का पता ही नहीं लगा इसलिए सप्लीमैंटरी क्या पूछू? (विघ्न)

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा : मै जवाब पढ़ देती हूं ।

स्टेटमेंट में दिया गया ब्यौरा इस प्रकार है :–

जिला	कुल आप्रेशंज(एम0टी 0पी 0)	विवाहितों के आप्रेशन	अविवाहितों के आप्रेशन
अम्बाला	405	400	5
भिवानी	60	58	2
गुड़गांव	246	246	
हिसार	129	129	
जींद	80	80	

करनाल	289	262	7
कुरुक्षेत्र	200	199	1
नारनौल	132	132	
रोहतक	183	178	4
			1
			विधवा
सोनीपत	47	47	
सिरसा	130	130	

श्री लछमन सिंह : स्पीकर साहब, मन्त्री महोदया ने अभी बताया कि अम्बाला में 405 आपरेशन हुए हैं । क्या वे फरमायेंगी कि वे .लोगों ने अपनी खुशी से करवाए हैं या सरकार की तरफ से प्रौपेगैन्डे का असर है?

श्रीमती डा0 कमला वर्मा : यह तो खुशी से कराए हैं ।

चौधरी संत कंवर : स्पीकर साहब, हरियाणा में जनता सरकार आने के बाद 20 आपरेशन 19 अविवाहित लड़कियों के और एक विडो के हुए हैं । मैं मन्त्री महोदया से यह पूछना चाहता हूं कि क्या कानून के लिहाज से ये अनअथोराइज्ड थे । अगर थे

तो क्या अब हस्पतालों को इस किस्म की हिदायतें जारी की गई हैं कि वे इस तरह के केस अन्डरटेक न करें?

श्रीमती डा 0 कमला वर्मा : अध्यक्ष महोदय. 1971 के मैडिकल टर्मिनेशन आफ प्रैगनैन्सी ऐक्ट के तहत 20 गवर्नमैट हौसपिटल्ज और पांच प्राईवेट इंस्टीच्यूशंज मैडिकल टर्मिनेशन आफ प्रैगनैन्सी वर्क के लिए अथोराइज्ड किए गए हैं और उन्होंने ही उस ऐक्ट के अनुसार यह कार्य किया है ।

चौधरी पीर चन्द : स्पीकर साहब, मन्त्री महोदया ने अभी बताया कि हिसार के अन्दर किसी अनमैरिड का आपरेशन नहीं हुआ । लेकिन कल जब मैं रतिया गया तो 21 साल का लड़का मेरे सामने पेश हुआ । (विध्न एवं हंसी)..... क्या सरकार उसका दु बारा इलाज कराएगी?

(इस प्रशन का उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री बलदेव तायल : क्या मिनिस्टर साहिबा बताएंगी कि जिन औरतों या लड़कियों के आपरेशन हुए हैं उनके स्वास्थ्ग्य पर कोई असर पड़ा हे?

श्रीमती डा 0 कमला वर्मा : ठीक ही असर हुआ है क्योंकि कोई ऐसी वैसी रिपोर्ट नहीं आई है ।

चौधरी हरस्वरूप बूरा : स्पीकर साहब, मन्त्री महोदया ने अभी बताया कि मैडिकल टर्मिनेशन औफ प्रैगनैन्सी ऐक्ट में

अमैन्डमैंट कर दी गई है । मै उनसे यह जानना चाहता हूं कि इस अमैन्डमैट –थाने के बाद आपरेशंज ने बढौत्तरी हुई है या कमी हुई हे?

श्रीमती डा0 कमला वर्मा : यह रिकार्ड मेरे पास इस वक्त नहीं है । माननीय सदस्य मेरे पास आकर इस बात का पता कर सकते हैं ।

चौधरी पीर चन्द : स्पीकर साहब, मै यह जानना चाहता हूं कि लड़की हो या लड़का क्या सरकार ने कोई ऐसा इन्तजाम किया हुआ है कि जिसका गलत आपरेशन हो जाए उसका दुबारा इलाज करके उसे पहले वाली हालत में लाया जा सके? (विघ्न)

श्रीमती डाक्टर कमला वर्मा : लड़कों के लिए री–कैनेलाइजेशन का इन्तजाम है । (विघन)

Small Farmers Development Agency & Marginal Farmers and Labour Agency

***356. Shri Shamsher Singh :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the names of districts which are covered by Small Farmers Development Agency and Marginal Farmers and Labour Agency in the State, separately ;

(b) the names of the districts out of those referred to in part (a) above in which the programme is being financed by the Central. Government and State Government separately;

(c) the annual budget of these agencies as referred to in part (a), above indicating Establishment Expenditure, separately ;

(d) the total amount advanced as grant and subsidies to the bene-

ficiaries Agency-wise and district-wise for the years 1975-76. and 1976-77; and

(e) the basis on which the appointment of the Chief Executive-Officer is made ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verendar Singh)

(a)

(b)

(c) A Statement is laid on the Table of the House,

(d)

(e)

STATEMENT

(a) Prior to 1-4-76 Centrally Sponsored. two S.F.D. Agencies were operating in the districts of Ambala and Gurgaon and two MFAL Agencies in the districts of Ambala and Bhiwani. From 1-4-76 Government of India amalgamated two sets of the agencies into single combined agency known as SF DA which would look after Small/Marginal Farmers and Agricultural Labourers. Districts now covered under the

combined Small Farmers Development Agencies in the State are as under :

Ambala, Gurgaon, Hissar, Bhiwani (Tehsil Bawani Khera only) Rohtak and Jind.

(b)

Central Government financed SFDA Agencies	State Government financed SFDA Agencies
Ambala	Rohtak
Gurgaon	Jind
Hissar	
Bhiwani (Tehsil Bawani Khera only)	

(c)

Name of Agency	Annual Budget (1977-78) (Rs. in lacs)	Establishment Expenditure (1977-78) (Rs. in lacs)
Ambala	30.00	2.40
Gutgaon	44.23	2.40

Hissar	29.25	2.17
Bhivani	4.26	0.37
Rohtak	5.75	1.23
Jind	5.74	1.20

(d)

Agency/district	Grant/subsidy advanced to the beneficiaries (Rs. in lacs)	
	1975-76	1976-77
Ambala	16.70	27.34
Gurgaon	32.52	17.15
Hissar		12.76
Bhiwani	8.70	10.69
Rohtak		5.09
Jind		7.64

(e) Keeping in view, the overall administrative experience, the Chief Executive Officers are drawn from the personnel of State Civil Service or Indian Administrative Service.

चौधरी शमशेर सिंह : मन्त्री महोदय ने ''सी' ' पार्ट के जवाब में ऐनुवल बजट में एक्सपेंडीचर की जो फिर्ग्ज दी हैं, उनमें जीन्द के लिए 5. 74 लाख रुपया रखा गया है । एस्टेबलिशमेंट एक्सपेंडीचर पर 1. 20 लाख रुपया रखा गया है । तो क्या यह बहुत ना–मुनासिब बात नही है कि 5. 74 लाख रुपया तो ऐनुवल बजट का है और उसने से केवल सवा लाख के करीब एस्टेबलिशमेंट का रखा गया है, क्या इसको और ज्यादा देने पर सरकार विचार करेगी?

श्री बीरेन्द्र सिंह : ऐस्टेबलिशमेंट का बजर बहुत कम नजर आता है । इस पर गौर किया जीयेगा ।

Grant given to Panjab University

***315. Shri Devinder Sharma : Will** the Minister for Education be pleased to state—

(a) whether any grant was given by the State Government to the Panjab University during the year 1977-78; if so, the reasons therefor; and

(b) whether it is a fact that the Government had stopped giving the grant as referred to in part (a) above previously when all the colleges were affiliated with the Universities of Haryana ?

Education Minister (Col. Rao Ram Singh) :

(a) No.

(b) Yes.

श्री देवेन्द्र शर्मा : वजीर साहब ने जो यह स्टेटमेंट दी है, क्या इस पर वें दोबारा गौर करने की कृपा करेंगे कि वाकई यह सही है या नही?

कर्नल राव राम सिंह : आपने 315 नम्बर सवाल में पूछा है कि–

(a) whether any grant was given by the State Government to the Punjab University during the year 1977-78 ; if so, the reasons, therefor ; and

(b) whether it is a fact that the Government had stopped giving the grant as referred to in part (a) above previously when all the colleges were affiliated with the Universities of Haryana ?

मैंने ''ए'' के जवाब में बताया है ''नो'' और बी पार्ट के जवाब में बताया है कि हां, गवर्नमैटं ने ग्रान्ट बन्द कर रखी है ।

स्वामी अग्निवेश : शिक्षा मन्त्री महोदय का एक वक्तव्य आया था कि हरियाणा सरकार पंजाब विश्वविद्यालय को अपना हिस्सा देना चाहती है । उनके साथ सम्बन्ध बनाये रखना चाहती है । पंजाब सरकार की यह मांग चली आ रही है कि हरियाणा ने अपना अनुदान देना बन्द कर दिया और पंजाब यूनिवर्सिटी की मैनेजमैटं कमेटी ने यहं मूव किया –है– कि हरियाणा का हिस्सा समाप्त कर दिया जाये । तो क्या इस संदर्भ में हरियाणा सरकार

ने पंजाब विश्वविद्यालय चण्डीगढ को कोई नये सिरे से अनुदान देने पर विचार किया है या कर रही हे?

कर्नल राव राम सिंह : पहले गवर्नमैटं ने ग्रान्ट देनी बन्द कर दी थी । इस वक्त फिर सोच रही है कि ग्रान्ट जारी कर दी जाये ।

People Living Below Poverty Line

***410. Shri Mool Chand Jain :** Will the Minister for Development & Panchayats be pleased to state—

(a) the number of people living in Haryana who are below poverty line ;

(b) when was the census taken of such people ;

(c) whether there is any agency in the administration to have a continuing look at the problem of people living below poverty line; and

(d) the steps taken by the Government to ameliorate the condition of such people ?

Development and Panchayats Minister (Sardar Tara Singh) :

(a)—(d) No census has been taken to assess the number of people below the poverty line in the Haryana State. Nor is there any such single administrative agency in the State to deal with the problems of the people living below the poverty line. However, the Government proposes shortly to undertake a sample survey to assess the number of people

below the poverty line. However, many of the development departments of the Government do from time to time formulate the implement special schemes designed particularly to benefit the poorest sections of the community. On the completion of the proposed census the desirability of establishing a single agency for examining the problem of improving the living conditions of those below the poverty line will be considered.

श्री मूल चन्द जैन : अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने अभी बताया है कि सैम्पल सर्वे शुरु करने का इरादा है । तो मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि वह सैम्पल सर्वे शुरु हो गया है और अगर शुरु नहीं हुआ है तो कब तक इसको शुरु करने का इरादा है, इस बारे में कोई हिदायतें दी गई है या देंगे?

सरदार तारा सिंह : अभी सैम्पल सर्वे शुरु नही हुआ ।

श्री मूल चन्द जैन : मैं तो यह जानना चाहता हूं कि क्या हिदायतें जारी करेगे कि कितने टाईम तक सर्वे शुरु कर देंगे?

सरदार तारा सिंह : This is a very wide work जितनी जल्दी से जल्दी हम कर सकेगे, करेंगे ।

श्री मूल चन्द जैन : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि सरकार दिलो द्वी लाईन आफ पावर्टी कितनी आमदनी वाले लोगों को ट्रिट करती है?

श्री तारा सिंह : जो एस्टेबलिश्ड रूल्ज हैं, उसके मुताबिक देखेंगे ।

Complaint against the Child Welfare Project

***496. Chaudhri Shiv Ram Verma :** Will the Minister for Social, Welfare be pleased to state—

(a) whether the Government has received any complaints in the recent past from the Balsevikas of Child Welfare Project, Nilokheri;

(b) if so, the action taken by the Government to remove their complaint togetherwith the time by which their pay upto date is likely to be paid; and

(c) if not, whether the Government will take proper action after holding an enquiry as to the extent to which irregularities have been done in the working of the Child Welfare Project, Nilokheri and the extent of responsibility of its present Chairman therefor ?

समाज कल्याण मत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) :

(ए) हां

(बी) अदायगी करने के लिए वित्तीय वर्ष 1977–78 का सहायक अनुदान रिलीज कर दिया गया है ।

(सी) उपरोक्त (बी) के अन्तर्गत प्रशन ही उत्पन्न नही होता ।

चौधरी शिव राम वर्मा : क्या मन्त्री महोदया बताने का कष्ट करेंगी कि उनको ये वेतन दिये जा चुके हैं या नहीं? दूसरे यह ग्रान्ट कब रीलिज की गई हे?

श्रीमती सुषमा स्वराज : 31 मार्च, सन् 1978 को ग्रान्ट रिलीज हुई है और अगले 6– 7 दिनों तक वेतन मिल जायेगा ।

चौधरी शिव राम वर्मा : मिनिस्टर महोदया ने ''सी'' पार्ट के जवाब में बताया है कि इन्कवायरी की जरूरत नहीं है । वेतन मिल जाने से तो अनियमितताये समाप्त नहीं हो सकेंगी । मै तो मिनिस्टर महोदया से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस बारे में इन्क्वायरी करायेंगी ताकि अनियमिततायें न हो सके?

श्रीमती सुषमा स्वराज : In part (b) of the question it has been aske3d" if so, the action taken by the Government to remove their complaint....." मैंने जवाब में यह कहा है कि सहायक अनुदान रिलीज कर दिया गया है । 6–7 दिनों तक वेतन मिल जायेगा । In Part (c) it has been asked " if not, whether the Goverment will take proper action...." उपरोक्त (बी) के अन्तर्गत प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता तो अनियमितताओं का सवाल ही नहीं है । जो कम्पलेन्ट रिसीव हुई है उसने किसी भी अनियमितता का जिक्र नहीं था ।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Policy of Appointment/Promotions in the

Ministerial Staff

152. Kanwar Ram Pal Singh : Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) whether there has been a change in the policy of appointments/ promotions in the matter of I, inisterial staff of the Town and Country Planning Department; and

(b) whether any representation in this behalf has been received by the Government from the Ministerial staff, and if so, the action taken thereon ?

उद्योग मंत्री (डा0 मंगल सैन) :

(क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग के प्रवर नगर आयोजना तथा अन्य अधीनस्थ कार्यालयों के अधीन कुछ कर्मचारियों से प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं । उनमें यह आरोप लगाया गया है कि उनकी निदेशालय में पदो– न्नति/नियुक्ति के लिये उपेक्षा की गई है ।

मामले की जांच की जा रही है ।

Meeting of Flood Control Board

131. Shri Mool Chand Jain : Will the Minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether it is in the notice of the Government that the meetings of Flood Control Board are generally held in

the month of April every year for approving the scheme for taking preventive measures to control the floods; if so, whether the Government gets sufficient time to implement the approved schemes before the onset of rainy seasons, if not, the steps being taken by the Government in this direction ;

(b) whether the same thing happened during the two last rainy seasons and whether the Government has approved any scheme for protection of the fields and population of the villages Mirzapur, Nanhera, Tamsabad, Rana Majra and Kundla etc. situated beside Yamuna river in Tehsil Panipat; if so, the steps proposed to be taken by the Government to implement the same; and

(c) whether the culturable land of some villages of Tehsil Panipat have been eroded by Yamuna this year; if so, the names of such villages together with the area of land so eroded ?

Revenue Minister (Shri Preet Singh) :

(a) It is not a general practice.

(b) Tenth & twelfth meetings of Haryana Flood Control Board were held in the month of April in the years 1973 and 1977 respectively, while the 11th meeting was held in September, 1975 and 13th meeting in January, 1978. The scheme for providing protection to villages Rana Majra, Mirzapur, Nanhera was approved in the 12th meeting and the work was executed before the floods of 1977, but due to heavy floods of 1977 and changing course of river, some new schemes have also since been formulated and approved by the Haryana State Flood Control Board during January, 1978. It is

hoped that protection to village Mirzapur, Nanhera and Tamsabad will be provided before floods of 1978.

(c) Yes, a small area has been eroded in Panipat Tehsil. Only an area of 10 acres and 25 acres in villages Tamsabad and Kundla respectively, has been reoded.

Sr. No.	Name of the meeting of Haryana State Flood Control Board	Date on which finally held
1	2	3
	1st Meeting	22-5-67
	2nd Meeting	4-1-68
	3rd Meeting	24-1-68
	4th Meeting	6-3-68
	5th Meeting	30-9-68
	6th Meeting	4-5/12/68
	7th Meeting	25-6-69
	8th Meeting	9-6-70
	9th Meeting	22-6-71
	10th Meeting	16-4-73
	11th Meeting	30-9-75

12th Meeting	7-4-77
13th Meeting	30-1-78

Floods in the State

132. Shri Mool Chand Jain : Will the Minister for Revenue be pleased to state -

(a) the names of district in the State where loss occured due to the floods during this year togetherwith the extent thereof in each district separately;

(b) the extent to which the relief has been given so far to the flood affected people;

(c) the number of villages alongwith the area thereof where the water is still standing togetherwith the steps being taken by the Government to make it possible that Asadhi crop could be sown in these fields;

(d) the time by which the said water is likely to be drawn out; and

(e) the reasons for these terrible floods togetherwith the schemes proposed by the Government for making permanent arrangements to prevent these floods; the estimated cost thereof and the time by which these schemes are likely to be completed ?

Revenue Minister (Shri Preet Singh) :

(a) All the districts have been affected by floods during the year 1977. A statement `Annexure I' is enclosed.

(b) A statement Annexure II' is enclosed.

(c) The water is still standing in 46 villages involving an area of 9675 acres. Electric and diesel pumps have been deployed for clearing the standing flood waters.

(d) The flood water of most of the affectod area is expected to be cleared by the end of April, 1978 and remaining area by the middle of May, 1978.

(e) To tackle this problem a Master Plan costing Rs. 138.32 crores has been formulated. The work on some of these schemes has since started. The execution of first phase of these works costing Rs. 50 crores is proposed to be completed in three years to provide substantial relief to the badly affected areas. The, completion of the entire Master Plan will depend on the availability of funds.

ANNEXURE I

Statement showing district-wise damage in Haryana State during flood, 1977

District	Cropped area affected (lakh hect.)	Estimated value of crops damaged (lakh Rs.)	No. of houses damaged	Estimated value of houses damaged (lakh Rs.)
Ambala	0.04	41.0	47	1.02
Karnal	0.149	144 . 5	225	0.75

Kurukshetra	0.229	194 . 5	1113	12.00
Rohtak	1.372	1258.2	22153	202.00
Sonepat	0.601	612.3	9893	42.67
Hissar	0.437	238.2	14786	52.00
Gurgaon	1.20	855.7	36670	1000.00
Jind	1.057	813.4	2265	19.70
Narnaul	1.283	1090.2	35650	148.76
. Bhiwani	0.509	320.5	27000	67.00
. Sirsa	0.063	37.6	-	-
Total :	6.94	5606.6	149802	1545.9
say	7.00			

Total loss on account of damage to Public/utilities etc. District-wise figures are not available.

1. Public Buildings Rs. 2.00 crores

2. Irrigation and Drainage Works Rs. 7.45 crores

3. Public Health Installations Rs. 0.47 crores

4. Electric Installations Rs. 0.35 crores

5. Roads Rs. 7.00 crores

6. Transport on account of less receipt Rs. 1.00 crores

7. Tree Plantations Rs. 0.10 crores

8. Anticipated loss on account of remission Rs. 1.00 crores of land revenue.

ANNEXURE II

Statement showing the details of relief provided to the Flood affected people of Haryana during the Floods of 1977.

Sr. No.	District	Fodder			Fertilisers (Rs. in lakhs)	Seeds (Rs. in lakhs)
		Qty.	Loan (Rs. in lakhs)	Subsidy		
1.	Rohtak	2,29,000	28.95	26.46	25.00	13 . 30
2.	Gurgaon	62,500	9.37½	8.67	25.00	13.50
						10 for

						cattle
3.	Mohindergar h	70,000	6.45	5.87	10.00	13.50
4.	Sonepat	77,000	11.55	10.63	25.00	7.95
5.	Jind	12,000	1.80	1.68	15.00	6.25
6.	Kurukshetra	-	-	-	-	2.00
7.	Bhiwani	13,500	2.02	1.88	-	-
8.	Hissar	-	-	-	-	10.374
9.	Karnal	-	-	-	-	2.624
.	Sirsa	-	-	-	-	-
.	Ambala	-	-	-	-	-
	G. Total :	4,55,000 Qtls.	60.144	55.19	100.00	79.50

Note :-An amount of Rs. 62.00 lakhs has been sanctioned to all the Districts affected by floods out of Haryana Chief Minister's Flood Relief Fund for various relief measures.

District	Tractor cultivation charges (Rs. in lakhs)	Misc. expen-diture (Rs. in lakhs)	Medicines to Health Deptt. for all flood affected Districts	Medicines for prevention of cattle Epe-demics. Amount sanctioned to

				(Rs. in lakhs)	Animal Husbandry Deptt. for all flood affected districts (Rs. in lakhs)
1.	Rohtak	9.00	7.65	5.00	22 . 00
2.	Gurgaon	9.00	0.50		
3.	Mohindergarh	2.00	-		
4.	Sonepat	3.00	3.59		
5.	Jind	3.00	6.00		
6.	Kurukshetra	1.00	2.62		
7.	Bhiwani	-	-		
8.	Hissar	-	-		
9.	Karnal	3.00	-		
10.	Sirsa	-	0.05		
11.	Ambala	-	-		
		30.00	20.41	5.00	22.00

Mettalled Roads in villages near Yamuna River

133. Shri Mool Chand Jain : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the names of villages situated beside the Yamuna River where the metalled roads do not exist and great inconvenience is caused for carrying the material and stones etc. upto the sites of dam and spur etc. which are required to be brought there in connection with prevention of floods from the Yamuna River;

(b) whether there is any scheme under consideration of the Government to construct metalled roads upto the villages referred to in part (a) above and whether roads will be considered part of flood relief; and

(c) whether the Chairman, Flood Relief Committee has recommended for the construction of metalled roads upto villages Garhi Basic and Rana Majra in Panipat Tehsil etc., under the flood affected relief scheme ?

Irrigation and Power Minister (Shri Verendar Singh) :

(a) A list of such 69 villages is at Annexure-I.

(b) It is proposed to construct roads to 6 under mentioned villages out of list at Annexure-I under normal plan programme of the Department :—

(i) Rao in Kurukshetra District.

(ii) Solra in Gurgaon District.

(iii) Takela in Sonepat District.

(iv) Zainpur in Sonepat District.

(v) Garhi Mirakpur in Sonepat District.

(vi) Baqipur in Sonepat District.

Besides a proposal to construct a metalled road to village Mirjapur in Karnal District under flood relief scheme is also under consideration;

(c) No Sir.

ANNEXURE

List of villages falling beside the Yamuna River where metalled road do not exist.

Ambala District

1. Belgarh
2. Kaniawala
3. Lakarmeh-Partappur
4. Nawazpur
5. Mazri Tapu
6. Choren
7. Beli Bhud

Karnal District

8. Mirjapur
9. Jalalpur
10. Nagla
11. Kundla (Garhi Basic)

12. Rana Majra

13. Gharhi Bhalal

14. Mundhi Garhi

15. Sadarpur

16. Lalupur

17. Bidoli

18. Darul Amatlarpur

19. Manglora Jadid

20. Manglora Qadim

21. Andhera

22. Dhiloura

23. Jharauli Khurd

24. Kamalpur Viran

25. Halwana

26. Said Chhapra

27. Zabti Chhapra

28. Nabiabad

29. Balhera

30. Pathergarh (Non directory village)

Kurukshetra District

31. Unheri

32. Bagwali

33. Lal Chhapar

34. Rao

Gurgaon District

35 Rajpur Khadar

36. Dostpur

37. Bholra

38. Salarpur

39. Asalatpur

40. Kirawali

41. Sherpur Khadar

42. Yaquatpur

43. Dalelpur

44. Phulera.

45. Akbarpur

46. Shekhpur

47. Bela Khurd

48. Latifpur

49. Dulapur Alias Parasrampur

50. Naglia

51. Jhuppa

52. Behrampur

53. Sheikhpur

54. Bhud

55. Zaihabad Kherli.

56. Baghpur Kalan

57. Baghpur Khurd

58. Masudpur

59. Solra

60. Mauzamabad

61. Nagla Bhudpur (Non directory village)

Sonepat District

62. Takela

63. Zainpur

64. Garh Mirakpur

65. Palri Khurd

66. Palri Kalan

67. Jajal

68. Khurampur

69. Baqipur

Water from Sutlej and Beas Rivers

134. Shri Mool Chand Jain : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the date on which the supply of water from Sutlej and Beas rivers was stopped to Pakistan togetherwith the share of Haryana in the said water;

(b) the steps being taken by the State Government to make the water' referred to in part (a) above available for use of the residents of Haryana for Irrigation purposes; and

(c) the yearly loss being suffered by the State due to the non-supply of the water referred to in part (a) above so far ?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) :

(ए) सतलुज और व्यास नदियों से पाकिस्तान को 1–4–70 से पानी देना बन्द कर दिया गया था । कथित पानी मे अविभाजित पंजाब के लिये निर्धारित 7. 2 एमएएफ. पानी में से हरियाणा का भाग 3. 5 एमएएफ. है ।

(बी) रावी–तास के फालतू पानी मे हरियाणा के पूरेरू भाग को लाने के लिये 7500 क्यूसिक्स की क्षमता की सतलुज यमुना लिंक पर कार्य शुरू किया जा चुका है । हरियाणा क्षेत्र में कार्य पूर्णता के एडवांस स्टेजिज पर है और पंजाब में शुरू किया जा रहा है ।

भारत सरकार से प्रार्थना की गई है कि वे भाखडा व्यास प्रबन्धक बो र्ड को निर्देश दे कि सतलुज यमुना लिंक के पूर्ण होने तक अस्थायी रूप में रावी व्यास के पानी में हरियाणा के भाग को इस समय लिये जा रहे पानी के अतिरिक्त भाखडा मेन लाईन तथा नरवाना ब्रांच में फालतू क्षमता के द्वारा जब वह उपलब्ध हो, उपलब्ध किया जाये ।

(सी) रावो–व्यास के फालतू पानी मे पूर्ण भाग को प्रयोग न करने के कारण राज्य सरकार द्वारा उत्पादन सम्बन्धी उठाई जा रही वार्षिक हानि 67 करोड़ रुपये है ।

Cases registered against the employees of the Printing and Stationery Department

130. Shri Shamsher Singh : Will the Minister for Social Welfare be pleased to state—

(a) the number of cases got registered with the Chandigarh Administration, Police Department, Chandigarh so far by the present Controller, Printing and Stationery, Haryana against the employees working under him in his office ;

(b) the number of employees found guilty in the cases mentioned in part (a) above togetherwith the action taken by the Department against such guilty employees;

(c) whether the Government is aware of it that any such complaints have been received to the effect that the employees are being harassed by the Controller; Printing and

Stationery, Haryana through the police; if so, the action taken by the Government on such complaints togetherwith a copy of the action taken may be laid on the table of the House; and

(d) the number of cases in process with police at present ?

समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) :

(क) कोई नहीं ।

(ख,ग,घ) उपर्युक्त (क) के दृष्टिगत प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

Stipends/Scholarships by the U.G.C.

151. Shri Om Parkash : Will the Minister for Educaticn be pleased to state -

(a) the number of scholarships released by the U.G.C. for M.Phil, and Ph.D. and out of them, how many are being utilized; and

(b) if all are not being utilized the reasons therefor ?

शिक्षा मन्त्री (कर्नल राय राम सिंह) :

(क) (1) एमफिल. – 12

(2) पीएचडी. – 1

(ख) एम 0 फिल0 की एक छात्रवृत्ति के अतिरिक्त, जिसके बारे में कार्यवाही की जा रही है, शेष सभी छात्रवृत्तियों का उपयोग किया जा चुका है ।

Abiana on water flowing from the Rivulets

156. Shri Gaya Lal : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether it is a fact that the Government charges Abiana from those farmers also who utilize the rainy water flowing in rivulets and which ultimately falls in the river for irrigational purposes, by setting their own engines at their own cost; if so, the reasons thereof ?

Interim Reply

Verendar Singh D.O. No. 2491-IPWII-78

Irrigation and Power Minister,

Haryana, Chandigarh.

Dated 1-4-78.

My dear Brigadier Sahib,

I have received the notice of Unstarred Assembly Question No. 156 raised by Shri Gaya Lal, M.L.A. regarding charging of abiana from farmers who utilise rainy water flowing in rivulets. The Question is fixed for Answer on 3-4-78.

I have got the matter examined. It has been found

that the Question is incomplete as the names of rivulets have not been mentioned in the Question. In the absence of details thereof, it is regretted that it is not possible to send reply to this Question.

With kind regards,

Yours sincerely,

Sd/-

(Verendar Singh)

Brig. Ran Singh,

Speaker, Haryana Vidhan Sabha,

Chandigarh.

Drainage Division in Faridabad

157. Chaudhri Gaya Lal : Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) whether there is a drainage division in Faridabad;

(b) whether it is a fact that at present the whole work of drainage is being done in Nuh, Hodel and Palwal; and

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to set up divisions as referred to in part (a) above at Hodel, Palwal or at Nuh in view of the economy ?

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) :

(ए) हां,

(बी) हां.

(सी) नही ।

Custodian Land in District Gurgaon

158. Chaudhri Gaya Lal : Will the Minister for Revenue be pleased to state the area of Custodian land in district Gurgaon which has not been allotted so far, whether this land is in possession of any person or lying vacant together with the reasons for which it has not been allotted/ auctioned so far.

Revenue Minister (Shri Preet Singh) :

As on 28-3-78, 357 standard acres of cultivated, 315 ordinary acres of Banjar and 600 ordinary acres of Ghair Mumkin rural evacuee land was available in Gurgaon district. In addition, 62 ordinary acres and 4 marlas of pure evacuee, 24 acres 3 kanals 10 marlas under occupancy rights, 8 acres 6 kanals 5 marlas in joint khewat and 46 acres 14 marlas Ghair Mumkin urban evacuee land was also available in the district. The cultivable land is generally in possession of unauthorised occupants from whom rent is chargeable, while the Banjar and Ghair Mumkin lands are unoccupied.

Reasons for non-disposal of these lands are as follows :—

Disposal of 146 standard acres of cultivated rural evacuee land and 12 acres 2 kanals 15 marlas of urban

evacuee land has been stayed by different courts. The available evacuee land is scattered in small bits all over the district. A major portion of the surplus evacuee land having already been disposed of, the remaining land is generally of poor quality for whose disposal repeated attempts have to be made. Interested parties sometimes resort to litigation which also hampers quick disposal.

घोषणाएं

(क) अध्यक्ष महोदय द्वारा–

ध्यानाकर्षण सूचनाओं के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के वारे में

Mr. Speaker : I will now make an announcement.

A reference was made by some of the Hon. Members on the floor of the House on the 14th March, 1978, with regard to the procedure to be adopted in respect of the Call Attention Motions. I had then assured the House that the matter would be decided in the meeting of the Business Advisory Committee of the Haryana Vidhan Sabha. A meeting of the Business Advisory Committee was accordingly held on the 15th March, 1978, ia my Chamber. The Committee decided that the practice with regard to the bringing of notices of call attention motions before the House was in consonance with the practice prevalent in the Lok Sabha where only notices admitted by the Speaker are brought before the House. However, keeping in view the sentiments of the members it was agreed that the present practice of sending replies to the

notices of call attention motions rejected by the Speaker in his chamber would continue but if at the appropriate time the member whose call attention notice had been rejected wanted to raise the matter in the House, the Speaker would then make an observation to the effect that the notice of a call attention motion was received from the hon. Number concerned on such and such subject and was rejected by him as it was not in order as per Rules of Procedure. No further discussion could be raised by any member of the House after that.

Secretary to make an announcement.

(ख) सचिव द्वारा

विधान सभा द्वारा पारित विधेयकों सम्बन्धी

सचिव : मैंने सदन को सूचित करना है कि हरियाणा राज्य विधान मंडल अधिकारी, मन्त्री और सदस्य (चिकित्सा सुविधा) विधेयक, 1975 पर, जो हरियाणा विधान सभा ने अगस्त, 1975 में हुए अपने सत के दौरान पास किया था, राष्ट्रपति महोदय ने अपनी अनुमति नहीं दी है ।

मै उन बिलों को दर्शाने वाली स्टेटमैट, जो हरियाणा विधान सभा में अपने इस चालू सैशन मे पास किए थे तथा जिन पर राज्यपाल महोदय ने मन्जूरी दे दी है, सादर सदन की मेज पर रखता हूं ।

1. हरियाणा विनियोग विधेयक, 1978

2. हरियाणा विनियोग विधेयक (सं. 2) 1978

3. हरियाणा विनियोग विधेयक (स. 3), 1978

4. हरियाणा साधारण विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 1978

5. पंजाब यंत्र (शोर–नियंत्रण) हरियाणा संशोधन विधेयक, 1978

6. हरियाणा प्राईवेट महाविद्यालय (प्रबन्ध–ग्रहण) विधेयक, 1978

श्री देवेन्द्र शर्मा : जीरो आवर निकल गया, मैंने एक बात आपकी मार्फत बहुत जरूरी कहनी थी

श्री शमशेर सिंह : जीरो आवर तो अभी है ।... (शोर व व्यवधान) स्पीकर साहब मैंने सुबह एक काल अटैन्यान मोशन दी है । स्पद्दईकर साहब, कल' करनाल पार्लियामैटी चुनाव में.... (शोर व व्यवधान) मन्त्री यों ने... (शोर व व्यवधान)

Mr. Speaker : Out of order. I will give you the answer. It has just come today. I will examine it and give the answer.

श्री शमशेर सिंह : मैं आपकी मार्फत यह कहना चाहता हूं कि..

Mr. Speaker : This is not fair. Please take your

seat.

श्री शमशेर सिंह : जिस तरह से गरीब आदमियों पर वहां पर, हरिजनों पर

Mr. Speaker : Please sitdown.

श्री शमशेर सिंह : हरिजनों पर वहां पर जुल्म हुए है, ला एण्ड आर्डर की वहां पर प्रौब्लम खड़ी हो गयी है ।

Mr. Speaker : This is very unfair. You have to speak with my permission.

उद्योग मंत्री (डाक्टर मंगल सैन) : कोई फर्क नहीं हुआ.. (व्यवधान व शोर). हारे हुए जुआरी कह रहे हैं । जनता ने इनको ठुकरा दिया है । दो घंटे में पता लग जायेगा । You are being defeated जनता ने आपको ठुकरा दिया है (Interruptions) You have been rejected by the people. (Interruptions)

Mr. Speaker : Order please.

Rao Birender Singh : I want to make one submission with your permission. As you know elections took place yesterday (Interruptions).

Mr. Speaker : Order please.

Rao Birender Singh : There was a parliamentary election yesterday and it was a very important election....

डाक्टर मंगल सैन : स्पीकर साहब, आपने काल अटैन्शन मोशन के बारे में तो रूलिंग दे दी हे । (व्यवधान व शोर)

Rao Birender Singh : I am making a submission, Dr. Sahib आप क्यों बेताब हो रहे हें?

डाक्टर मंगल सैन : आपने अभी उसको कंसीडर करना है तो he should not be allowed to speak.(व्यवधान व शोर)

राव बीरेन्द्र सिंह : आप किसी को हाउस में बोलने ही नहीं देंगे?... (व्यवधान) आग्र किसी को बात ही नही करने देते ।

डाक्टर मंगल सैन : मै तो स्पीकर साहब से कह रहा हूं ।

राव वीरेन्द्र सिंह : मैं भी स्पीकर साहब से ही कह रहा हूं ।

डाक्टर मंगल सैन : मै स्पीकर साहब से यह कह रहा हूं कि आपने अभी रूलिंग तय करनी है ।. (व्यवधान व शोर).

श्री अध्यक्ष : अब शोक प्रस्ताव होगा । लेकिन जो काल अटैन्शन मोशन मुझे मिला है, वह आज सुबह दिया है । उस पर अभी मैं विचार कर रहा हूं और उसके बाद मै अपनी रूलिंग भी दे दूंगा ।

राव बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहब, मेरी तो आपसे यही दरख्वास्त है कि इलैक्शन का मामला है । आज उसके बाद हाउस पहली बार मिल रहा है । इसलिए किसी को भी अपनी फीलिंग एक्सप्रैस करने की इजाजत न हो, बात करने की इजाजत न हो तो फिर क्या बात है?

श्री अध्यक्ष : इस बारे जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक ही चलना पड़ेगा (व्यवबान व शोर) I have received the motion

Rao Birender Singh : How are you going to realise the importance of this subject ?

Mr. Speaker : I have received the motion. I will go into it. I will examine it and then give my ruling. (इस समय श्री मूल चन्द जैन बोलने के लिये खड़े हुए) जैन साहब, अभी शोक प्रस्ताव के बारे में बात होगी ।

श्री मूल चन्द जैन : स्पीकर साहब, एक आनरेबल मैम्बर 20 दिन से फास्ट पर बैठे हुए हैं, उसके बारे में एक काल अटैन्शन मोशन दी थी । स्वामी आदित्यवेश जी, जो इस हाउस के मैम्बर हैं, हाउस में अश्योरैन्स... (शोर व व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह मेरे पास आ गयी है । मैं उस पर विचार कर रहा हूं । मै उसके बौर मे जवाब दूंगा ।

श्री मूल चन्द जैन : पीकर साहब, हमारे एक माननीय सदस्य 20 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं । (व्यवधान व शोर)

श्री अध्यक्ष : मेरे पास आ चुकी है । I will give an answer. (At this Stage many members rose to speak. Too many members are on their feet. I would request you all to please take your seat.

Shri Baldev Tayal : He is in a dangerous condition. What about his life ? (Interruptions)

Mr. Speaker : Please take your seat. We will discuss.

चौधरी भजन लाल : नहीं जी, आप मेहरबानी करके उसके बारे में अभी कुछ कहिये ।

कामरेड शंकर लाल : उपकी हालत बहुत खराब है । आप उस पर अभी विचार करके अपना फैसला दीजिये । (शोर व व्यवधान)

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, हुक आनरेबल मैम्बर इस हाउस के और एक दूसरे महानुभाव हैं, जिनकी हालत बहुत खराब है । इस सदन के कम से कम 30 एम0एल0एज0 ने आपको इस बारे में लिख कर दिया है । (शोर व व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अभी मिला है । I have got the notice. (noise) Please take your seats.

चौधरी भजन लाल : स्पीकर साहब, मेहरबानी करके आप अभी निर्णय दे और जो बात उन्होंने कही है (व्यवधान व शोर) मुख्य मन्त्री जी ने सदन में यानी हाउस में जो बात आन

दी फ्लोर आफ दी हाउस कही थी कि जो भी पंचायत रैज्योलूशन पास करके भेजेगी, वहां पैर शराब की रुकाने बन्द कर देंगे, हम उसी पर आपसे विश्वास चाहते हैं । और कोई बात नही है ।

Mr. Speaker : I have received the notice. 1 will give my ruling.

Shri Baldev Tayal : I am pointing out to your kind notice. (Interruptions)

Mr. Speaker : Order please.

Shri Baldev Tayal : I have to make a very little submission with your permission. (Interruptions)

Mr. Speaker : I have received the thing just now. I will examine it and give my ruling.

Shri Baldev Tayal : I must apprise you of the situation before you examine it because it is a very urgent matter....

Mr. Speaker : You please do it in my Chamber.

Shri Baldev Tayal : Mr. Speaker, it is an important matter....

Mr. Speaker : I have got it here all written by you . You kindly come to me and explain in my Chamber.

Shri Baldev Tayal : But the House will be adjourned by that time...

Mr. Speaker : No. It will not.

Shri Baldev Tayal : So, your honour will be giving your ruling or consideration on this matter before the House adjourns today ?

Mr. Speaker : Please come and see me in my Chamber. I will satisfy you.

राव बीरेन्द्र सिंह : वह कौन–सा मामला है?... (शोर व व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कोई मामले की जरूरत नही है । Let us go ahead,

श्री देवेन्द्र शर्मा : स्पीकर साहब, मैं आपकी इजाजत से एक बात कहना चाहता हूं । बात गवर्नमैंट कालेज टोचर्ज की एसोसिएशन ने स्टुडैन्ट्स के एग्जाम्ज का बायकाट करने की धमकी दी है । (शोर व व्यवधान)

Mr. Speaker : Please take your seat.

श्री देवेन्द्र शर्मा : स्पीकर साहब, हरियाणा के तमाम स्टुडैंटस तबाह हो जायेंगे । ... (शोर व व्यवधान)

Mr. Speaker : You give me the call attention motion.

श्री देवेन्द्र शर्मा : काल अटैन्शन मोशन तो देते है पर वह अकौप्ट ही नहीं होता । अब जीरो आवर है इस लिए इस में मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि....

Mr. Speaker : No zero hour for this. For every thing notice is required. औरों ने भी दिये हैं, आपको भी देना पड़ेगा।

श्री देवेन्द्र शर्मा : स्पीकर साहब, हरियाणा के तमाम टीचर्ज बायकाट कर रहे है । एग्जाम्ज सिर पर आये हुए हैं, बहूत बुरा हाल हो जायेगा ।

Mr. Speaker : Please take your seat.

श्री देवेन्द्र शर्मा : स्पीकर साहब, यह बोत बहुत जरूरी है । मुझे इस पर बोलने दिया जाये । स्टुडैन्ट्स को इग्नोर न किया जाये (व्यवधान व शोर) प्रोफैसर्ज की डिमान्ड्ज को सुना जाये । (व्यवधान व शोर)

Mr. Speaker : Order please. Please take your seat.

शोक प्रस्ताव

उद्योग मंत्री (डाक्टर मंगल सैन) : स्पीकर साहब, 15 मार्च को यह सदन 3 अप्रैल तक के लिये उठ गया था, इस बीच में भारत की तीन महान विभूतियां इस संसार से उठ गयी हैं । आज जब विधान सभा का सत चल रहा है तो हमारा यह पावन कर्तव्य हो जाता है कि दिवंगत आत्माओं के प्रति यह सदन अपनी श्रृद्धांजलि प्रस्तुत करे । स्पीकर साहब, उन महान विभूतियों मे से एक हैं श्री एर्म ए0 अय्यंगार महोदय । वे भारत की –लोक सभा के स्पीकर थे । वे 19 मार्च, 1978 को स्वर्गवास हो गये । स्पीकर साहब, उनका जन्म तिरूपति के निकट तिरूचानूर, आन्ध्रप्रदेश में

4–2– 1891 को हुआ । उन्होंने चित्तूर नाम के स्थान पर वकालत शुरू की थी । उनमें अदभुत प्रतिभा होने के कारण वह एक विधिवेता के रूप में बहुत जल्दी प्रसिद्ध हो गये । थोड़े ही 'दिनों में उनके हृदय मे स्वाधीनता की भावना जागृत होने के कारण 192 1–2 2 मे उन्होंने वकालत छोड़ दी और उसके बाद वे केन्द्रीय धारा सभा में 1934 मे चुने गये और उसके बाद कई बार केन्द्रीय धारा सभा में चुने जाते रहे ।

(इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए) डिप्टी स्पीकर साहब, जहां वे एक अच्छे वकील थे, काबिल वकील थे और अच्छे पार्लियामैंटैरियन थे वहां वे भारत के महान सेनानियों में से एक थे । उन्होंने स्वाधीनता सग्राम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की आवाज पर व्यक्तिगत सत्याग्रह भी किया और जब इस देश की जनता ने फिरंगी से कहा कि भारत छोड़ो, 1942 के अगस्त में जब यह आन्दोलन चला तो डिप्टी स्पीकर साहब, वे उस संग्राम में भी कूद पड़े । भारत की स्वाधीनता के पश्चात् 1949 में वह लोअर हाउस के पहले डिप्टी स्पीकर चुने गये । बाद में 1957 में वे भारत की लोक सभा के अध्यक्ष भी चुने गये । डिप्टी स्पीकर साहब, वहां से रिटायर होने के बाद, उन्हेंने राज्यपाल के आसन को भी सुशोभित किया । वे बिहार जैसे प्रदेश में राज्यपाल रहे । उन्होंने अपनी प्रशासनिक कुशलता के कारण उस प्रदेश का अच्छी प्रकार से नेतृत्व भी किया । उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर एकु पुस्तक ''अवर पार्लियामैटं'' के नाम की लिखी । डिप्टी स्पीकर

साहब, यह प्रभु की ऐसी लीला बनी है, ऐसा अटल नियम है कि जो भी व्यक्ति इस संसार में आता है, उसको जरूर जौना होता है । डिप्टी स्पीकर साहब, भारत भूमि में जन्मा एक महान स्वाधीनता सेनानी, एक योग्य वकील और एक अच्छा पार्लियामैटेरियन हमे 19 मार्च, 1978 को छोड्कर इस संसार से चला गया, इस पर हमें बड़ा गहरा दुख है ।

इसी प्रकार डिप्टी स्पीकर साहब, हरियाणा जिस प्रदेश पंजाब का भाग था उसमें पटियाला के निवासी श्री गिरधारी लाल चोपड़ा जो पं जाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट के जज भी रहे, उनका देहान्त 28 मार्च, 1978 को हो गया । डिप्टी स्पीकर साहब, चोपड़ा साहब का. जन्म 1900 में पटियाला में हुआ था । इन्होंने महेन्द्रा कालेज पटियाला से ग्रेजुएशन करने के बाद ला–कालिज से विधिवेता की उपाधि प्राप्त की और भटिण्डा में वकालत करना आरम्भ किया और फिर पटियाला में वकालत करते रहे । 1948 में पैप्सू के पं जाब मे विलय होने के बाद आप पंजाब हाईकोर्ट के जज बने और 5 मई, 1960 को इस पद से रिटायर हुए । डिप्टी स्पीकर साहब, मै व्यक्तिगत रूप से उन्हें जानता हूं, जहां एक तरफ वे पक अच्छे जूरिस्ट थे, अच्छे कानूनदान थे वहां दूसरी तरफ वे एक धार्मिक प्रवुत्ति के व्यक्ति भी थे । पिछले दिनों की बात है उन्होंने मुझे कुरुक्षेत्र में निमंत्रण दिया । उनके पिता जी –एक बहुत भले महापुरुष थे और उनके पिता जी ने वहां पर बहुत घाट बनवाए थे । उस पवित्र पावन सरोवर के साथ उनके पिता जी का

सम्बन्ध रहा है और श्री चोपड़ा ने मुझे उनके बारे में कहा । उस सरोवर पर कुछ घाट बन गए हैं और कुछ नहीं बने हैं । उन्हीं के बारे में उन्हेंने मुझे निमंत्रण दिया था । उन्होंने मुझे बताया कि कुरुक्षेतृर की धरती पर जितने भी घाट बने हैं उनको ठीक तरह से रखने के लिए, उनको सुन्दर बनाने के लिए उनके रखरखाव के लिए उनके पिता जी ने उस समय की हकुमत से मिलकर एक टैक्स लगवाया था और वह सारे का सारा टैक्स उन घाटों के निर्माण । सुधार के लिए लगने लगा था । डिप्टी स्पीकर साहब, उनका कई शिक्षण संस्थाओं के साथ सम्बन्ध था । पंजाब यूनिवर्सिटी में जो जुडिशियल कोर्ट है उसके भी वे मैम्बर रहे हैं और मै जानता हूं कि वे हर बात में इन्साफ किया करते थे और उनके बारे में सब से बड़ी बात यह कही जा सकती है कि वे एक निष्पक्ष व्यक्ति थे और वे एक बड़े प्रतिभा–वान व्यक्ति थे । उतरीं भारतमें चलने वाला अखबार ट्रिब्यून के ट्रस्ट के भी वे चेयरमैन रहे है । डिप्टी सी कर साहब, ऐसे महान सपूत के उठ जाने से हम सब लोगों को दुख है ।

इसी प्रकार डिप्टी स्पीकर साहब, एक और बड़ी दुखद घटना घटी है कि हमारे देश के हाकी के बहुत भारी खिलाडी श्री कुंवर दिग्विजय सिंह जिनका नाम दुनिया में बाबू के नाम से विख्यात था, उन्होंने 28 मार्च को अपनी जीवन लीला स्वयं समाप्त कर दी । मैं उस बात मे नहीं जाना चाहता कि ऐसा क्यों हुआ । इस समय मैं उस दिवंगत आत्मा को श्रद्धाज्जलि ओं पत करना

चाहता हूं । उनका जन्म 2 फरवरी, 1923 को लखन0 के पास एक छोटे से कस्बे बाराबांकी में हुआ था । दो दशकों तक दुनिया में हाकी के बड़े चमकते हुए खिलाड़ी रहे और कई जगहों पर हाकी की टीमों का नेतृत्व किया । उनके इस प्रकार से स्बर्गवास हो जाने का बहुत ही दुःख है । मैं इन तीनों महानु– भावों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सदन की सेवा में यह शोक प्रस्ताव पेश करता हू और मुझे भरोसा है कि सर्वसम्पति से पारित करके हम उनके परिवार को सहानुभूति का प्रस्ताव भेजेंगे । यही मेरी प्रस्ताव है ।

राव बीरेन्द्र सिंह (अटेली) : डिप्टी स्पीकर साहब, डाक्टर मंगल सैन ने जो शोक प्रस्ताव हाउस के सामने रखा है इन तीनों महान व्यक्तियों के स्वर्गवास हो जाने पर हम सब उनके साथ मिलकर गहरा दुःख का इजहार करते है । श्री अय्यंगार बहुत बड़े पार्लियामैन्टेरियन थे और देश में उन्होंने जो जगह बनाई उसकी पूर्ति होना बहुत मुश्किल है । जो रिवायात उन्होंने कायम की अगर उन रिवायात पर यह देश चलना सीखे और जो रास्ता उन्होंने प्रिजाइडिंग आफिसर्ज को बताया उसको अपनाने की कोशिश की जाए तो हकीकत में हिन्दुस्तान मे डेमोक्रेसी बड़ी मजबूत हो सकती है ।

डिप्टी स्पीकर साहब, श्री चोपड़ा एक बहुत बड़ी हस्ती. थी और एक जज– की हैसियत से उन्होंने जो कुछ किया उससे भी ज्यादा उन्हेंने ट्रिब्यून के टस्ट का अध्–पक्ष रहकर देश की

सेवा की थी । उस महान अखबार का जिसका आजादी की लड़ाई में बहुत बड़ा हिस्सा रहा और जिस अखबार ने हमेशा निष्पक्ष रहकर ऐवाम की सेवा करने की कोशिश की उसमें श्री चोपड़ा का बहुत बड़ा हाथ था ।

श्री दिग्विजय सिंह : जिन्हें बाबू के नाम से जाना जाता है, ने खुदकशी के द्वारा अपने आपको समाप्त किया, यह बहुतही दर्दनाक चीज है । इस मौके पर मैं यह कहना चाहता हूं कि एक ऐसा खिलाड़ी जिन्होंने हिन्दुस्तान का नाम रोशन किया और हाकी के खेल को इतना बढ़ावा दिया वह ऐसी हालत में खुदकशी करे । आज हिन्दुस्तान की हाकी की टीम छठी पोजीशन हासिल करके नीचे गिर गयी है लेकिन इस देश के श्री बाबू जैसे खिलाड़ियों ने इस हाकी को कहां से कहां पहुंचा दिया था । मैं उम्मीद करता हूं कि इस असैम्बली के जरिए और आपके जरिए देश के कर्णधारों को यह सोचना होगा कि अगर इतने-इतने महान खिलाड़ियों का यह हसर होता है, यह अन्त होता है तो कम से कम इस चीज की तशवीश जरूर करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए कि क्या हमारे खिलाड़ी जिनको हमने जवानी के दिनों में जब कि वे खेलने के काबिल थे, इतना बढ़ावा दिया और उसके बाद इतनी बड़ी कौम ऐसे खिलाड़ियों की देखभाल नही कर सकती । क्या आखिरी दिनोंमें जिन्दगी कोइस तरह से खत्म करना पड़ेगा । जिन्होंने इतने शौक से स्पोर्टस के मैदान में हिस्सा लिया हो उन लोगों की देखभाल का कोई इन्तजाम न हो मैं उम्मीद करता हूं कि देश इस

तरफ भी ध्यान देगा और जिन लोगों की इस मामले पर जिम्मेदारी बनती है, इस असैम्बली की आवाज. उन तक अवश्य पहुंचेगी । इन शब्दों के साथ मैं इसरैजोल्यूशन का, इसप्रस्ताव का समर्थन करता हूं और गहरे दुःख का इजहार करता हूं ।

चौधरी हरस्वरूप वूरा (महम) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सामने गृह मन्त्री महोदय ने जो शोक प्रस्ताव रखा है, मैं अपने आपको उसमें शामिल करता हूं और अपनी ओर से उनको श्रद्धान्जलि अर्पित करता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, जो इस दुनिया में आया है, उसे जरूर जाना है । मौत के हाथ लम्बे हैं उससे कोई बच नही सकता है लेकिन कुछ महान विभूतियां होती हैं, वे संसार से चली जाती हैं लेकिन कुछ अपनी ऐसी सेवाएं और ऐसे रास्ते छोड़ कर चली जाती हैं जिनका आने वाली पीढ़ियों को अनुसरण करना चाहिए । उपाध्यक्ष महोदय, आग शरीर को जला देती है लेकिन देश के प्रति उनकी सेवाएं हैं वे सदा के लिए आने वाली पीढ़ियों के प्रति प्रेरणा का सोत बनी रहती है । आज जो हमारे सामने यह तीन व्यक्ति हैं, उन में से एक ने राजनीतिक क्षेत्र के अन्दर अपना भारी योगदान दिया है, दूसरे ने न्यायिक क्षेत्र के अन्दर कोई कसर नहीं छोड़ी है और तीसरे जो खेल. जगत में विख्यात थे, उन्होंने खेल जगत से सम्बन्धित जो लोग थे, उनको जो रास्ता दिखाया है, उनकी वे बातें चिरस्मरणीय रहेंगी । डिप्टी स्पीकर साहब, मैं डाक्टर साहब के कहने के बावजूद और ज्यादा नहीं कहना चाहता बल्कि इतनी बात अवश्य कहूंगा कि हमारी उन

लोगों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि तभी है जब उनके दिखाये हुये भिन्न भिन्न क्षेत्र में, रास्ते पर चल कर उन से हम कुछ प्रेरणा लें । मैं इन शब्दों के साथ उनके संतप्त परिवारों को अपनी हार्दिक सहानुभूति प्रस्तुत करता हूं और आपसे यह प्रार्थना करता हूं कि इन दिवंगत आत्माओं के परिवारों को संवेदनापूर्ण संदेश भेज दिये जाए । इतना कहते हुए मैं अपना स्थान लेता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, दिवगित आत्माओं के प्रति सदन में जो विचार और भावनाएं आपने रखीं हैं, मैं उसमें अपने आपको सम्मिलित करता हूं और इस सदन की भावनाओं को उनके संतप्त परिवारों तक पहुंचा दूंगा । अब मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि हम सब इन दिवगित आत्माओं के प्रति खड़े होकर दो मिनट का मौन धारण करें ।

(इस समय दिवंगत नेताओं की पुण्य स्मृति के प्रति सम्मान के रूप में सभा ने खड़े हो कर दो मिनट के लिए मौन धारण किया ।)

दि पंजाब बोर्सटल (हरियाणा अमैंडमैंट) बिल, 1978

समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पंजाब किशोर बंदी (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 1978 को इस सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति चाहती हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, इससे पहले कि मैं यह प्रस्ताव रखू कि इस बिल पर सदन में चर्चा की जाए, यह बेहतर होगा कि मैं उन उद्देश्यों और कारणों का बयान कर दूं जिस वजह से मैं इस बिल को पेश कर रही हूं जिससे इस सदन के माननीय सदस्यों को समझने में और विचार विमर्श करने में सुविधा हो जाएगी । उपाध्यक्ष महोदय, फिलहाल पोजीशन यह है कि जब भी कोई हमारे राज्य का किशोरावस्था का बालक, यानि 21 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति किसी दूसरे राज्य में पकड़ लिया जाता है या किसी दूसरे राज्य का इससे कम उम्र का बालक हमारे राज्य में बन्दी बनाया जाता है तो उन दोनों को अपने अपने राज्य में तबदील करने के लिये राज्य सरकार के स्तर पर खतोकिताबत करनी पड़ती है । उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के नोटिस मे यह बात लायी गयी कि राज्य सरकार के स्तर पर पल व्यवहार करने से काफी देर हो जाती है और कई बार तो बिलम्ब ऐसा हो जाता है कि जिस उद्देश्य की वजह से पत्र व्यवहार किया जा रहा हो, यह उद्देश्य. ही खत्म हो जाता है । इस बात को सामने रखते हुये भारत सरकार ने राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया कि वह अपने–अपने राज्य के कानूनों मे संशोधन करे कि जो राज्य सरकार के पास खतोकिताब करने की शक्तियां हैं, उनको वे अपने विभागाध्यक्षों को सौंप दें ताकि देरी न हो और बड़ी आसानी से बिना किसी देरी के इन बालकों को बदला जा सके । उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार के इस सुझाव को सामने रखते हुये हरियाणा सरकार ने यह बिल पेश किया है ‘जिममें राज्य सरकार

के पास जो आज तक पत्र व्यवहार का अधिकार था वह विभागाध्यक्ष, आई 0वी 0 (प्रिजन्ज) को दिये जाने है ताकि उनके अपने स्तर पर ही यह खतोकिताब ह ओं और आसानी से एक दूसरे राज्यों मे बालकों को बदला जा सके, जिसके लिये यह बिल मैं सदन में पेश कर रही हूं और इस के सायं–साथ मैं आपसे दरखास्त करूंगी और प्रस्ताव रखुगी कि पंजाब बोर्सटल (हरियाणा अमैंडमेंट) बिल, 1978 पर तुरन्त विचार किया जाए ।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Punjab Borstal (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

Mr. Deputy Speaker : Question is-

That the Punjab Borstal (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried

Mr. Deputy Speaker : Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clause 2

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : (पाई). डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस अमैंडमेंट की ताईद करने के लिये खड़ा हुआ हूं । मिनिस्टर साहिबा ने जेलज मेनुअलज के बारे में बहुत अच्छी अमैंडमेंट पेश की है कि अपनी स्टेट के लड़के जो दूसरी स्टैट्स में हैं और दूसरी स्टेट्स के लड़के जो अपनी स्टेट में हैं । उनका

तबादला आई 0जी 0 (प्रिजैक) करे, यह बिल्कुल ठीक बात है । इसके साथ–साथ मैं मिनिस्टर साहिबा से यह कहूंगा कि हरियाणा की जेलों में जो नाबालिग बच्चे हैं उनको फौरी तौर पर जो हिसार मे बोर्स्टल जेल है, उसमे भे ज दिया जाए और वहां पर उनके खाने पीने और पढ़ाई लिखाई का अच्छा इन्तजाम किया जाए । डिप्टी स्पीकर साहब । हम भी ऐमरजेन्सी के दौरान जेलों में रहकर आये हैं –– (विघ्न) –

आवाजें : आप तो बोसर्टल जेल में नहीं रहे ।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : तो डिप्टी स्पीकर साहब, मैं कहना चाहता हूं कि जेलों में खाने वगैरह का कोई बहुत अच्छा इन्तजाम नही है, लोगों को गुड़ की चाय. मिलती है जिस गुड़ को ब्याई भैस भी खा ने को तैयार नहीं है उस गुड़ की चाय बच्चों को पीनी पड़ती है । इसलिये मेरा कहने का. मतलब. यह है कि गरीब. लोग जो किं कैद में है, न जाने किस–किस मन बूरी में लोग वहीं. पर है, कम से कम उनके खा ने पीने– और कपडे वगैरहें का इन्तजाम तो होता चाहिये–

श्री उपाध्यक्ष : चौधरी साहब, आप कौन. सी क्लाज के पर बोल' रहे है?

श्रीमती सुषमा स्वराज : आप बिल. के पर ही बोले ।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : ' डिप्टी स्पीकर साहब, मैं तो मिनिस्टर साहब को सुझाव देना चाहता हूं, नहीं तो मुझे इनके दफतर में जीना पड़ेगा

श्री उपाध्यक्ष : वह आप सब. कुछ 'लिखकर भेज दें ।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : डिप्टी स्पीकर साहब., मतलब की' बात कह रहा हूं और वह यह है कि सिंह से बच्चों को खुराक का इन्तजाम किया जाये और जो बच्चे अनपढ़ हैं, उनके 'लिये पड़ाई का इन्तजाम किया जाए ताकि वे बच्चे बाहर निकल कर अच्छे बच्चे बन सकें और अपनी 'जिन्दगी' अच्छी बसर कर सकें, इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया ।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That clause 2 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That clause 1 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Social Welfare Minister (Shrimati Sushma Swaraj) : I beg to move—

That the Punjab Borstal (Haryana Amendment) Bill to passed.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Punjab Borstal (Haryana Amendment) Bill he passed.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Punjab Borstal (Haryana Amendment) Bill be passed.

The motion was carried.

दि पंजाब एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्किट्स (हरियाणा अमैंन्डमेंट) बिल, 1978

Irrigation and Power Minister (Shri Verendar Singh) : Mr. Deputy Speaker, I beg to introduce the Punjab

Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill, 1978.

I also beg to move—

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill to taken into consideration at once.

इससे पहले कि यह बिल मूव जाए मैं इसके आब्जैक्टस और रीजन्ज हाउस के सामने रखना चाहता हूं । शुरू में जब पहला' एक्ट पास किया गया उस वक्त प्रैक्टिस यह थी कि मार्किट कमेटियों के मैम्बरान का चुनाव करवाया जाता था और मार्किट कमेटियां इवैक्टिड होती थीं लेकिन पिछने दिनों शायद 1969 या 1 970 में यह फैसला. लिया गया. 'कि मार्किट कमेटियों के मैम्बरान को बजाए इलैक्शन के नामजद किया जाए । लेकिन जनता पार्टी का जैसे कि मैंनिफैस्टो था उसके अनु सार जनता पार्टी की सरकार ने यहं सोचा कि सारी पावर्ज को डिसैट्रालाईज किया जाए और जो पिछली सरकार ने नामजदगी का प्रोसीजर चालू किया था उसको हटा कर दुबारा चुनाव का तरीका अख्तियार किया जाए । इसलिये हमने यह दिन पेश किया है कि आगे से मार्किट कमेटी के मैम्बरान नामजद न हो बल्कि चुनाव के जरिये उनको चुना जाए ।

Mr. Speaker : Motion moved—

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

श्री मूल चन्द जैन (सभालखा) : डिप्टी' स्पीकर साहब, यह बिल जो अभी अभी एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब ने हाउस में पेश किया है उसके लिये मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं । मंडियों का कारोबार ठीक ढंग से चले उसके लिये यह कानून पहले ज्वायंट पंजाब में और अब हमारे हरियाणा में लागू होता आ रहा है । लेकिन पिछली सरकार के टाइम में मार्किट कमेटियों के चुनाव की पद्धति के कानून को बदल कर उसकी जगह नामजदगी. कर दी. गई । ऐसा करके उसने प्रजातन्त्र के तरीके को खत्म किया । जो सत्ता को केन्द्रित करने की पद्धति थी' वह पिछली कांग्रेस गवर्नमैंट ने अपने हाथ में ली । मुझे खुशी है कि हमारी सरकार ने उस गल्त नीति को बदलने का फैसला लिया है इसलिये हमारी सरकार बधाई की पात्र है । लेकिन डिप्टी स्पीकर साहब., नामजदगी से पहले जो चुनाव पद्धति थी वह लोगों के लिये' बहुत कास्टली थी, लोगों का बहुत रुपया खर्च होता था । ऐसा मालूम देता था कि लोगों मे मार्किट कमेटियों के मैंबर बनने की. बहुत अमिलाषा होती. थी. और उस दौड़ मे वे बहुत लुटते थे । इसलिये मैं मन्त्री महोदय. से प्रार्थना करूंगा और इस संबंध मे मैंने एक संशोधन भी 'दिया है । मैं कहूंगा कि चुनाव पद्धति के बारे में अमी निर्णय. किया जाए । मैं जानता हूं कि आप कहेंगे कि धारा 43 मे जो मौलिक कानून है उसने संशोधन किया है और सरकार ने यह अधिकार लिया है कि कमेटियों के जो मैंबर हैं उनके चुनाव का तरीका क्या हो और चुनाव कैसे हो । उसके लिये नियम बनाए जाएंगे । ठीक है नियम बनाए जाएंगे– लेंकिन

नियमों में वे सारी चीजे नही आ. सकेंगी । 'नियम सरकार बनाएगी और इसमे कोई शक नहीं कि बाद में हाउस उनको स्वीकार कर सकता है लेकिन यह काफी नहीं है । चुनाव का तरीका क्या हो उसके बारे मे अभी स्पष्ट हो जाना चाहिये । मेरा यह सुझाव है कि मार्किट कमेटियों में जो प्रोडयूसर्ज को 'लिया जाता है उनके लिये अलग अलग क्षेत्र बांट दिये जाएं इससे जो भी मैबर बनना चाहेगा उसके 'लिये एक सीमित क्षेत्र हो जाएगा और उसको सारे हल्के में जिसमें कि 7 0–8 0 गांव होते हें घूमना नहीं पड़ेगा । मैं समझता हूं कि जहां सरकार ने देहात में रहने वाले भाइयों के 'लिये अच्छा कानून लाने का फैसला किया है वहां उसको यह भी चाहिये कि जो लोगों को पहले इतना रुपया खर्च करना पड़ता था उसमें भी तबदीली करे और अलग अलग क्षेत्र बांट दे । पहले हरिजन भाइयों के लिये कोई नामजदगी नहीं थी । हरिजनों में भी कुछ प्रोडयूसर्ज हैं इसलिये उनके लिये भी कोई रिजर्वेशन' होनी चाहिये । मैं इस बात पर इसलिये जोर दे रहा हूं क्योंकि हरिजन भाइयों में यह गल्त फहमी है कि जनता पार्टी उनकी उतने अच्छे तरीके से रक्षा नहीं कर सकी जितना. कि करनी चाहिये थी ।

एक आवाज : यह बात आपके दिमाग में होगी ।.

श्री मूल चन्द जैन : छुए सा मालूम होता है कि कुछ भाई हकीकत को देखना नही चाहते । मैं उनको बताना चाहता हूं कि आंखे बन्द करने से काम नही चलता बल्कि हकीकत देखने से काम चलता है । तो मैं कह रहा था कि कौंग्रेस के जमाने में भी

रिजर्वेशन नहीं थीं मैं तो एकं कदम आगे जाना चाहता हूं इसलिये बीच भे टोका टोकी का कोई फायदा नहीं है । मैं तो यह चाहता हूं कि हमारी जनता पार्टी यह एक अगला कदम उठाए कि हरिजनों की रिजर्वेशन हो और लोग यह कह सकें कि पिछले तीस सालों में जो काम नहीं हुआ था वह काम जनता पार्टी ने कर दिया । मैंने इस बारे में एक संशोधन भी दिय।! है जब मौका आएगा तो इस बारे में फिर बोलूंगा । एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि इसमे एक क्लाज है कि जो कोआप्रेटिव सोसाइटी मार्किट कमेटी के क्षेत्र में आती है एक नुमांयदा उसका भी लिया जाएगा । मैं नहीं समझता कि इसका क्या फायदा है । मुझे भी देहाती जिन्दगी का तजुरबा है । कोआप्रेटिव सोसाइटियां सारे क्षेत्रो मे हैं अगर उनसे भी एक नुमायदा लिया जाता है तो उस पर भी काफी रुपया खर्च करना पड़ता है । इसकी बजाए प्रोडयूसर की तादाद बढ़ा दो । मैं मिनिस्टर साहब से अपील करूंगा कि कोआप्रेटिव सोसाइटी वाली क्लाज को निकाल दिया जाए । एक बात मै और कहना चाहता हूं इन्होंने आब्जैक्टस में लिखा है कि चुनाव एक साल के अन्दर करवा देंगे । मेरी राय में यह बहूत गैर जरूरी है । मैं समझता हूं कि इस कानून के पास होने के बाद दो तीन महीने में यह सारी कार्यवाही हो सकती है । पिछले दिनों मैंने हाउस में प्रस्ताव किया था कि मार्कीट कमेटी कीजो आमदनी है, वह उन्हीं के क्षेत्र में खर्च की जाए । इस पर मिनिस्टर साहब ने यह वायदा किया था कि जल्द ही कमेटियां बनने वाली हैं फिर जैसे उनकी मर्जी होगी खर्च करेंगीं । मैंने तो उनकी एश्योरेस को ऐसे ही

समझा है और अगर मैं गलत समझा हूं तो मिनिस्टर साहब फरमा सकते हैं । जिस मार्कीट कमेटी की जितनी आमदनी है, वह सारी उसी के क्षेत्र में खर्च की जानी चाहिए ।

जो हाउस में आंकड़े पेश किए गए हैं, उनमें यह दिखाया गया है कि बंसी लाल के जमाने में जो कांग्रेस की हकूमत थी, उसमें सम्भालखा, घरौंडा, पानीपत वगैरह मार्कीट कमेटियों का रुपया कन्सोलिडेटिड फण्ड में डाल दिया । न जाने किस तरह से हेराफेरी की और वह रुपया भिवानी में खर्च होता रहा । 197 5– 7 6– 77 में सम्भालखा मार्कीट कमेटी में एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ । हमने सोचा कि पिछली सरकार का जो फैसला है, उसको जनता सरकार बदलेगी और जो पैसा मार्कीट कमेटियों का है, वह उसी मार्कीट कमेटी के क्षेत्र में खर्च होगा लेकिन पता लगा है कि हमारी सरकार इस नीति को नहीं बदलेगी । इसलिए मै सरकार की तरफ से यह विश्वास चाहूंगा कि आइंदा से यह रुपया उन्हीं मार्कीट कमेटियों के क्षेत्र में खर्च होगा, जिसका वह होगा । लेकिन सरकार यह यकीन नहीं दिला सकी. ।

Shri Verendar Singh : How is it relevant ? It is not within the scope of the Bill.

श्री मूल चन्द जैन : इस एक्ट के मुताबिक कौन सी चीज रैलेवैन्ट हैं कौन सी इररलै– लेवैण्ट है, वह साफ है, क्योंकि इन्होंने खुद लिखा है कि एक साल में मार्कीट कमेटियां बना देंगे । इसके मुत्तालिक ही मैं कह रहा हूं कि यह पीरियड बहुत ज्यादा

है कमेटिया जरुरी बननी चाहिए । आज इन्होंने अश्योरैंस देने से इनकार कर दिया कि मार्कीट कमेटियों की आमदनी उसी क्षेत्र में खर्व होगी और कह 'दिया कि यह आमदनी उसी क्षेत्र में खर्च होगी' जहां जरूरत है । क्या यह इन्साफ का' तकाजा है? क्या. मुनासिब है कि पानीपत मार्कीट कमेटी का रुपया हिसार में खर्चे या अपने हलके में खर्चे? यह रुपया उसी इलाके में खर्च होना चाहिए जिस का यह रुपया है । अगर ये मुझे यकीन दिला दें तो मुझे कोई इतराज नहीं । अगर मुझे ये यकीन 'दिला दें कि मार्कीट कमेटियों की फार्मेशन एक साल की बजाये दो महीने में होगी और रुपया खर्च होगा, तो बहुत अच्छी बात है ।

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : (पाई) डिप्टी स्पीकर साहब, आनरेबल मैंबर ने जो अमैंडमैंट पेश की है, यह बहु त अच्छी है और मैं इसकी पुरजोर ताईद करता हूं

श्री उपाध्यक्ष : कौन सी अमैंडमैंट?

श्री वीरेन्द्र सिंह : आप किस अमैंडमैंड पर बोल रहे है । –– (व्यवधान) ––

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : इसी पर जो हाउस के सामने हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : आप अभी बैठ जाएं, जब क्लाजवाईज डिस्कशन होगी उस वक्त बोल लेना ।

चौधरी रिजक राम (राई): डिप्टी स्पीकर साहब, यह तरमीमी बिल जो मन्त्री महोदय ने पेश किया है, मैं इस पर अपने विचार रखना चाहता है । इस बिल का मुख्य उद्देश्य मार्कीट कमेटियों को बनाना और कांस्टाच्युट करना है । मार्कीट कमेटियों को बनाने के लिए प्रजा–तान्त्रिक पद्वति दोबारा लाई जा रही है । मैं ऐसा समझता हूं कि इस तरमीमी बिल से न मार्कीट कमेटियों को और न किसी इलाके को कोई फायदा पहुंचाने वाला है । महज कहने के लिए है कि प्रजातान्त्रिक ढांचा हम दोबारा करना चाहते हैं । बेशक यह बिल पास करें लेकिन इसका सही मुद्दा कमी हन नही हो सकता । डिप्टी स्पीकर साहब, हम सभी जानते हैं कि मार्किट कमेटियों को कोई अख्तियार नहीं है । जितनी सर्विसिज हैं, चाहे सैक्रेटरी है, चाहे अकाउटैंट है. चाहे क्लर्क है, ये सारी की सारी एप्वांयटमैन्ट्स इनकी सिलैक्शन मार्किटिंग बोर्ड करता है । चाहे आप मार्किटिंग बोर्ड कह लें चाहे गवर्नमैंट कह लें, एक ही बात है, सारी एप्वौयटमैंट्स मार्किटिंग बोर्ड करता है । जितना आमदनी मार्किटिंग कमेटियों से होती है, उसका 5 परसैन्ट कमेटियों पर खर्च होता. होगा और बाकी रुपया मार्कीटिंग बोर्ड और सरकार ले की है । जिलो लोगो को चुनाव का अधिकार दे रहे हैं, उनको आगे क्या अधिकार दें मार्कीट कंमेटियां. न तो कोई चपडासी लगा सकता है, न किसी की ट्रांसफर कर सकती है, न सजा दे सकती है, इसके पास कोई अख्तियार नहीं है । इसके साथ ही साथ उनके पास रुपया भी नहीं छोड़ते जिसको वे अश्वनी डिवैल्पमैंट के लिए खर्च कर सकें । जितनी आमदनी है । वह

मार्किटिंग बोर्ड ले लेता है और बोर्ड से सरकार ले कर कसोलिडेटिड फण्ड में डाल देती है । मन्त्री महोदय कहते हैं कि प्रजातान्त्रिक अधिकार दे रहे हैं । अधिकार दे ना है तो अवांयटमैंट का आयकर दें ताकि वे किसी पीयन को तो लगा सकें जो कमेटी को रुपए कीं आमदनी होती है. उसको खर्च करने कें अधिकार दें, तभी उनको फायदा होगा । पैसा उनके पास नहीं है, एप्वांयटमैंट वे कर नहीं सकते और पर से यह कहना कि हम प्रजातान्त्रिक अधिकार दे रहे हैं, इससे क्या फायदा होगा? महज प्रचार के लिए अगर आप कहते हैं तो यह बिल बेशक पास कर लें, लेकिन अगर इनको ये सारे अधिकार देने के लिए आप रजामन्द नहीं है, तो इस बिल का कोई फायदा नही हो सकता । सर्विस प्रोविशियलाईज करने से पहले जो बिल था उसमें, डिप्टी स्पीकर साहब, अकाउण्टैण्ट्स क्लर्क वगैरा भर्ती करने का अधिकार था लेकिन आज वह अधिकार सरकार ने अपने हाथ में ले लिया है और सर्विसिज को प्रोविशियलाईज कर दिया । सारी एप्वायटमैंट्म सरकार करती है, मार्किट कमेटियों को कोई अधिकार नहीं है । मेरी समझ मे नही आता कि महज चुनाव के जरिए से मार्कीट कमेटियों को बनाने में कौन से लोगों को अधिकार दिया है, कौनसा फायदा पहुंचेगा, सिवाय इसके कि एक–एक–सीट पर इलैक्ट होने के लिए दस दस, बीस बीस आदमी खड़े हों और हर आदमी बीस–बीस पच्चीस–पच्चीस हजार रुपया खर्च करें, शराब का इस्तेमाल करे, और कोई फायदा होने वाला नहीं है । लोगों का लाखों रुपया एक एक मार्किट कमेटी में खर्च होगा, इसका

फायदा होने वाला नहीं है । अगर आपका मन है तो लोगों को बाँस रूट पर अख्तियार दें, महज चुनाव का अधिकार देने से कुछ बनने वाला नहीं है । मार्किट कमेटियां चाहे इलैक्ट होती हैं, चाहे नोमिनेट होती हैं, वे मुर्दा हैं और मुर्दे के मुँह पर मक्खन लगाने का कोई फायदा नहीं है । यह कह देना कि मेरा मुर्दा मक्खन खाता खाता मरा है, इससे कोई फायदा नहीं । आप उनको अख्तियारात दें । श्री मूल चन्द जैन जी ने फरमाया कि पहले मार्कीट कमेटियां को जो आमदनी होती थी उसको कमेटियां अपने अपने दायरे में खर्च करती थीं । एक्ट में प्रोविजन है, लेकिन परपज डिफाईन नही है । लेकिन बाद में रूल्ज भी नहीं बदले गए, एक्ट में भी तरमीम नही की गई । पिछली सरकार ने एक ढंग अख्तियार किया कि जो मार्किट कमेटियों की आमदनी है, वह मार्किट बोर्ड ले ले और कुछ हिस्सा छोड़कर बाकी सारी आमदनी सरकार ले जाती है । मार्कीट कमेटियों का जो उद्देश्य है कि उस एरिया में जहां सड़कें नहीं हैं, पुलियां नही हैं, उस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पातीं । कई जगह टेरड्ज को शैड्ज बनाने हैं, मण्डी में अगर किसान आए तो उसकी गाड़ी ठहराने के लिए, पानी के लिए प्या0 हों, उन पर खर्च नहीं कर सकतीं क्योंकि सारी आमदनी सरकार ले जाती है । वह रुपया सारा सरकार लेने लग गई और इसमें कोई इनकार नहीं कर सकता कि मार्किटिंग कमेटीज के उस रुपए को सरकार ने एक क्षेत्र में खर्च किया और जहां से वह आमदन हुई थी, वहां एक पैसा भी सरकार ने खर्च करने को नहीं दिया । आज भी सरकार उस पालिसी को बदलने के लिए तैयार

नहों है । कई सालों तक जब तक पिछली सरकार रही मार्कीट कमेटी की आमदन का एक पैसा भी न पुलियों पर खर्च हुआ, न पुल पर खर्च हुआ, न सड्कों पर खर्च हुआ और न दूसरे कामों पर खर्च हुआ । यह सरकार भी उसी तरह से अपनी मर्जी के मुताबिक उस पैसे को खर्च करना चाहती है । मैं समझता हूं कि वजीर साहब बड़े खुले दिल के हैं और इन्साफ को समझते हैं और जो अन्याय तथा डिसक्रिमिनेटरी ट्रीटमैंट पिछली सरकार ने किया उसे यह अवश्य खत्म करेंगे । ये कम से कम मार्किट कमेटी को ये अख्तियार देंगे, कि जो रुपया वह देती है उसे वह अपने एरिया में खर्च कर सकेगी और पुलियों, पुलों, सड्कों, और दूसरी सहूलियतों को अपने एरिया में मुहैया करा सकेगी । मुझे मालूम है कि मन्त्री महोदय दिल्ली से काफी रुपया लाकर दरियाओं के पर पुल लगवाने लग रहे हैं, लेकिन अगर ये देहात में जाकर देंखें, इन्हें फुरसत तो नहीं है, फिर भी यदि ये जाकरदेखें तो इन्हें पता लगेगा कि उस इलाके में खास तौर पर मैं अरने इलाके का जिक्र करता हूंकि मण्डी तक पहुंचने केलिए लोगों को रास्ता नहीं । सड़कें दोनों तरफ बनी पड़ी है लेकिन बीच में ड्रेन है या नहर है और उस पर पुल नहीं है । उन पुलों को बनाने के लिए पैसा पिछली सरकार ने नहीं दिया और यह सरकार भी पैसा न देने की कसम खाए बैठी है । जो रुपया मार्किट कमेटियों से आता है, उसको यह अपने ढंग से खर्च करने पर तुली हुई है । इस प्रजातान्त्रिक ढांचे को लाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा । आप लोगों के साथ इन्साफ करें । आप लोगों को विश्वास दिलाएं कि मार्किट

कमेटी का रुपया खर्च करने का अधिकार मार्किट कमेटी को ही होगा और वह रुपया उसी इलाके में खर्च होगा जिसका वह होगा । महज प्रजातन्त्र से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक उनको इस तरह के अख्तियार नही होंगे । मैं तो यह भी कहता हूं कि इलैक्शन में क्यों लाखों रुपए खर्च करवाते हो । महज नारेबाजी से कोई फायदा नहीं । इलैक्शन भले आप न कराएं परन्तु इनको आप अपने पैसे से अपने यहां काम करने का अख्तियार दे दें । —— (विघन) — आप फराख दिली से काम कीजिए । इस इमत्याज की बात को जो पिछली गवर्नमैंट ने जारी की थी इसको खत्म कीजिए ताकि लोगों का आपकी सरकार के पर विश्वास पैदा हो ।

चौधरी हरी चन्द हुड्डा(किलोई) : डिप्टी स्पीकर साहब, जहां तक बिलों का ताल्लुक है पिछली सरकार ने चुंकि एक ही दिन में 3 7— 37 बिल निकाल दिए थे इसलिए अन्य इतने बिलों की आवश्यकता नहीं रही है । — (विध्न)— जैसा चौधरी रिजक राम ने कहाकि कोई भी बिल जिसके साथ सहूलियत न हो वह बिल केवल बिल बन कर ही रह जाता है या थ्योरी परही रह जाता है । तो मेरा ख्याल है कि बिल और एक्ट बनाने की बजाय अब हम जितने बिल और एक्ट तोड सकें उतना ही फायदा है । —(हंसी)— बिल अब बहुत ज्यादा बन चुके हैं, एक एक्ट दूसरे एक्ट से टकरा रहा है । मैंने सुबार्डीनेट लैजिसलेशन कमेटी में देखा कि एक बिल दूसरे बिल में आकर फंसता है जिसकी वजह

से सरकार जनता को सहूलियत नहीं दे पाती । जहां तक इस बिल का ताल्लुक है इसके बारे में मेरी अर्ज यह है कि जो बिल केवल थ्योरी. पर रह जाए और प्रैक्टिकल में जनता को फायदा न पहुंचाए उस बिल को जितनी जल्दी तोड़ दिया जाए, तोड़ देना चाहिए, क्योंकि जनता को कान्फिडैंस में लेने के लिए हमें तजरुबा नहीं करना है बल्कि तजरुबे से आगे बढ़ना है और तजरुबे की बजाय हमें हर काम प्रैक्टिकल करना है । बिल चाहे, हम दो कम पास करें, लेकिन वे बिल प्रैक्टिकल तौर पर लोगो को फायदा दें । मार्किट कमेटीज के बारे में यह जोबिल आया है इसके बारे में **चौधरी** रिजक राम जी ने जो बातें कहीं वे कुछ हद तक ठीक हैं । इलैक्शन का खर्चा बहुत मंहगा हो जाता है और उसका फायदा आम जनता को बहुत कम मिलता है । तो इस बारे में मेरा सुझाव यह है कि देहात के अन्दर इलैक्शन कम से कम करवाए जाएं, क्योंकि देहात में इलैक्शन जितने कम से कम होंगे, उतना ही देहात को फायदा होगा । जितने देहात में इलैक्शन बढ़ते हैं उतना ही देहात की यूनिटी में फर्क पड़ता है और देहात को नुक्सान में जाना पडता है ।

इससे कुरप्शन भी बढ्ती है । हमारी सरकार कुरप्शन खत्म करने पर वजिद है इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले हम अपनी कुरप्शन खत्म करें, बिलों के अन्दर जो कुरप्शन है, उसको खत्म करें और साथ ही सा थ चुनाव की जो कुरप्शन है, इसको खत्म करें! ताकि जनता को आराम की सांस मिल सके ।

चौधरी भजन लाल (आदमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मार्किट कमेटी का जो बिल सरकार लाई है, इसमें दो बातें एतराज. के काबिल है । एक बात के बारे में चौधरी' रिजक राम जी ने और बाबू मूल चन्द जैन जी ने भी कहा लें–किन मैं भी कुछ अर्ज करना चाहता हूं । यह जो सरकार इलैक्शन कराने जा रही है, हुसके बारे में अर्ज यह है कि एक मार्किट कमेटी में एक एमएलए. का एरिया नही, बल्कि दो एम.एल.एक. का एरिया पड़ता है । इसलिए एक मार्किट कमेटी को बनाने के लिए जितना खर्च. करना पड़ेगा, वह शायद एक एमएलए. के इलैक्शन से कम खर्च नहो होगा । इसके लिए मेरा सुझाव है कि आप जोन जरूर बना' दें, ताकि पांच– पांच गांव और दस–दस गांव से वोट लेकर मार्किट कमेटी का मैम्बर चुना जाए । अगर सरकार सारा एरिया इकट्ठा रखेगी, तो इसमें बड़ा भारी खर्च आएगा और इलैक्शन लड़ने वाले को बड़ी दिक्कत आएगी । वैसे डिप्टी स्पीकर साहब ऐसा करने का इनको अधिकार भी. नही है और पावर भी नहीं है ।

डिप्टी स्पीकर साहब, दूसरी बात यह है कि इस बिल में इन्होंने हरिजनों के लिए कोई रिनर्वेशन भी नही रखी । बिल बनाते समय इन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए था । जब म्युनिसिपल कमेटीज में और पंचायतों में हरिजनों के लिए रिजर्वेशन है तो इसमें क्यों नही रखी गई? यदि इस रिजर्वेशन को इस एक्ट में न रखा जाए., तो यह अच्छी बात नही है । इसलिए

मेरी सरकार से यह प्रार्थना है कि बाबू मूलचन्द जैन ने जो अमैंडमैंट दी है, सरकार इस अमैंडमेंट को स्वीकार करे और हरिजनों के लिए रिजर्वेशन रखे ।

चौधरी जगजीत, सिंह पोहलू (पाई) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके जरिए सरकार से एक बात कहना चाहता हूं । हरियाणा सरकार के आंकड़ों के हिसाब. से 85 फीसदी लोग खेती बाड़ी करते है, लेकिन मैं पहले भी कह चुका हूं और आज फिर चाहता हू कि सौ के सौ फीसदी लोग खेती बाड़ी पर गुजारा करते हैं क्योंकि जो भाई अनाज मण्डी में काम करता है, उसका भी खेती बाड़ी पर ही दारोमदार है । डिप्टी स्पीकर साहब, इस बिल में मण्डी वाले और कोत के भाइयों को 5 0– 50 फीसदी रिप्रैजैन्टेशन दिया गया है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इसमें सरकार अभी अमैंडमैंट कर ले । मेरा सुझाव यह है कि 85 फीसदी नुमायंदे जो हैं, वे प्रोडयूसर्ज के होने चाहिए, और 1 5 परसैन्ट तोले भाईयों या आढती भाइयों के होने चाहिए सबसे बड़ी बात यह है ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह पैसा लोगों के खून पसीने की कमाई है । अपने मार्किट कमेटी के एरिया में लोग इसे टैक्स के रूप में देते हैं । लोगों की जितनी जिन्स है, उसके पर यह पैसा इकट्ठा किया जाता है । उस पैसे का इस्तेमाल देहात वालों के लिए किया जाए । जहां पर देहातों में सड़कें नहीं हैं, वहां पर सड़कें बनाई जाएं, जहां पर रैस्ट हाउसिज नही है,

वहां पर उनके लिए रैस्ट हा0सिज बनाए जाए । 'किसान मण्डियों में अनाज लेकर आते हैं उनके लिए सोने के लिए जगह नही होती है, अगर वे बेचारे अपने आढती' के पास ठहरते है, तो आढती उनके साथ सौदेबाजी करता है और किसान को खमयाजा उठाना पड़ता है । जहां पर रैस्ट हाउसिज बनाए. हुए हैं, उन को अफसर इस्तेमाल करते है । किसानों को गाड़ी खड़ी करने के 'लिए या बैल बांधने के लिए जगह नहीं 'मिलती है । इसलिए किसानों की तकलीफ को ध्यान में रखकर, उनको दूर किया जाए ।

दूसरी बात यह है कि मार्किट कमेटी का' पैसा है वह उसी एरिया में लगाया जाए, जिस एरिया से उसको वसूल किया गया हैं । उस पैसे को दूसरे एरिया के 'लिए खर्च न किया जाए । यह तो वही बात है 'कि बरसीम तो गाय हमारे खेत की खाएं और दूध चौधरी साहब क्ए यहां दें । इसलिए जिस एरिया का पैसा हो वह उसी एरिया पर खर्च किया जाए ।

अब मैं थोड़ा सा इलैक्शन के विषय में भी कहना चाहता हूं । मैं तो यह कहूंगा कि इलैक्शन होने चाहिएं पहले यहां पर डिक्टेटरशिप थी । मर्जी से एप्वांयटमैंट होती थी, मर्जी से नोमीनेशन करते थे । यह बात ठीक नही थी । मार्किट बोर्ड के अन्दर अपनी मर्जी से अफसर लगाते थे चाहे कोई छोटा अफसर लगाएं या सैक्रेटरी लगाएं, सब के सब अपनी मर्जी से लगाते थे । अब जो पहले के लगाए हुए हैं, उनको हटा नही सकते । इसलिए अप्वांयट– मैट के अख्तियारात इलैक्टिड मार्किट कमेटी को दिए

जाएं, अपनी मन मर्जी से अप्वांयटमैंट न करें । अगर जनता सरकार में भी ऐसी बात हो, तो यह बहुत बुरी बात है ।

मेरे कुछ साथियों ने ज्यादा सीटों की बात की है । यह बात उनकी ठीक है जो भाई खेती बाड़ी करते है उनकी अधिक सीटें होनी चाहिए । मण्डी वाले भाइयों की सीट कम करके जमींदारों को दी जाएं । एकाध सीट उन हरिजन भाइयों को भी मण्डी वालों की कम करके दी जाए, जो हरिजन भाई खेती का काम करते हैं । मैं तो इस बात की हिमायत करता हूं कि हेंरिजनों और बैकवर्ड भाइयों को सीट दी जाए, लेकिनवे खेती करने वाले अवश्य होने चाहिएं । इसलिए मेरी दुबारा प्रार्थना है कि जो सीटों की नुमाईदगी है वह तोला भाईयों की,आढ़– तियों की कम करके प्रोडयूसर्ज को दी जाएं । 85 परसैन्ट सीटे प्रोडयूसर्ज को दी जाएं । उनमें से हरिजन और बैकवर्ड भाईयों को भी दे दी जाएं, लेकिन हरिजन और बैकवर्ड खेती करने वाला अवश्य होना चाहिए । जिस प्रकार से हरिजनों की और बैकवर्ड की नौकरियों में रिजर्वेशन है, इस प्रकार से रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए । यह सीट उन्हीं लोगों को दी जाएं, जो खेती करते हैं ।

मैं इस बिल की पुरजोर ताईद करता हूं और इलैक्शन का हल्का छोटा हो या बड़ा हो, इस बारे में सरकार विचार कर ले । इलैक्शन में खर्चा तो हुआ ही करता है । इन लफजों के साथ मैं इस बिल की पुरजोर ताईद करता हूं ।

चौधरी हुक्म सिंह (दादरी) : डिप्टी स्पीकर साहब, मन्त्री जी ने जो बिल हाउस में पेश किया मैं उसकी ताईद करता हूं । तीस वर्ष के शासन में कांग्रेस ने प्रजातन्त्र नाम की कोई चीज नही छोड़ी थी । इस बिल के जरिए हमारी सरकार नें सिद्ध कर दिया है कि जनता पार्टी इस देश में दोबारा प्रजातन्त्र लाना चाहती है । इस बिल के बारे में मेरे एक दो सुझाव हैं, वह हाउस में रखना चाहता हूं । जिस किसी मार्किट कमेटी में 1 6 मैंबर्ज हों, तो उसमें प्रोडयूसर्ज के किसानों के नौ मैंबर हों, ये बहुत थोड़े हें । इलाका बहुत लम्बा चौड़ा होता है । प्रोडयूसर्ज की नुमाईदगी बढ़ाई जाए । मण्डी के लाईसेंस होल्डर तो सात हों, और प्रोडयूसर केवल नौ हों, यह मैं अन्याय की बात समझता हूं ।

दूसरी बात रिजर्वेशन के बारे में कही गई। इस देश में रहने वाला किसान चाहे, वह छोटा किसान है या बड़ा है सब यूक हैए । यहां पररू कोई भी रिजर्वेशन की बात नहीं होनी चाहिए ।

तीसरी बात पैसे के बारे में कही गई । मार्किट कमेटी में जितना भी पैसा किसी भी मण्डी से आए वह तमाम का तमाम देहातों पर खर्च होना चाहिए । जितनी भी सड़कें बनाई जाएं, वे सब देहातों में बनाएं, क्योंकि देहात से अनाज आता है । जहां तक मार्किट कमेटियों में भरती में अनियमितताएं है, उसको रोका जाए । मार्किट कमेटी तो किसानों के हित के लिए होती हैं, उसका भर्ती से कोई सम्बन्ध नही होता है, उनको अख्तियारात दे दिए जाएं या न दिए जाए । मार्किट कमेटी तो इसलिए होती है

कि मण्डी में तुलाई ठीक हो, किसानों को वक्त पर पैसा मिले । बड़े वर्ड रैस्ट हाउसिज तो मार्कीट कमेटी ने बना दिए, लेकिन किसानों की गाड़ी खड़ी होने के लिए और बैल बां–बने के लिए जगह नहीं है । पशुओं को पानी पिलाने के लिए जगह नही है । किसानों को चारपाई बिछाने के लिए जगहे नहीं है । इसलिए मेरा सुझाव ीऐ कि जो बड़े बड़े रैस्ट हाउसिज हैं, उनकी बजाय किसानों को सुविधा देने के लिए, उनके ठहरने के लिए उनके मेवेशियों के लिए प्रबन्ध किया जाए, ताकि किसानों को कोई दिक्कत न हो । इन शब्दों के साथ मैं इस बिल की ताईद करता हूं ।

चौधरी संत कँवर (हसनगढ़) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस बिल का समर्थन –करने के लिए खड़ा हुआ हूं । ये जो मार्किट कमेटियां बनाई थीं, ये चौधरी छोटू राम जी ने बनाई थी । इसकी मूल भावना यह थी कि देहात के अनपढ़ भाई मण्डी में जोते हैं, जिनको मण्डी में जाने के बाद कई दिनों तक रहना पड़ता है । उनके बैल रहते हैं, उनका अनाज पड़ा रहता है, लेकिन उनके बैलों को खड़े करने की और गाड़ी खड़ी करने की कोई व्यवस्था– नहीं होती थी, उनको सुविधा पहुंचाने के लिए यह मार्किट कमेटियां बनाई गई थीं । पुराने जमाने में मण्डी गे रहने वाले बड़े बड़े भ्रष्ट लोग जो जमीदारों का शोषण करते थे, उनसे बचाने के लिए ये कमेटियां बुराई गई लेकिन कांग्रेस शासन के दौरान ये अपनी मूल भावना से दूर हट कर जो सत्ताधारी लोग थे,

उन्होंन प्रजातन्त्र को खत्म करके अपने लोगों को मार्किट कमेटियों में ले लिया जब उन्होंने अपने लोगों को ले लिया तो गलत तरीके से पैसे का उपयोग किया ।

यह जो बिल कृषि मन्त्री महोदय की तरफ से पेश किया जा रहा है और इसमें चुनाव की बात भी कही गई है, मैं इस बात का समर्थन करता हूं चुनाव होना चाहिए । इसमें तो मोटे तौर पर एक बात है लेकिन चौधरी भजन लाल जी ने और मूल चन्द जैन जी ने हरिजनों की बड़ी हिमायत की है, बड़ा दर्द दिखाया है शायद उनको इस बात का पता नहीं है कि मच्छी में रहने वाले लोगों से ज्यादा दर्द हरिजनों का हम लोगों करे. है । मार्किट कमेटी में जो भी लोग चुन कर जाएगे वे पंचायतों के मैंबर होंगे और सराव होंगे । जो भी लोग जाएंगे वे प्रोडयूसर होंगे । चाहे कोई छोटा प्रोडयूसर है या बड़ा है, चाहे कोई हरिजन है या ब्राह्मण है, वह किसान होना चाहिए । प्रोडयूसर चुनाव लडकर आया है चाहे वह किसी भी तबके का हो । इसमें रिजर्वेशन की बात नही रही ।

फिर भी मैं इस बात के खिलाफ ननी हूं कि रिजर्वेशन लागू की जाए या न की जाए । माननीय मुख्य मन्त्री जी ने एक कमेटी बना रखी है । उस कोटी' की मीटिंग भी हो चुकी है उसमें हमारे हरिजन भाई भी शामिल है । तो यह बड़ी गोटी सी बात रह जाती है कि प्रोडयूसर के अलावा जो मण्डी के लोग है, लाईसैस होल्डर है, वे ज्यादा शामिल कर लिए गए है । उन की संख्या को

कम करके प्रोडयूसर की संख्या बढ़ाई जाए । जो इस बिल की मूल भावना थी और जिस समय यह लाग? किया गया, वहं यही थी कि किसानों को फायदा हो । **चौधरी** छोटू राम के जमाने में यह भावना रही है कि प्रोडयूसर्ज के हकों को सुरक्षित रखा जाए, और और वे हक तभी सुरक्षित रह सकते है जबकि प्रोडयूसर्ज की मैजॉरिटी उसके अन्दर हो ।

एक अमैंडमैंट श्री मूलचन्द जैन की. ओर से आई है कि जोन बना दियु जाएं । यह तो मामूली सी बात है । चुनाव हो रहे है । जो बात मूलचन्द जैन जी ने जोन बनाए जाने की रखी है, इनमें तो प्रेक्टिकल रूप से जो लोग चुनाव लड़ेंगे । उनका 2 0–2 0, 2 5– 25 हजार रुपया खर्च होगा और वह खर्चा प्रोडयूसर अपने घर से नही दे सकता । वह खर्चा लाईसैंस होल्डर जो लोग हैं, मण्डियों में वे देंगे । वे पैसा देकर चुनाव उन लोगों को लडाएंगे जो उनके आने खरीदे हुए होंगे । इस तरह से वे लोग अपने लोगों को इन कमेटियों के अन्दर लाएंगे जो मूल भावना इस बिल के पीछे है, वह इस तरह खत्म हो जाएगी । इसलिए मेरी यह गुजारिश है कि जो भूल चन्द जैन जी ने अमैंडमैंट दी है, वह वापिस ले लेनी चाहिए ।

इसमें जोन का कोई सवाल ही नहीं है । यहां पर खुले तौर पर चुनाव होंगे । सरकार की तरफ से यह जो विल माननीय कृषि मन्त्री जी ने पेश किया है, इसका मैं समर्थन करते हुए अपना स्वान लेता हूं ।

श्रीमती शांति देवी (कैलाना) : उपाध्यक्ष महोदय', यह बिल जो इस हाउस में पेश 'किया गया. है, मैं उस–भी समर्थन. करने के निए खडी हुई हूं । यह बहुत अच्छी बात है । एक प्रजातान्त्रिक परम्परा जो हमारे भूतपूर्व मुख्यमन्त्री चौधरी बंसी लाल. जी ने खत्म कर दी थी, हमारी सरकार उसकी पुन स्थापना करने जा रही है । इसके लिए मैं अपनी. सरकार को अपनी हार्दिक बधाई देती हू । 'किन्तु केवल चुनाव करा देने से और केवल चेयरमैन केचने जाने से कोई बात बनती नहीं । मैं चौधरी रिजक राम जी की इस बात से सहमत हूं कि जब तक उनको वास्तविक अधिकार प्रदान नहीं करेंगे, तब तक कोई बात नहीं बनेगी । चेयरमैन के पास आदेश, अधिकार सीमित होते हैं । उसके पास मिनिस्टर के या सरकार के आदेश आ जाते हैं । इसलिए चेयरमैन बेचारा चेयरमैन बनकर ही रह जाएगा । देखिए, जैसे कि बाबू मूल चन्द जैन जी ने अभी बताया कि आमदनी तो होती है कहीं की और खर्च कही आर कर दी जाती है ।

चौधरी हरस्वरूप बूरा : ओंन ए प्वांयट आफ आर्डर सर । बहिन जी तो समर्थन करने के लिए खड़ी हु ई थी । समर्थन करने वाली बात कहीं वे भूल तो नहीं गयी हैं ।

श्रीमती शांति देवी : मैं भूली नहीं हूं । आप घबरा क्यों गए है । तो मैं यह चाहती हूं कि चेयरमैन को रुपया खर्च करने के अधिकार दिए जाएं । पहले तो सारा पैसा. भिवानी में खर्च होता रहा, अब मुझे खदशा यह है कि वह सारा पैसा कहीं सिरसा

और हिसार में न खर्च किया जाए, जैसे कि पहले होता रहा है । तो मैं आपके द्वारा डिप्टी स्पीकर साहब, अपने मुख्य मन्त्री जी को यह कहना चाहती हूं कि मार्किट कमेटी, जिसकी जितनी आमदनी हो, वहां पर उतना पैसा खर्च किया जाए । मुझे खदशा यह है कि यदिऐसा नहीं किया गया, तो जिस तरह से पिछली सरकार ने पैसा भिवानी में खर्च किया था, उसी तरह से अब सारा पैसा सिरसा में खर्च किया जाएगा । मुझे मन्त्री साहिबान माफ करेंगे यदि मैं यहां पर यह कह दूं कि जो छोटे–छोटे गैप्स चोटाला के थे, वह तो ठीक हो गए हैं, लेकिन हमारे गन्नौर के अभी तक ठीक नहीं हुए हैं ।

Shri Verendar Singh : It is wrong.

श्रीमती शांति देवी : आपको शायद पता होगा कि भिवानी के अन्दर सी.एम. साहब ने यह खुला आश्वासन दिया था कि सड़कों के जो छोटे छोटे मैप्स रह गए हें, वह तुरन्त ठीक किए जाएंगे । लेकिन एक जगह तो ठीक हो गए, लेकिन बाकी जगह अभी तक 4– दा 5– किलोमीटर की दूरी तक लोगों को जाना पड़ता है, अभी तक भी वहां पर एक– एक किलोमीटर के जो मैप्स हैं, वे भी पूरे नहीकिए गए हैं । अभी तक भी हमारे यहां किसानों को मार्किट कमेटी में बहुत दूर का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है । में, अगर सी एम. साहब के उस आश्वासन को इम्पलीमैंट करेंगे, तो उसका स्वागत करुंगी । अगर ऐसी कोई सम्भावना है कि एक मार्किट कमेटी का पैसा किसी दूसरी जगह

पर खर्च होगा तो मैं उसका विरोध करुंगी । इसके साथ ही एक चीज जो मैं चाहती हूं वह यह कि जो बसी लाल. जी ने एक स्कीम बनाई थी कि एक मार्किट कमेटी की जो आमदनी है, वह दूसरी जगह पर खर्च की जाए, और उसे सरकार के आदेश पर खर्च किया जाए, उसे समाप्त करके यह आदेश तुरन्त जारी' करें, कि मार्किट कमेटियों की जितनी भी आमदनी होगी, वह खुद खर्चेगी । बम, मैं इतना ही आश्वासन चाहते हुए अपना स्थान लेती हूं ।

चौधरी भाग मल (सढौरा–अनुसूचित जाति) : डिप्टी स्पीकर महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जैसे मूल चन्द जैन जी ने कहा कि हरिजनों के अन्दर एक भावना पैदा हो रही है कि यह सरकार उनके लिए कुछ नहीं कर रही है । ऐसी बात नही है । हम जानते हैं कि हमारी सरकार उनके लिए कुछ कर रही है । लेकिन फिर भी कागजों में दिखाने के लिए तो कुछ कागजों पर आना चाहिए । यह एक ऐसा एडमिनिस्टेरटिव डिफैक्ट है, जिससे हमारे हरिजन भाई बहुत परेशान हैं । हमारे जो हरिजन भोई काश्तकार हैं वे शायद उतनी तादाद में नही हें कि वे कोई इलैक्शन जीत सकें । उनके लिए बाकायदा जब तक उस में रिजर्वेशन या आरक्षण नहीं किया जाएगा, तब तक बात नहीं बनेगी । इसलिए मेरी 'मिनिस्टर साहब से आपके जरिए यह प्रार्थना है कि वे डस बात पर विचार करे किं उनकरू किस तरह

से रिजर्वेशन हो । दूसरी बात मैं जोन के बारे में कहना चाहता हूं । जोन की बात जैसे 'कि बाबू मूल चन्द जैन जी ने कही । यह जरूरी बात है क्योंकि .(बना जोन के इलैक्शन बहुत महंगे हो जाएंगे । कई जगहे ऐसी हैं जहां पर 3–3, 4– 4 मण्डियों के लिए मार्किट कमेटी पड़ती है, हालांकि कई दफा वह कांस्टीच्युएऐन्सी दो–दो तीन–तीन कवर करतीं हैं । अगर जोन नहीं बनाए गत, तो जो भी लोग उस इलैक्शन में खड़े होंगे, उनको बड़ी दौड़ धूप करनी पड़ेगी । इसके अलावा उनका खर्च भी काफी भारी होगा । मैं ऐसा समझता हू कि जोन बनाना आवश्यक है । तीसरी बात जो मैं सरकार को यहां पर कहना चाहता हूं वह यह है कि मार्किट कमेटियों की जो इनकम है, वह उस के एरिया में ही खर्च होनी चाहिए । मैं यह समझता है 'कि एक तो उनकी जो इनकम है, वह उन्हीं के एरिया में खर्च होनी 'चाहिए और दूसरे जो मार्किट कमेटियां– चाहे, वे नोमिनेटिड हैं, गवर्नमैंट को उनको अपना पैसा खर्च करने की पावर देनी चाहिए । जितनी भी उनकी इनकम हो, वह अरनी मर्जी के मुताबिक खर्च कर सकें, ऐसी उन्हे पावर होनी चाहिए । मिसाल के तौर पर मेरा इलाका सब माउनटेनियस और शिवालिक की पहाड़ियों के बीच में फैला हुआ है । वहां पर मार्किट कमेटी में आने के 'लिए लोगों को 20–20 किलो–. मीटर तक चलना पड़ता है । और वहां पर रास्ते भी ऐसे है कि जो बहुत खराब है । हमारी सरकार ने और जगह पर तो सड़के बनाई हैं, लेकिन वहां पर कोई सड़क नही बनी, 'जिसकी वजह से लोगों को बड़ी तकलीफ है । मेरा कहने

का मतलब यह है कि अगर उनकी मार्किट कमेटियों को एक्सपैडीचर करने की ताकत दे दे। जाए, तो वे उन लोगों के लिए जो कहां पर रहते हैं, काम कर सकती हैं । आपको पता है मेरी तो कांस्टीच्युएंसी ही ऐसी है, जहां पर ऐसे काम करने की सडन जरूरत है । इसी लर मेरी प्रार्थना यह है कि कमेटियों को अपना पैसा खुद खर्च करने की इजाजत होनी' चाहिए । एक बात और जो मैं कहन–। चाहता हूं बहे यह है कि कई जगहें एक मार्किट कमेटी' में 3–3, 4– 4 मण्डियां है, जो कि पहले से ही बनी हुई है । इन मण्डियों को कास्टीच्यूएंर्सी को ध्यान में रखते हुए या मार्किट कमेटी की अपनी मण्डी को ध्यान में रखते हुए उनका सैप्रेट करने की कोशिश की. जाए, ताकि– दूसरे इलाके के लोगों में किसी किस्म' की. हार्ट बर्निंग न हो, जैसे कि मिसाला के तौर पर हमारी छछरौली मार्किट कमेटी है जिसमे खिजराबाद, बिलासपुर और छछरौली की तीन मीडिया शामिल है । इस मार्किट कमेटी का हैडक्वार्टर भी छछरौली में है । अव्वल तो उनके पास पैसा नहीं है, अगर कोई पैसा खर्च करने की बात आती है तो वे छछरौली में ही खर्च करते हैं । इसलिए मेरी यह प्रार्थना है कि जितनी मार्किट कमेटियां है, उनको बाईफरकेट करके इस तरह से बना दिया जाए ताकि लोगों को उनसे वाकई फायदा हो सके । इन शब्दों के साथ ही मैं इस बिल– का समर्थन' करते हुए अपना स्थान. लेता हूं ।

चौधरी ईश्वर सिंह (गुहला–अनुसूचित जाति) : डिप्टी स्पीकर साहब., मैं इस बिल का समर्थन तो करता हू परन्तु सन्देह व्यक्त करना चाहता हूं कि जहां. तक हरिजनों का सवाल हैं, मुझे बड़े खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि एक्य तरफ तो सरकार प्रजातन्त्र का नाम लेकर प्रदेश में प्रजातन्त्र लाना चाहती है लेकिन. दूसरी तरफ जो रिजर्वेशन हो रही है, कमजोर वर्ग की वहं भी पूरी नही मिलती है । मैं समझता हूं कि पता नही इसमें अड़चन क्या है । हम कोई नई रिजर्वेशन नही मांगते, हमारी कम से कम जो पुरानी रिजवशन कर रखी है, 20 प्रतिशत वह ही पूरी हो जाए, यह ही काफी हैं । हमें दुख होता है जब हम यह देखते हैं कि 20 प्रतिशत रिजर्वेशन भी कही पर पूरी नहीं होती । मैं यह भी. चाहता हूं कि जहां. पर 'ए' क्लास मार्किट कमेटियां है और जहां पर 17 मैंबर हैं, वहां पर उनमें 3 हरिजन मैंबर अवश्य होने चाहिए । जहां. पर 'बी' क्लास' मार्किट कमेटियां' हैं, जहां पर कि 8–9 मैंबर हैं, उन–में से दो हरिजन. मैंबर अवश्य. ही होने चाहिए । प्रोडयूसर के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं, जैसे कि पो हलू साहब ने कहा हैं, किं उन. मार्किट कमेटियों में उनको ज्यादा रिप्रैजैन्टेशन मिलनी चाहिए, और उनकी तादाद बढ़ाई जाए । दूसरे उस एरिया के अन्दर जहां से पैसा आता है, यानी आमदनी होती है, वहां पर उस आमदनी का बहुत थोड़ा हिस्सा लगाया जाता था ।

मैंनें खुद अपने हलके के अन्दर जून और जुलाई में दो लडके मन्जूर करवाई थीं, लेकिन वे बनी नहीं । ऐसा लगता है कि मन्जूरी पैसिल. से लिखी. जाती है, पैन से नहीं । पैंसिल' के के लिखे को मिटाया जा सकता है । इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करुंगा कि अगर मार्किट कमेटियों की सारी आमदनी नहीं, तो कम से कम. तीसरा हिस्सा तो उस इलाके पर खर्च होना चाहिए जिससे देहात के रहने वालों को लाभ. हो । हम यह चीज. जनता के लिए मांग रहे हैं, अपने लिए नही मांग रहे हैं । एक किलोमीटर या आधा किलोमीटर की जो सड़कें है । सरकार को चाहिए, कि ऐसी सड़कों को मार्किट कमेटी के द्वारा ही. बनाया जाना चाहिए । इस तरह से जो पिछड़े हुए इलाके है उनकी तरक्की होगी और वे पर उठसकेंगे । इतना कह कर मैं समाप्त करता हूं ।

ठाकुर बीर सिंह (भिवानी) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस बिल. का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं इस बिल. का पूरा समर्थन करता हूं लेकिन साथ ही यह तजवीज. भी रखता हूं कि जैसा पहलें कहाँ गया है कि जिस मार्किट कमेटी का पैसा हो, वह पैसा उसी. इलाके की तरक्की के लिए खर्च होना चाहिए, इस बात से मैं पूरी' तरह सहमत हूं । मेरा कहना यही है कि जिस इलाके से पैसा इकट्ठा होता है, जो टैक्सपेयर है, उसको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दी जानी चाहिएं, क्योंकि जो लोकल कमेटी का पैसा है, अगर वह वहां पर खर्च नहीं होगा, तो उस

इलाके की पूरी तरह से तरक्की नहीं होगी । इसके साथ ही साथ मैं यह भी सजैस्ट करता हूं कि यह पैसा बड़ी–बड़ी सड़कों पर खर्च करने के बजाए गांवों की बहबूदी के लिए खर्च करना चाहिए । गांवों के जो काम है और जो अभी तक अधूरे पड़े हैं, उन कामो को पूरा किया जाना चाहिए, न कि बड़ी बड़ी सड्कों के बनाने पर वह पैसा खर्च किया जाए, क्योंकि देहात वालों को इनसे कोई लाभ नही होगा । इसके साथ–साथ अभी बहन शान्ति राठी ने एक सवाल उठाया है कि पिछले दिनों के शासनकाल में भिवानी के एरिया पर सारा पैसा खर्च होता रहा है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी बात नहीँ है । हमारे मन्त्री महोदय ने भी कह दिया कि आइन्दा ऐसी नहीं होगा – (व्यवधान)डिप्टी स्पीकर साहब, इसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं और सारे सदन तथा मन्त्री महोदय को बताना चाहता हूं कि बंसी लाल की सरकार के जमाने में भिवानी पर जो पैसा खर्च किया गया अगर उस पैसे का दूसरे जिलो से मुकाबला किया जाए, तो मालूम होगा कि भिवानी जिले पर सबसे कम पैसा खर्च किया गया था । भिवानी के हालात को आप देखें तो वह बहुत ही पिछड़ा हुआ इलाका था । वहां कोई डिवैल्पमैंट नहीं थी । लोगों का यह एक बहाना है कि भिवानी पर बहुत अधिक पैसा खर्च किया गया था । जब भी भिवानी के डिवैल्पमैंट की बात आती है, तो कहा जाता है कि भिवानी पर बहुत भारी पैसा खर्च किया गया । डिप्टी स्पीकर साहब, बंसी लाल की सरकार के जाने के बाद आज भिवानी की यह हालत हैजो अंग्रेजों के टाईम में थी । भिवानी की सड़कें ऐसी हैं जिन

पर चला नहीं जा सकता, बिजली के खम्भे वहां पर टूटे पड़े हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं । डिप्टी स्पीकर साहब, भिवानी के अन्दर कोई ऐसा इंस्टीच्यूशन नही होगा जो बाहर से ले जाकर कायम किया हो । सारे इंस्टीच्यूशन्ज वहां पहले से ही मौजूद थे । आज हरियाणा के दूसरे जिले जैसे हिसार में ऐग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी बनाई गई है, रोहतक में दयानन्द यूनिवर्सिटी बनाई गई है कुरुक्षेत्र में यूनिवर्सिटी है । मैं कहना चाहता हूं कि हिसार रोहतक, करनाल, कुरुक्षेत्र की डिवैल्पमैंट की गई है । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या भिवानी में कोई इंस्टीच्यूशन है जिसकी डिवैल्पमैंट की गई हो । बहन शान्ति राठी कह रही थी कि भिवानी में मारबल की सिल्लियां बिछा दी गई थी । मैं कहना चाहता हूं कि अगर भिवानी का हरियाणा के दूसरे शहरों से मुकाबला किया जाए तो पता चलेगा कि दूसरे जिलों के मुकाबले वह 25 प्रतिशत भी नही हे । डिप्टी स्पीकर साहब जैसा कि कहावत है give the dog a bad name and taken kill it. मैं सदन को बताना चाहता हूं कि अगर यह रवैया इस्तेमाल किया गया और अगर भिवानी को नजरअन्दाज किया गया तो भिवानी के जो विधायक है इस बात को बिल्कुल बरदाश्त नही करेंगे । हम भिवानी के डिवैलुपमैंट के लिए पूरी. तरह से लड़ेंगे । मैं फिर सदन को बताना चाहता हूं कि हरियाणा का पैसा भिवानी में नही लगा । अगर जुई कैनाल बनाई गई है तो इरीगेशन मन्त्री को नक्शा देखकर यह पता लग जाएगा कि यह नहर किस लिए खोदी गई है । हें उस चीज में नहीं जाना चाहता.

मास्टर शिव प्रशाद : डिप्टी स्पीकर साहब यहां पर मार्किट कमेटी के पर डिस्कशन चल रहा है लेकिन ये दूसरी बातें कह रहे हैं ।

ठाकुर बीर सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब बहन शान्ति राठी ने कहा था कि सारा पैसा भिवानी पर खर्च कर दिया । यह कह रही थीं कि मार्किट कमेटियों से पैसा इकट्ठा किया गया और भिवानी पर लगा दिया गयी । डिप्टी स्पीकर साहब मैंने तो उनकी. बात का जवाब दिया है यह तो मेरी इन्ट्रीडक्टरी स्पीच थी । मार्किट कमेटियों से जो पैसा इकट्ठा किया गया वह पैसा होटल्ज, मोटल्ज और रैस्टोरैन्ट्स पर लगाया गया । उस पैसे के खर्च करने का कोई फायदा नही हुआ और मन्त्री महोदय देखेंगे कि वह पे सा भी दूसरे जिलों में ज्यादा लगा भिवानी में नहीं लगा । इसलिए मैं दरख्वास्त करुंगा कि मार्किट कमेटी से जो पैसा लिया जा रहा है वह उसी हलके में खर्च 'किया जाए और किसी तरह का भेदभाव किसी मार्किट कमेटी से न रखा जाए । अगर कोई भेदभाव रखा जाएगा तो उसको कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है । इतना कहकर मैं खत्म करता हुं ।

श्री दीप चन्द भाटिया (फरीदाबाद) : डिप्टी स्पीकर साहब, बड़ी खुशी की बात है कि जनता सरकार के प्रजातन्त्र में विश्वास के बारे में हर जगह चर्चा चल रही है और हर जगह कहा जा प्हा है कि जनता सरकार प्रजातन्त्र में विश्वास रखती है । इसी रूपरेखा के नीचे मार्किट कमेटीज के चुनाव की बात सदन में आई

है लेकिन एक बात बहुत जरूरी है और जिसको मैंम्बर साहिबान भी महसूस करते हैं कि पिछले दिनों मण्डियों की रकम सरकारी खजाने में जाती थी वह गरीब किसानों से वसूल की गई रकम थी. और वह उनके इलाके में खर्च नहीं की जाती थी । मैं अपने इलाके के बारे में बताना चाहता हूं । इस सदन का कोई भी मैम्बर या मन्त्री महोदय वहा जाकर देख ले मेरे इलाके की मण्डी आज भी. वही पुरानी जगह पर है जहां पर आज से तीस साल पहले थी । यहां से लाखों करोडो रुपया मार्किट कमेटी ने लिया लेकिन यहां के लोगों की तकलीफें दूर करने के लिए कुछ नही किया गया । आप वहां पर देखेंगे कि किसान भाई को खड़े रहने के लिए कोई जगह नही है वहां बेचने के लिए कोई जगह नहीं है । वहां पर गारा भरा पड़ा है जिसमें न आदमी जासकते हैं और न बैलगाड़ी ही जा सकती है । वहां पर बडी गन्दगी है । यहां पर यह कहा गया कि जो पैसा मार्किट कमेटीज से इकट्ठा किया जाता है वह दूसरे कामों पर तथा दूसरी जगहों पर खर्च किया जाता है । इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो मार्किट कमेटी का पैसा आए वह सारा सरकार को नही जाना चाहिए बल्कि उसमें से थोड़ा सा हिस्सा यानी पांच परसैन्ट या दस परसैन्ट ले ले जिससे सरकार चल सके । फरीदाबाद के साथ जो दूसरे टाउन लगते हैं उन देहातों के अन्दर सड़कें नही है । वहां की पंचायतों के पास पैसा नही है । यहां के किसानों की जिन्दगी अच्छी बसर नही हो रही है । मैं अभी तक अपनी पैटीशन के झगड़े में फंसा हुआ था इसलिए ज्यादा नहीं जा सका । वहां पर ऐसी बुरी हालत

है कि कोई आद मी अच्छी तरह से नही रह सकता । डिप्टी स्पीकर साहब, हम देहात की हालत तो सुधार नहीं सकते लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि जो पै सा हम उन गरीब लोगों से लें और मार्किट कमेटीज के जरिए जो हम पैसा लोगों से लेते है कह पैसा तो हम देहातों में लगा सकते हैं । मेरी मन्त्री महोदय से तया चीफ मिनिस्टिर साहब से प्रार्थना है कि जहां हम नारा दे ते हैं कि 78 परसैन्ट पैसा हम देहातों में लगाएगे, 78 परसैन्ट पैसा इरीगेशन पर लगाएंगे लेकिन देहातों की हालत यहं है कि देहातों क्ए बीच में जाने के लिए रास्ता नहीं है । इसलिए मेरी प्रार्थना है कि मार्किट कमेटीज से जो पैसा मिले वह उसी इलाके की बेहतरी पर लगाया जाए ।

डिप्टी स्पीकर साहब, और बहुत सी बाते है जिनका मैं यहां पर जिक्र करना चाहता हूं । मैं औपको बताना चाहता हूं कि हमारे वहां पर एक कम्पलैक्स हैं और वहां पर अभी भी तानाशाही चल रही है, वहां पर प्रजातन्त्र राज्य लाया जाए । वश. के जो चीफ एडमिनिस्टेरटर लगे हुए हैं, उनकी. पोजीशन तो यह है कि हमारे मिनिस्टर भी. उनके सामने कुछ नहीं नजर आते, बल्कि चीफ मिनिस्टर भी नजर नहीं आते । चीफ एडमिनिस्टेटर की' मर्जी के पर है 'कि किसी स्कूल को किसी और संस्था को जितना चाहे, पांच लाख, दो लाख, रुपया दे सकता है । उस पर किसी किस्म को कोई रोक टोक नहीं है

श्री उपाध्यक्ष : भाटिया साहब– आप अब बैठिए– (शोर) –

श्री दीपचन्द भाटिया : डिप्टी स्पीकर साहब–, मेरा कहने का मतलब. यह है कि हम जहां पर प्रजातन्त्र के लिए आवाज देते हैं कहां पर हमें ऐसी' बातों के पर चौक लगा चाहिए । अगर किसी. प्रकार की बैक नही लगाई जा सकती, तो कम से कम सरकार इस तरफ ध्यान अवश्य दे और देखे किं वहां पर किस तरीके से काम चल. रहा है । वहां पर यू ही मैंबरों को हर काम के लिए टाल दिया जाता है । मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर सरकार की तरफ से ऐसी था–तों को चौक न किया गया, तो जनता सरकार को काफी कठिनाईयों का सामन। करना पड़ेगा । अगर ऐसी बातों पर चौक किया जाएगा. तब तो यह जनता राज चलेगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी ।

श्री उपाध्यक्ष : भाटिया साहब, आप अब अपनी स्पीच वांइड अप कर–– (शोर) –

श्री दीप चन्द भाटिया : डिप्टी स्पीकर साहब, आप तो मेरे अपने जिला के हैं, आपके द्वारा मैं सरकार से कहूंगा 'कि इन सारी. बातों की तरफ ध्यान दे और मार्किट कमटियों का जो पैसा है, वह गरीब. किसानों पर लगाया जाए, इसके साथ मैं आपका धन्यवाद करता हुआ अपना स्थान लेता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया ।

श्रीमती शकुन्तला (भगवाडिया) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जनता पार्टी की. प्रतिनिधि होने के नाते बिल का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं । बड़े दुख की बात है कि जहां तक रिजर्वेशन की बात आती है पता नहीं बिल्कुल ही चुप्पी साध ली जाती है । उपाध्यक्ष महोदय, अगर सं सार में किसी ने प्रशंसा प्राप्त की है, तो वपु सिर्फ साधु ने की है और वह भी पहाड़ों की चोटी पर बैठकर, और इस संसार में जिसने विचरन करना है, और इस संसार में किसी इन्सान ने दूसरे इन्सान. के साथ अगर नाता रखना है तो एक दूसरे के सहयोग के बिना काम नहीं चल सकता । मैंने पिछली. बार भी यह बात सदन में कही थी । मैं आपके सामने कह कहना चाहती हूँ कि किसी एक जाति का दमन करन्ए, किसी समाज को अगर पीछे करके हम चाहे 'कि हम सफलता प्राप्त करे, तो यह बात कभी नही हो सकती, सभी को साथ लेकर संसार में हरेक बात सिद्ध हो सकती है । उपाध्पक्ष महोदय, आप कभी हरिजनों की गलियों में जाकर देखे तो आपको उनके–। हालत कौ पता चलेगा, जब कोई व्यक्ति उनकी गली में घुसता है, तो मु ह पर पल्ला लगा लेता है, वे बेचारे बड़ी दयनीय अवस्था– में वहां पर रहते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, इसका क्या– कारण है? इसका कारण यह है कि रिजर्वेशन नहीं होती और उन बेचारों की रिजर्वेशन के लिए कोई पूकार नही सुनता, कोई हरिजनों को पूछता तक नही, वे बेचारे रो रहे है । जैसे कहावत है कि 'बिना रोए मां भी दूध नही देती, तो मैं यह कहेंगी कि जहां पर जब कभी भी रिजर्वेशन की बात आती है तो उस समय सरकार को

चुप्पी नही साधनी चाहिए । उपाध्यक्ष महोदय, अगर हम लोगों को यहां पर रिजर्वेशन न मिलती तो हम यहां पर चु न कर कैसे आते, हमारे पास साधन ही क्या थे जिसकी वजह से हम यहों आते, यह केवल रिजर्वेशन ही है जिसके कारण हम यहां पर चुन कर आयु है । अगर हम इन गरीब हरिजनों के हक में नही खडे होंगे तो फिर यह जनता कभी भी हमारा साथ नहीं देगी । उपाध्यक्ष महोदय, मुझे ही– नही, बल्कि हम सभी प्रतिनिधियों को यहां पर आने के लिए हरिजन भाइयों की आवश्यकता पड़ती है । इसके साथ–साथ मैं यह कहूंगी कि केवल इलैक्शन में हो हरिजनों को याद नही कर त्नेना चाहिए बल्कि उनको कभी भी नही भूलना' चाहिए उनकी बहुत तादाद है जिसका हमे बड़ा सहारा है, इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस सरकार से प्रार्थना करती हु 'कि हरिजनों की रिजर्वेशन को आप हमेशा याद रखे, उनको उनका जायज हक अवश्य 'मिलना चाहिए । दूसरा मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारा हल्का एक नोटीफाइड एरिया कमेटी है । उपाध्यक्ष महोदय, मैं जनता पार्टी की नई विधायिका हूं, बोलते बोलते कोई त्रुटि हो जाए तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा ।

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) : एन ए सी. में आप कहां चल पड़ी ।

श्रीमती शकुन्तला भगवाड़िया : मेरा कहने का. मतलब यह है कि वहां. पर भी 'रिजर्वेशन नहीं 'मिलती, जगह नहीं मिलती, मैं तो यह प्रार्थना करती हूं कि 'रिजर्वेशन का सरकार

अवश्य ध्यान रखे । इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया । इसके साथ मैं अपना स्थान लेती हूं ।

मास्टर शिव प्रशाद (अम्बाला शहर) : डिप्टी स्पीकर साहब, यह जो बिल सदन के सामने है, उसके बारे ।में मैं कुछ कहना चाहता हू । कुछ बन्धु जो यहां पर बोले है, उन से ऐसा नजर आता है कि शायद शहरों में रहने वाले लोगों से उन्हे घृणा है । ऐसा है कि– जो शहरों के दुकानदार हैं उनको शायद वे देखना नहीं चाहते । मार्किट कमेटी' जो नम्बर एक होती है, उसमें 1 6 मैंबर होते है । उसमें 9 प्रोड्यूसर होते हैं, एक्रू तोला, तुक आक्शनर, एक कोआप्रेटिव सोमायटी कां नुमाइंदा और चार शहर के लाईसैसी होते है उनमें दो कच्चे आढती और दो पक्के आढती होते हैं, इस तरह यह 16 का. हाउस बनता है । जो 9 प्रनेड्युसर हैं, वे तो 9 गांव के हो तो, जो छोटा है मजदूरी करता है, वह गांव का हो गया ।

को–ऑप्रेटिव सोसायटी का जो नुमाइंदा है वह गांव का हो गया और जो आक्शनर होता है । वह भी इतने दरम्याने घर का होता है कि उसे शहर का कह लो, गांव का कह लो । इसलिए 18 के हाउस में 12 ऐसे है जिनका गांव से सम्बन्ध है, इसलिए मैं अपने भाइयों से यह कहना चाहता हु (बिघन एवं शोर) –– डिप्टी स्पीकर सहिब, यह बीच में बोलने की आदत बन्द होनी चाहिए –– (शोर) –– ।

चौधरी संत कवर : डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है कि इन्होंने कहा कि शहर में रहने वाले लोगों से घृणा है, ये ऐसा इल्जाम मैंबरों के पर कैसे लगा रहे हैं, कौन मैंबर घृणा करता है, यह किस तरीके से बात कह रहे है । -- (शोर) --

श्री उपाध्यक्ष : चौधरी संत कंवर जी, आप बैठिए--

चौधरी संत कवर : डिप्टी स्पीकर साहब, हमने यहं कहा कि

श्री उपाध्यक्ष : संत कंवर जी आप जरा बैठिए ।

चौधरी संत कवर : इन्होंने कहा कि यह तोला वगैरह सारे इनके लोग होते हैं, यह जोन बनाना चाहते है ।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज, संत' कंवर जी आप बैठिए ।

मास्टर शिव प्रशाद : डिप्टी स्पीकर साहेब, अगर मैंबर साहिबान ने बोलना है तो कम से कम खड़े होकर बोलें, यह नही होना चाहिए कि बैठे ही बैठे बोलें जब एक मैंबर यहां पर बोल रहा हो तो इन्हे आराम से सुनना चाहिए । चौधरी ईश्वर सिंह. डिप्टी स्पीकर साहब, जिस प्रकार संत कंवर जी ने इनको बोलते हुए टोका, यदि मैं इनके बोलने पर कुछ कहना शुरु कर दू तो अच्छा नहीं रहेगा । संत कंवर जी को. रिजर्वेशन के बारे में

नुक्ताचीनी करने की क्या जरुरत थी । इसलिए मैंम्बर साहिबान को शान्ति से दूसरे मैंम्बर को सुनना चाहिए ।

मास्टर शिव प्रशाद : उपाध्यक्ष महोदय मैंने यहां पर मार्किट कमेटी के 1 6 मैम्बरों के बारे में कहा है, कल का जो गाव था, आज का वह शहर बना हुआ है और सभी लोग एक– एक करके गांव में से शहरों में आए हैं और वहां आकर लोगों ने दुकानेंकी हुई हैं इसलिए 1 6 मैंबरों में से 1 2 मैंबर ऐसे हैं जो गांव के हैं । अभी चौधरी जगजीत सिंह पोहलू जी ने कहा है कि 75 परसैन्ट तो वैसे ही बन सकते है और 25 परसैन्ट में दो कच्चे और दो पक्के आढती हैं । अगर हम यह कह दें कि किसी एक पक्ष को इग्नोर करके सारे ढाचे को चलाया जाए तो यह बहुत मुश्किल है यानि पैर के नाखून. से लेकर शरीर के अन्तिम भाग तक सभी हिस्से आर मिलेंगे तो तभी एक शरीर बनेगा । अगर यह' समझे कि मेरे शरीर का अगर यह भाग आगे बढ़ा हुआ है और दूसरा नीचे दबा हुआ हे लेकिन फिर भी यह बिल्कुल एक साथ साथ होने चाहिए तो मैं समझता हूं कि हम कौन सी दुनियां में बसते हैं । यहां पर मैं वे अलफाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता । जहां तक चुनाव का सवाल है, गांव में तो हल्के होते हैं और इन हल्कों को हरेक मैंबरों के लिए अलग अलग बांट देना चाहिए क्योंकि जो प्रोडयूसर होते हैं वे दाएं बाएं से सारी वोटों को पैसे के बलबूते पर या अपने इफलुएंस से या 'किसी दूसरे तरीके से खैंच लेते हैं और वे चुनकर मार्किट कमेटी में आ जाते हैं । अगर

हल्के बांट दिए जाएंगे । तो जो पैसे वाले लोग हैं, ऐसा नहीं कर पाएंगे । इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, जैसे जैन साहब ने एक सुझाव दिया कि यह जो 9 हल्के हैं उनको कुछ पंचायतों की वोटों के आधार पर बांट दिया जाए तो इससे हरिजन भाइयों के लिए जो रिजर्वेशन है, उसमें से एक हिस्सा जैसे असैम्बली के हल्के हैं जहां पर हरिजनों की संख्या ज्यादा है उसके आधार पर रिजर्वेशन हो जाती है उसी तरह से मार्किट कमेटियों में भी जहां पर प्रोडयूसर अपने हरिजन भाई हों, उनके लिए एक एक एरिया सुरक्षित रख लिया जाए ताकि उनकी नुमाइन्दगी प्रोड्यूसर के नाते मार्किट कमेटियों में आ. जाए ।

इसमें कोई शक नहीं कि जब गांवों में रहने वाले भाई शहर में आते हैं, तो उनको ठहरने के लिए अव्यवस्था होती है । मैं चाहता हूं कि उनके ठहरने के लिए व्यवस्था की जाए । गांव में रहने वाले भाई जब अपना अनाज लेकर या मार्किट कमेटियों के दफ्तर में आते है तो वे नगरपालिका की सड़कों से आते हैं इसलिए मार्किट कमेटियों को कुछ पैसा नगरपालिका को देना चाहिए ताकि नगरपालिका उस पैसे से सड़क की मुरम्मत करवा सके –– (विध्न) – डिप्टी स्पीकर साहब अगर गांव में रहने वाले भाई को शहर की अच्छी सड़क नहीं मिलेंगी, तो उनके गड्डे खराब हो सकते हैं इसलिए इस फण्ड में से कुछ पैसा नगरपालिका के फण्ड में ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि शहरों की सड़कों की

देखभाल ठीक तरीके से हो सके इन शब्दों के साथ मैं अपना स्थान लेता हूं ।

श्री बलदेव तायल (हांसी) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं समझता हूं कि सदन के भी और मन्त्री जी के भी नोटिस में लानी आवश्यक है । सब से प्रथम मैं मार्किट कमेटियो के टैक्स के बारे में बात कहना चाहता हूं कि यह टैक्स सारा व्यापारी वर्ग पर पड़ता है । इसके अलावा जितनी खामियां होती हैं, जितनी प्रोसीक्यूशन्ज होती हैं, या जितने चालान होते है, और जितने फार्म भरे जाते हैं, सब का भार व्यापारी पर पड़ता है । चाहे फार्म ए हो चाहे बीहो चाहे सी हो और चाहे डी हो, सब का भार व्यापारी पर पड़ता है । टैक्स प्रोडयूस के पर होता है, लेकिन अदा व्यापारी को करना पड़ता है । इस कानून के अन्दर इतनी खामियां है, इतनी बुराईयां हैं कि जो इतना भार व्यापारी के पर डाल दिया जाता है, उसकी वजह से उसे मजबूरन बेईमानी करनी पड़ती है । इसरी बात यह है कि अगर टैक्स का पैसा ईमानदारी से वसूल किया जाए, और सरकारी अफसर यह तहैया कर ले कि क्रप्शन नहीं करेंगे

श्री देवेन्द्र शर्मा: पहले एमएलए. और मिनिस्टर्च. तो कर ले ।

श्री बलदेव तायल : मुझे पता नही, मेरे भाई का किस तरफ इशारा है । अगर उनका इशारा मेरी तरफ है, तो मैं यह कहूंगा कि या तो वे सीट खाली कर दें या मैं खाली कर दुंगा और अगर किसी मन्त्री की तरफ है तो उनको उस मन्त्री का नाम लेना चाहिए और डिप्टी स्पीकर साहब के नोटिस में लाएं, ताकि बात साफ हो जाए । तो मैं यह बात बताना चाहता हूं कि मार्किट कमेटी' के अन्दर इस वक्त इतनी क्रप्शन है और इतनी बेईमानी है कि मेरे विचार से और किसी डिपार्टमैंट में इतना नही है । 6–6– साल से एक अफसर एक–एक स्टेशन पर बैठा है और उन्हेंने लिंक्स बना रखे हैं । ईमानदार व्यापारी पिसता चला जा रहा है और उसके साधन सीमित होते चले जा रहे है । .... व्यापारी, ...किसान और ....अफसर

चौधरी जगजीत सिंह पोहलू : डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है । उन्होंने किसान को .... कहा है यह गलत बात है इसको वापिस लिया जाना चाहिए । किसान को .... होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए ये शब्द वापिस लिए जाने चाहिएं ।

चौधरी उदय सिंह दलाल : डिप्टी स्पीकर साहब, मेरा प्वांयट आप? आर्डर है कि हमारे आनरेबल मैंबर ने जो किसान के लिए .... का शब्द इस्तेमाल किया है किसान को तो इस देश में .... का चांस ही नही है वह तो लुटने के लिए पैदा हुआ है इसलिए ये शब्द वापिस लेने चाहिए ।

श्री बलदेव तायल : डिप्टी. स्पीकर साहेब, मैं अपने शब्द कतई वापिस लेने के लिए तैयार नही हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : यह बेईमान का शब्द एक्सपंज कर दिया जाए ।

श्री बलदेव तायल : बडे किसान जो कि 30– 40एकड के मालिक हैं, वे बराबर अफसरों के साथ मिलकर बजाए माल मडियों में लाने के दो रु. 0ंची प्राईस फिक्स करके अपने धार पर ही बेच देता है और हुस बेईमानी के अन्दर शामिल होता है । अगर कोई आदमी यह कहता है कि किसी भी. क्लास के अन्दर सारे आदमी ईमानदार हैँ, तो मैं उसको' चौलेंज करता हूं कि किसी क्लास के अन्दर न तो सारे ईमानदार हैं और न सारे बेईमान हैं–– (विघ्न) –– यहां पर यह प्रथा चरन गई है कि जब. कोई मैंबर बोनने के लिए खड़ा होता हैतो उसे इन्ट्रप्ट करने की कोशिश करते हैं, गलत तरीके से बोलते हैं और गलत प्वांयट आफ अनर्डर उठाते है, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करुंगा कि इस हाउस के डैकोरम को रखने' की चेप्टा करे और इस हाउस को स्तर पर लाए । इन शब्दों के साय मैं आपको तवज्जोह कुछ और बातों पर दिला0गा । डिप्टी स्पीकर साहब रिजर्वेशन का असैम्बली के अन्दर प्रश्न उठता है । म्युनिसिपल कमेटियों के अन्दर रिजर्वेशन है पार्लियामैंट के अन्दर रिजर्वेशन है यानी– सारी जगह रिजर्वेशन है । तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि जब मार्किट कमेटी के अन्दर रिजर्वेशन का सवाल आता है कि हरिजन भाइयों को

रिजर्वेशन दी जाए तो क्यों नही दी जाती । वे पद दलित लोग अनपढ़ लोग और गरीब लोग जिनके पास खाने के लिए भी पैसा नही जिनके पास काम के नाम पर रोजगार नहीं उनके बारे में यह कहा जाता है कि उनके लिए रिजर्वेशन न दो । क्या मैं इसका कारण पूछ सकता हूं । जब कांस्टीच्युशन के अन्दर प्रोवीजन है कि इनको रिजर्वेशन दी जाएगी तो यह ऐसा महकमा क्यों है जिसके अन्दर रिजर्वेशन न हो । मै हाउस से और मिनिस्टर महोदय से अपील करुंगा कि वे रिजर्वेशन के बारे में तवज्जो दे । पद दलित आदमियों पद दलित जातियों, अन–एम्प्लायड और गरीब आदमियों को अपने बराबर में लाना हमारा कर्त्तव्य बनता है । मार्किट कमेटियों का अगर ईमानदारी से टैक्स वसूल किया जाए, तो वह इतना टैक्स बन सकता है कि कोई झगड़ा ही शायद न उठे कि उसको कितना सर्व किया जारा और कितना न किया जाए । मैं इस बात के बारे में दोबारा तवज्जो दिलाउंगा कि मार्किट कमेटियों के अन्दर 9– 9 महीने और एक–एक साल तक रसीदें नहीं मिलती । अफसरान के खिलाफ कम्लेंट आती हैं कि फलां तारीख को रसीद काटी और उसका पैसा 'डिपोजिट नही हुआ और उसके महीना डेढ महीना बाद वह पैसा डिपाजिट होता है, लेकिन उन अफसरों के खिलाफ कोई कार्यवाही नही की जाती । एक अफसर 6– 6 और 7– 7 खोल से एक ही स्टेशन पर बैठा है । उसने जमीदारों से लिंक बना रखे हैं, व्यापारियों से लिंक बना रखे हैँ, चारों तरफ क्रप्शन का जाल फैला ररवा है । मार्किट कमेटी एक ऑटोनोमस बौडी है, इसके अन्दर सर्विसिज का कोई न

कोई क्राइटेरिया रखना चाहिए, इसके अन्दर डैमोक्रेटिक नार्म के मुताबिक, सर्विसिज आन मैरिट मिलनी चाहिएं । लेकिन हमारे इस देश का, इस प्रदेश का दुर्भाग्य है कि हम नारा तो लगाते हैं, कि सर्विसिज में न्याय देंगे! लेकिन प्रैक्टिकली कुछ दिखाई नही देता, सर्विसिज की एप्वांयट्मैंट्स मैरिट्स पर नहीं की जाती । मैं सरकार से दरख्वास्त करुंगा कि मार्किट कमेटियों के इस सैट अप को विशेष ध्यान देकर इम्प्रूव करे । मेरे भाई आदरणीय सदस्य श्री बीर सिंह ने 'भिवानी का डिफेंस पेच किया । मैं चाहता हूं कि वहां और पैसा खर्च हो, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं यह कहता हूं कि भिवानी का दुर्भाग्य रहा है ब्रिटिश पीरियड में । अगर ब्रिटिश पीरियड में भिवानी का दुर्भाग्य रहा है तो ऐसा दुर्भाग्य हांसी को भी प्राप्त हो, ताकि हांसी का नक्शा भिवानी जैसा हो सके । अगर श्री बीर सिंह को उस शहर की गन्दी गलियों का दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण का कोई अन्दाजा नहीं है तो आए मेरे साथ, मैं मिनिस्टरर्ज को भी और माननीय सदस्यों को भी निमन्त्रण देता हूं कि हांसी आएं और एक सटिकिंग सिटी कोदेखें । आजादी से पहले भिवानी का मुझे भी ज्ञान है । भिवानी के चारों कोनो पर बाग ही बाग होते थे । कोई मोडे का बाग कहलाता था, कोई किसी का कहलाता था, सारे नाम मुझे इस वक्त याद नहीं हैं । .. (व्यवधान) जहां तक हांसी का ताल्लुक है, आजादी से पहले हांसी आज की भिवानी जैसी थी । हांसी किसी वक्त पंजाब का लायलपुर कहलाती थी लेकिन आज वह मिट चुकी' है । भिवानी, जिसकी

हवेलियां वीरान और उजडी हुई पड़ी होती थी, आज. वहां चहल–पहल से भरपूर है ।

चौधरी हरस्वरूप बूरा : इस बात की इस एक्ट से कोई रैलेवेंसी नही है ।

श्री बलदेव तायल : इसकी रेलेवेंसी यहू है कि हांसी मार्केटिंग कमेटी का सारा पैसा भिवानी में खर्च कर दिया, अकलमन्द आदमी को इशारा ही काफी होता है, सारी बात साफ साफ नहीं कहलवाया करते । इन शब्दों के साथ मैं अन्त में एक दरख्वास्त करुंगा कि रिजर्वेशन जरूर रखी जाए, और मैंबरों की जो रेशों है उसमें तबदीली न की जाए । इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं जो आपने मुझे टाईम दिया ।

कैप्टन मांगे राम (झज्जर––अनुसूचित जाति) : आदरणीय डिप्टी स्पीकर साहब, जो बिल सदन में पेश किया गया है, मैं जनता पार्टी का मैंबर होने के नाते इसका समर्थन करता हूं । माननीय सदस्य चौधरी रिजक राम और मूल चन्द जी ने जो विचार सदन में रखे, वह हम सबने सुन लिए हें । भे भी एक सुझाव देना चाहता हू कि झज्जर मार्किट कमेटी में, जिसमें मैंबरों की कुल संख्या 1 0 है, इसमें हरिजनों का रिजवेशन का जरूर ध्यान रखें । मार्किट कमेटियों में भी हरिजनों की नुमाईंदगी होनी चाहिए, ताकि आसपास होने वाले कामों के बारे में हरिजन भाईयोंको भी खबर होती रहे । यह चीज जरूर ध्यान में रखी

जाए, क्योंकि इसके बगैर लोगों के दिलों में, हरिजन और बैकवर्ड क्लासिज के लोगों का पीस आफ माइंड नही रहता । अपना प्रतिनिधि न होने के कारण उनको आसपास की कोई खबर नहीं मिलती और वे बेचौन रहते हैं । मैं ज्यादा समय न लेता हुआ इस बिल का समर्थन करता हूं और जो मैंने सुझाव दिया है, उसकी तरफ ध्यान दें ।

सिचाई तथा बिजली मंत्री (श्री वीरेन्द्र सिंह) : डिप्टी स्पीकर साहब, जो बिल मैंने इन्ट्रोडयूस किया है, इसके इन्ट्रोडयूस करते वक्त आब्जैक्ट्स एंड रीजज्ज ब्यान करते समय बताया था कि इस बिल का मकसद क्या है । अब फिर बता देता हूं कि मकसद यह हैकि हम चुनाव पद्धति को दोबारा लागू करना चाहते हैं, जिसको पिछली कांग्रेस सरकार ने समाप्त कर दिया था' । हाउस के सदस्यगण ने कई किस्म की आशंकाएं जाहिर कीं, कुछ वातावरण में गर्मी भी हुई । जो शंकाएं त्यक्त की गई हैं, ऐसी शंकाएं माननीय सदस्यगण के मन में नहीं रहनी चाहिएं । जो मेंबर मु ख्य रूप सेइसबिल पर बोले हैं, वे सभी तकरीबन एक ही पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, और उन्होंने अपने प्वांयट्स को हाई–लाईट करने की कोशिश की । पीछे जो पार्टी की मीटिग हुई थी, में सदस्यों को उसकी याद दिलाना चाहता हूं । इनरवांयट्स को मद्देएनजर रखते हुए ही हमने एक्रू कमेटी मुकर्रर करने का फैसला किया था । यह कमेटी रिजर्वेशन के बारे में भी गौर करेगी, एक्ट में जो कमियां है, उसके बारे में भी गौर करेगी,

बैकवर्ड क्लासिजकी रिजर्वेशन होनी चाहिएं या नहीं होनी चाहिएं उस पर भी गौर करेंगी । एक्ट में जो लूप–होल्ज है, प्रैजेन्ट सैट अप में नई अमैडमेंटस लानी जरूरी है, या नहों, इसके। बारे में भी गौर करेगी । इस बात का माननीय सदस्यों को पहले ही पता था लेकिन मुझे बड़ा अचम्भा है कि क्यों इन बातों को बार–बार रिपीट किया जाए, हाई लाईट किया जाए । सरकार ने उस कमेटी को मुकर्रर करने की तरफ कदम उटा लिया है और बहुत जल्दी, 7 एम.एल.ए और 4 अन्य सदस्यों की कमेटी मुकर्रर होने जा रही है । जहांतक माननीय सदस्यों को, विशेषकर श्री मूल चन्द जैन को शंक। है, जैसा कि उन्होंने कहा कि चुनाव पद्धति का फैसला अभी किया जाए । मैं समझता हूं कि उस कमेटी का इतना वाईड स्कोप है कि वह सब मसलों पर गौर कर सकती है और वह कमेटी इतनी जल्दी फैसला करने वाली नहीं । चुनाव पद्धति का फैसला जल्दी करना या न करना. इन दोनों की मैरिट्स एंड डी–मेरिट्स है । अगर हम खुले इलैक्शन करवाएं तो यही बात नहीं है कि पैसा ज्यादा खर्च होगा, यह भी सम्भावना हो सकती है कि एक ही तरफ से 5 मैंबर इलैक्ट होकर न आ जाएं । कहीं ऐसा न हो कि एक ही गांव के लोग इलैक्ट हो कर आ जाएं । और भी कई मैरिट्स एंड डी–मैरिट्स हैं, लेकिन हमे इस बात का फैसला जल्दी नही करना चाहिए । जो कमेटी बैठाई जा रही है इसके बारे में उसको पूरी पावर्ज दी जा रही हैं, इलैक्शन रूल्ज फ्रेम करने का मौका, यानी हर तरह का मौका दिया जाएगा, उसका बड़ा वाईड स्कोप होगा । जो हमारे सामने समस्या आई है, पिसके कारण हम

एक्ट को इतनी जल्दी लाए हैं, बाकी बातों को टच किए बिना, वह समस्या यह है कि जाए पहली सरकार ने कमेटियां नोमिनेट की थीं, वह आज भी एग्जिस्ट करती कुंए और इन कमेटियों में बड़ी इररैगुलेपिटी पाई जाती है । इस एक्ट के जरिए इन को सुपरसीड करना है ताकि जो इल्लीगलिटी और इररैगुलैरिटी, जो गलत कार्य इन कमेटियों ने किए है, उन से किसी प्रकार लोगों को निजात दिलाई जा सके । कई भाईयों ने रिजर्वेशन के लिए बात कही । डिप्टी स्पीक्रूर साहब, मैं किसी प्रकार का सन्देह भाईयों के मन में नहीं रखना चाहता । माननीय सदस्यों की इस बात पर पूरा गौर किया जाएगा । जब उस कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी, अगर कमेटी अपनी रिपोर्ट में किसी वजह से इस किस्म की सिफारिश नहीं करती, तो सरकार उस पर जरूर गौर करेगी, यह अश्योरैस मैं हाउस को देना चाहता हूं । एक मोटी सी बात चौधरी रिजक राम ने कही कि कमेटी को पावर ज्यादा मिलनी चाहिए वरना इलैक्शन का कोई फायदा नही, कह मुर्दे के मुह में मक्खन लगाने वाली बात है । सरकार के पास नोमिनेशन की बड़ी भारी पावर है, लेकिन यह उस पावर को छोडकर इलैक्शन पद्धति को चालू करना चाहती है । इसके अलावा छोटी मोटी. जो अप्वांयटमैंट्स है, क्लास फोर एम्प्लायज वगैरा की उसे मार्किट कमेटी ही करती है या मार्किटिंग बोर्ड करता है । इसलिए मेरी समझ में यह बात नही आई कि मेरे माननीय सदस्य. को जो बड़े बुजुर्ग है, यह क्यों शंका हो गई कि सरकार अप्वांयटमैंट्स में दखलान्दजी करेगी । इस तरह की मिसएर्प्रहैन्शन माननीय सदस्य के मन से हट जानी

चाहिए, क्योंकि किसी किस्म काप्रैजुंडिस मन में रखकर इस किस्म की कोई बात नहीं की जाएगी । नौकरियों का जहां तक ताल्लुक है, सर्विस में लगाने. का जहां तक सम्बन्ध है, इलैक्टिड मैंबर्ज जो होंगे, वे अपने हिसाब से देश में नौकरीदेने का जो तरीका प्रचलित है, उसके अनुसार नौकरी देंगे । अब भी वैसे उसी हिसाब से नौकरी दी जाती है और आईदा भी दी जाती रहेंगीं, मगर कोई गलत केस यदि ये सरकर के नोटिस में लाएंगे । तो उसमें पूरा ऐक्शन लिया जाएगा, और जो भी कानूनी. कार्यवाही हो सकती होगी, वह की जाएगी ।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बात जो सबसे ज्यादा उठाई गई है वह यह है कि जिस मार्किट कमेटी का रुपया हो, उसे उसी एरिया में खर्च किया जाना चाहिए । यह बहुत बड़ा मसला है । क्या माननीय सदस्य. यह चाहेंगे कि एक मार्किट कमेटी की जो आमदनी होती है, सिर्फ वही रुपया उस मार्किट कमेटी के एरिया में खर्च किया जाए और दूसरा रुपया न दिया जाए? यदि वह रुपया उसकी जरूरतों के हिसाब से इनसफिशिएंट हो, तो क्या किया जाए? इस तरह की कई बातें सोचने की हैं । यह बड़ा गम्भीर मसला हैं । मैं मिसाल के तौर परं अर्ज करूं कि अम्बाला जिले में हमने एम 0आई0टी0सी0 महकमे के द्वारा करोड़ों रुपया खर्च किया है । अब देखना यह है कि क्या मार्किट कमेटी. का रुपया आन राउन्ड डिवैल्पमैंट के लिए काफी होगा? मैं समझता हूं कि नहीं कुए गा । इसलिए जरूरी है कि हर इलाके में उसकी

मुलिकलात के हिसाब से, उसकी ज्योग्रफिकल कंडीशन्ज के लिहाज से और उसकी लोकेशन के हिसाब. से डिवैल्पमैंट की जाए । कई दफा यह भी होता है कि कि हमें किसी इलाके में उसकी जैनुअन डिमाण्ड्ज को पूरा करने के लिए यहं पै सा खर्च करना पड़ता है । कि सी जिले के बारे में मेरे मन में कोई प्रैजुडिस नहीं है । ठाकुर बार सिंह जी ने भिवानी की. बात कही लेनिन मैं उन्हे बताना चाहता हूं किं 99.4 per cent villages are connected with roads. अब अगर करनाल में या जींद में या. सिरसा में यह परसैन्टेज 60 है, तो कुदरती तौर पर सरकार को यह परसैन्टेज बढानी पड़ेगी । अब' आप ही बताए कि. वह पैसा भिवानी में कैसे खर्च हो सकता है? मैं समझता हूं किं ठाकुर साहब. बड़े रीजनेबल आदमी हें और वं इस बात को अवश्य. सोचेंगे । इसी तरह से भिवानी में पब्लिक हैल्थ का जहां तक तात्लुक है, उसकी एग्जैक्ट परसैन्टेज तो मुझे याद नहीं लेकिन most of the villages in Bhiwani have been provided with water supply schemes. तो ऐसी बाते यहां उठाना सही नहीं होता । -- (विध्न) -- डिप्टी स्पीकर साहब, मैं आपके द्वारा हाउस को यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि पैसे के बंटवारे में इलाकें की ज्योग्राफिकल सिचुएशन, लोकेशन और जरूरियात की मद्देनजर रखा जाएगा और कोई प्रैजुडिस किसी इलाके के साथ नहीं बरता जाएगा ।

डिप्टी स्पीकर साहब, चौधरी जगजीत सिंह पोहलू ने कहा कि प्रोडयूसर्ज की नुमाइंदगी बढ़ाई जाए । कई माननीय

सदस्यों ने यहं कही कि यह पैसा देहात में खर्च होना चाहिए । बाबू शिव प्रसाद जी ने फरमाया कि म्युनिसिपल कमेटीज की तरफ यह रुपया डायवर्ट करना चाहिए ताकि शहरों में जो सड़कें टूट चुकी है, वे बन सकें और किसानो के गड्डे आराम से उन पर चल सकें । डिप्टी स्पीकर साहब, यहं जो ऐक्ट है, जब भी यह बना, इसके प्रोएम्बल में, या आब्जैक्ट्स या. रीजज्ज कह लीजिए, यह लिखा था कि यह ग्रोअर्ज के इन्ट्रैस्ट को वाच करने के लिए ऐक्ट बनाया गया है । इस ऐक्ट में और इसके रूल्ज में यहं भी प्रोविजन है कि मार्किट कमेटी का पैसा किन–किन बातों पर खर्च किया जाएगा । देहात की डिवैल्पमैंट के लिए या उस बात की डिवैल्पमैंट के लिए जिससे ग्रोअर्ज को मण्डी तक आने और अपनी फसल को बेचने में आसानी. हो । ये जो प्रोविजन्ज दिए गए हैं, विलेजिज के लिंक रोडज वगैरा के उन्हीं पर यह पैसा खर्च किया जा सकता है । शहरों की म्युनिसिपल कमेटीज– की सड़कों पर यह पैसा किसी हालत में खर्च नही किया जा सकता । इसके लिए न तो ऐक्ट में कोई प्रोबिजन है और न ही यह स्कोप ऐक्ट में बनाया जा सकता है । इसके लिए तो म्युनिसिपल कमेटीज को अपनी आमदनी बढानी पड़ेगी, ताकि वहां की सड़के भी इतनी सुन्दर बन सकें, जिससे जमीदारों के गड्डे उन पर आसानी से टहल सकें । प्रोडयूसर्ज की परसैंटेज बढाने के बारे में जो बात कही गई है उसे कमेटी के सुपुर्द हम करेंगे । वह इस बात को पूरी तरह डिसकस करेगी । अगर किसी तबके की सीटें कम या

ज्यादा करने की रिकोमैन्डेशन वह कमेटी करेगी तो उस पर बिल्कुल गौर किया जाएगा ।

डिप्टी स्पीकर साहब, एक बात मैं खास तौर पर कहना चाहता हूं ताकि माननीय सदस्य– गण की सारी की सारी शंकाएं दूर हो जाएं । इलैक्शन के बारे में अर्ज यह है कि इसके लिए हम एक ऐसा तरीका बनाना चाहते हैं कि इलैक्शन चीपैस्ट पोसबिल हो । हम इस 'किस्म के इलैक्शन रूल्ज फ्रेम करने की कोशिश करेंगे! हम इस किस्म का तरीका बनाने की कोशिश करेंगे कि प्रोड्यूसर या जो भी भाई इलैक्शन लड़े उसको बहुत अधिक पैसा खर्च न करना पड़े ।

डिप्टी स्पीकर साहब, बलदेव तायल जी ने कहा कि मार्किट कमेटी के अफसर 6– 6 साल से या 8– 8 साल से एक ही जगह बैठे हुए है और उन्होंने अपने लिंक बना लिए है । डिप्टी स्पीकर साहब, तीन महीने से यह महकमा मेरे पास है, लेकिन उन्होंने एक दफा भी मेरे सामने आकर या चिट्ठी लिखकर या किसी और तरीके से इत्तलाह नहीं दी कि इस तरह की बात है । अब अगर माननीय सदस्य इस तरह की बात मेरे नोटिस में लाएंगे तो उस पर अवश्य गौर किया जाएगा और इस बात को दोबारा री–एग्जामिन किया जाएगा कि कितने लोग कितने दिनों से कहीं कहां बैठे हुए है ।

श्री बलदेव तायल : डिप्टी स्पीकर साहब, आन एप्वांयट आफ पर्सनल ऐक्सप्ले– नेशन में एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूं। मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं 'कि इनके अपने डिपार्टमैंट में ही. इस तरह की कम्पलेंटस आई पड़ी हैं। इसलिए किसी सदस्य के इनके नोटिस में लाने की आवश्यकता नहीं । अन्यार मन्त्री महोदय अपने डिपार्टमैंट में देखने की कोशिश करेंगे तो मार्कीट कमेटी के सैक्रेटरीज की लिखी हुई बहुत सी शिकायतें इनको मिल जाएंगी ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब., बोलते समय तायल साहब ने जो कही था, वह यह था कि कुछ अफसरान 6– 8 साल से एक जगह बैठे हूए है और उन्होंने व्यापारियों और किसानों से अपने लिंक बना रखे हैं । वहा इस वजह से बेईमानी चलती है और कुरप्शन चलती है । ऐसी कोई कम्प्लेंट जब से मैने यहँ महकमा सम्भाला है, मुझे –––ही मिंत्री है । अगर कोई माननीय सदस्य इस तरह की बात मेरे नोटिस में लाएंगे । तो' उस पर जरूर ऐक्शन लिया जाएगा । डिप्टी स्पीकर साहब, मैं थोड़ा सा यह भी अर्ज करना चाहता हूं कि अफसरान के खिलाफ या किसी औफिशियल केखिलाफ एज– ए क्लास हम ऐलीगेशन लगादेते हैं या कोई ऐ सी बात कह देते हैं जिसका जवाब देने के लिए वे यहां हाजिर नहीं होते । अगर इस तरह की. बातों को हम भावावेश में न आकर थोड़ा सा सीरियसली सोच कर बड़ी संजीदगी के साथ कहे' और इस बारे में कोई चर्चा करें तो अच्छी

बात होगी । अन्त में उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अश्योरैंस हाउस को देना चाहता हूं कि वह जो कमेटी है, जिसको हम नियुक्त करने जा रहे हैं, उसका वाईड स्कोप होगा और 'जितने जल्दी वह रिपोर्ट सबमिट कर देगी उतने जल्दी ही कांस्टीच्युएंसीज को डिलिमिट करके हम आगे की कार्यवाही करेंगे । वैसे एक साल का अरसा हमने मैक्सिमम लिया हए, लेकिन अगर पहले पोसीबल हो सका तो पहले भी इलैक्शन कराएंगे ।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill be taken into consideration at once.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : Now the House will take up the Bill clause by clause.

Clause 2

Mr. Deputy Speaker : I have received notice of an amendment to this clause from the Irrigation and Power Minister. He may plea e move his amendment.

श्री मूल चन्द जैन : जो अमैंडमैंट मिनिस्टर महोदय ने दी है उससे तो कई दिनों पहले मैंने इस अमैंडमेंट को दिया था । मिनिस्टर महोदय से पहले मेरी ओर से अमैंडमेंट आई है । मैंबर का नाम पहले आना चाहिए । उनका बाद में आना चाहिए ।

श्री उपाध्यक्ष : पर्पज तो दोनो का सेम ही था ।

श्री मूल चन्द जैन : इस बारे में अगर मैं क्रैडिट का शब्द इस्तेमाल करुं तो गलत नही होगा । इस अमैंडमेंट का क्रैडिट तो सदस्य को क्यों न दिया जाए । गवर्नमैंट ने गलती की है, और मैंने उस गलती को बताया है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : यह तो क्लैरिकल गलती है ।

श्री मूल चन्द जैन : लेकिन दुसको प्वांयट आउट तो मैंने किया है । मैंने एक हफ्ते पहले अमैंडमेंट दी है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : मैं यह कह देता हूं कि आपकी वजह से ये अमैंडमैट मूव हुई हैं ।

श्री मूल चन्द जैन : डिप्टी स्पीकर साहब क्लाज दो में मेरी और भी अमैंडमैंट्स हैं ।

श्री उपाध्यक्ष : हां, वे भी आ जाएगी ।

Irrigation and Power Minister (Shri Verendar Singh) : I beg to move—

That in the Explanation to the proviso to clause (b) of sub-section (7) of the proposed section 12, for the words, brackets and figure "sub-section (5)", substitute the words, brackets and figure "sub-section (7)".

Mr. Deputy Speaker : Motion moved —

That in the Explanation to the proviso to clause (b) of sub-section (7) of the proposed section 12, for the words,

brackets and figure "sub-secti on (5)', substitute the words, brackets and figure "sub-section (7)".

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That in the Explanation to the proviso to clause (b) of sub-section (7) of the proposed section 12, for the words, brackets and figure "sub-section (5)", substitute the words, brackets and figure "sub-section (7)".

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : I have also received notices of **amendments to** thi clause from Sarvshri Shiv Ram Verma, Swami Aditya Vesh and Mool Chand Jain. All these amendments will be deemed to have been read and moved together. I shall, however, put all these to the vote of the House on the conclusion of the discussion on this clause.

Shri Shiv Ram Verma, M.L.A. In proposed Section 12(i), for thewords "nine or sixteen members" substitute the words "eleven or eighteen members."

Shri Shiv Ram Verma, M.L. A. In proposed Section 12(2)(a), for"nine" substitute "eleven".

Shri Shiv Ram Verma, M.L.A. In proposed Section 12(2)(a)(i) for"five" substitute "seven".

Shri Shiv Ram Verma, M.L.A. In proposed Section 12(2)(b), for "ten" substitute "twelve".

Shri Shiv Ram Verma, M.L.A. In proposed Section 12(2)(c), for"sixteen" substitute "eighteen".

Shri Shiv Ram Verma, M.L.A. In proposed Section 12(2)(c)(i),

for "nine" substitute "eleven".

Shri Shiv Ram Verma, M.L.A. In proposed Section 12(2)(d), line 1, for "seventeen" substitute "nineteen".

Swami Aditya Vesh, M.L.A. In proposed Section 12(1), delete the words "out of whom one may be appointed by the State Govern-

ment from amongst its officials".

Swami Aditya Vesh, M.L.A. In proposed Section 12(2), delete the word "remaining".

Swami Aditya Vesh, M.L.A. In proposed Section 12(2)(a)(i), for"five" substitute "nine",

Swami Aditya Vesh, M.L.A. In proposed Section 12(2)(a), de-
lete the parts (ii) and (iii)

	and consequently the reference of brackets and figure "(i)" be also deleted.
Swami Aditya Vesh, M.L.A.	In proposed Section 12(2)(b), delete "sub-clauses (i), (ii) and (iii) of".
Swami Aditya Vesh, M.L.A.	In proposed Section 12(2)(c)(i), for "nine" substitute "sixteen".
Swami Aditya Vesh, M.L.A.	In proposed Section 12(2)(c), delete the parts (ii) and (iii) and reference of brackets and figure "(i)" be also deleted.
Swami Aditya Vesh, M.L.A.	In proposed Section 12(4), line 6, for the words "three years", substitute the words "five years".
Shri Shiv Ram Verma, M.L.A.	In the proposed proviso to Section 12(1), line 2, for "ten or seventeen" substitute "twelve or nineteen".
Shri Mool Chand Jain, M.L.A.	Delete the proviso to

sub-section (i) of proposed Section 12.

Shri Mool Chand Jain, M.L.A. In proposed Section 12(2), delete the word "remaining".

Shri Mool Chand Jain, M.L.A. In proposed Section 12(2)(a)(i), at the end of part (i) insert "after the Gram Panchayats having been equitably demarcated into five separate constituencies".

Shri Mool Chand Jain, M.L.A. In proposed Section 12(2), delete clause (b).

Shri Mool Chand Jain, M.L.A. In proposed Section 12(2)(c)(i), at the end of part (i), insert "after the Gram Panchayats having been equitably demarcated into nine separate constituencies".

Shri Mool Chand Jain, M.L.A. In proposed Section 12(2), delete clause (d).

Shri Mool Chand Jain , M.L.A. In explanation to proposed Sec- tion 12(7) for "sub-section (5)" substitute "sub-section

(7)" , and the existing explanation be numbered as Explanation 1.

Shri Mool Chand Jain, M.L.A. After existing explanation to proposed Section 12(7), adds— "Explanation II. The demarcation of constituencies will be made by the Collector of the District , concerned. His decision shall be final". .

Shri Mool Chand Jain, M.L.A. In the proposed Section 12(2)(a)(i), at the end of part (i), insert "after the Gram Panchayats having been equitably demarcated into five separate constituencies, one of which shall be reserved for a scheduled caste producer." (Reference.— Substituted for serial No. 19).

Shri Mool Chand Jain, M.L.A. In the proposed Section 12(2)(c)(i), at the end of part (i), insert

"after the Gram Panchayats having been equitably demarcated into nine constituencies, two of which shall be reserved for scheduled castes producers." (Reference.—Substituted for serial No. 21).

श्री मूल चन्द जैन (सम्भालखा) : डिप्टी स्पीकर महोदय क्लाज दो में जो मेरी अमैंडमेट है, उनको आपने जाब्ते के तौर पर अभी मूव हुई मान लिया है । (इस समय सभापतियों की सूचि में से एक सदस्य चौधरी खुरशीद अहमद पदासीन हुए) लेकिन चेयरमैन साहब, क्लाज दो पर जो मैंने अमैंडमेंट्स दी हें, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा करना चाहता हूं ताकि मन्त्री महोदय भी उनको स्वीकार करने के बारे में सोच लें और अगर वे न सोचें, तो हाउस के सदस्य सोच लें, क्या वे अमैंडमेंट स्वीकार करने योग्य हैं या नहीं ।

मेरी पहली अमैंडमेंट क्लाज दो पर 17 नम्बर है । सतरह में मैंने कहा हैं कि प्रौपौज्ड धारा 12 जो है उसकी सब–सैक्शन एक में जो प्रोवाईजो है, उसको डिलिट कर दिया जाए । प्रोवाईजो है

Provided that where in a notified market area there is in existence a Co-operative Society, the Committee shall consist of ten or seventeen members as the case may be.

चेयरमैन साहब, इसमें जो पहली क्लाज है, उसमें मैम्बरों की तादाद 9 या 16 लिखी है और इस प्रोवाइजो द्वारा सरकार चाहती है, हमारी कैबिनट चाहती है कि जहां पर को–आप्रेटिव सोसायटीज हों, वहा पर 9 की बजाय 1 0 और 16 की बजाय 17 मैम्बर हों । तो मैंने इस सम्बन्ध में पहले भी अर्ज किया है और अब भी मैं दोहराना चाहता हूं कि कोआप्रेटिव सोसायटीज को नुमाईदगी देकर बेहद खर्चा बढ़ाने वाली बात है और इस काम में कोआप्रेटिव सोसाईटी को उलझाना है । कोआप्रेटिव सोसाइटी का और मार्किट कमेटी का कोई सम्बन्ध नहीं है । मार्किट सोसाइटी से प्रोडयूऋसर का सम्बन्ध है । मुझे इस बारे में कोई एतराज नहीं है कि जहां प्रोडयूसर के नुमाईदों की तादाद क्लाज दो में जो रखी है, उसको बेशक एक–एक या दो – दो बढ़ा दें । प्रोडयूसर की डायरैक्ट तादाद बड़ा दें लेकिन उसके मुकाबले में प्रोडुयूसर की तादाद तो ज्यों की त्यों रहे और जहां पर गांवों में को आप्रेटिव सोसाइटीज हैं, उन को– आप्रेटिव सोसायटीज के एक नुमाइदे को या कितने को राय का हक देना चाहते हैं । जो वोटर बनेगा, वह सारे क्षेत्र में सौ या पचास कितने होंगे, उन सब को यह अधिकार दे तो इससे बेहद खर्चा बढ़ेगा तो इस खर्चे को बचाने के लिए और देहाती भाईयों को इस परेशानी से बचाने के लिए मैंने यह कहा है । इसलिए इस प्रोवाइजो को इसमें से निकाल दिया जाए । यह पहली अमैंडमेंट है । हां एक बात मैं बाकी अमैंडमेंट्स प्रस्तुत करने से पहले कहना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय ने एक हाई पावर्ड कमेटी मुकरर्र की है और वह कमेटी

उन चीजों पर विचार करेगी जो कि मेरी इस अमैंडमेंट में कवर हो जाएगी । तो मेरी समझ में यह बात नही आयी कि उन्होंने वह कमेटी बनाई है या बनाने जा रहे हैं । अभी पिछले दिनों यह हाउस 15 मार्च को एडजॉर्न हुआ था । एडजार्न हुए 1 5 या बीस दिन के करीब हो चुके है । तो 20 दिन में और उससे पहले कोई पार्टी की मीटिंग हुई, उसमें यह निर्णय हुआ, लेकिन उस निर्णय पर चेयरमैन साहब अभी तक अमल नहीं हुआ । माननीय सदस्य श्री सन्त कंवर जी ने कह दिया कि उस कमेटी की मीटिंग हो चुकी है लेकिन मन्त्री जी ने कहा है कि कमेटी बनाई जा रही है । माननीय सदस्य जो कि बोलने के बड़े इच्छुक है और दूसरों को दखल अन्दाज करते हैं, उन्होंने कह दिया कि एक मीटिंग हो चुकी है । अब पता नही कौन ठीक है, मन्त्री जी ठीक हैं या माननीय सदस्य ठीक हैं । मैं जो बात हाउस के सामने रखना चाहता हूं और सरकार को कहना चाहता हूं वह कुछ मौलिक प्रश्न है । यह बिल जिसकी हम तरमीम करने जा रहे हैं, अगर मौलिक कानून की तरमीम के वक्त उन मौलिक प्रश्नों का हल या समाधान पहले से ही नहीं करते हैं तो इस बिल के लाने की क्या आवश्यकता थी । इसकी आवश्यकता सिर्फ इसलिए थी कि हरियाणा में पचास या चालीस मार्किट कमेटियां है । उन मार्किट कमेटियों में कोई नामजद मार्किट कमेटी गड़बड़ करती हैं और उस गड़बड़ की हुई मार्किट कमेटी के हालात पर हमारी सरकार को कोई अधिकार एक्शन लेने का नहीं है । मैं इस बात से सहमत नही हूं कि कोई मार्किट कमेटी गड़बड़ करे और सरकार को एक्शन लेने का

अधिकार न हो यह बिल्कुल गलत बात है । यह मेरे पास कानून है । इसकी धारा 38 मैं मन्त्री महोदय को पढ़कर सुनाता हूं । इसमें सरकार को अधिकार है । मैं तो यह कहूंगा कि इतना अधिकार नही होना चाहिए था । ईस अधिकार के होते हुए गड़बड़ करने वाली किसी भी मार्किट कमेटी के खिलाफ चाहे,

वह नामजद हो या कैसी ही हो सरकार ऐक्शन ले सकती है । अगर अब भी यह कहते हैं कि अधिकार नहीं है तो मैं इनको क्या कहूं? फिर डाक्टर मगल सैन जी यहां मौजूद नहीं हैं वरना वे कहेंगे कि समझदारी का ठेका मैंने ही लिया हुआ है लेकिन यह धारा है, इसमें अधिकार है कि सरकार ऐक्शन ले सकती है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : मैंने यह नही कहा कि सरकार को ऐक्शन लेने का अधिकार नहीं है ।

श्री मूल चन्द जैन : ठीक है, अगर सरकार को अधिकार है, तो फिर इस बिल को लाने की क्या जरूरत थी?

श्री वीरेन्द्र सिंह : इसको लाने की जरूरत इसलिए थी कि हमेंने इस बिल के आब्जैक्ट्स एंड रीजन्ज में लिखा हु आ है-- (विध्न) --

श्री सभापति : बाबू जी, आप उन्हीं बातों पर बोलें । जिन बातों के दौरे में अमैंडमेंट दी हुई हे ।

श्री मूल चन्द जैन : चेयरमैन साहब, मैंने माननीय सदस्यों को कनविन्स करना है । मेंरी अमैंडमैंट इस स्टेज पर जरूरी है क्योंकि मैं जानता हूं कि अब से पहले मन्त्री महोदय ने मेरी इन अमैंडमैंट्स को फोर स्टाल किया है । और एक हल बताया है कि एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई है, उसमें इस सारी चीज पर विचार हो जाएगा मैं इस बात के सख्त खिलाफ हूं । मैं यह जरूरी समझता हूं कि हाउस के तमाम मैंबरों को, अपने साथी सदस्यों को कन्विंस कराने के लिए, इसी स्टेज पर इसी हाउस में उन बुनियादी प्रश्नों का हल हमें निकालना चाहिए और वह मामला हाई पावर्ड कमेटी के सामने नं जाए । मुझे तौ तजुर्बा है । मन्त्री महोदय ने यहां तक भी कह दिय। कि कानून में भी कोई कमी है तो वह हाई पावर्ड कमेटी उसके बारे में भी विचोर कर लेंगी । 9 महीने हो गए । शायद अब मार्च खत्म हो गया और अप्रैल आ गया है । तो यह बुनियादी प्रश्न जो मार्कीट कमेटियों के मामले में थे, उनको हमें इस तरह से दूर नहीं करने देना चाहिए कि एक हाई पावर्ड' कमेटी ही भी इसको दूर करेगी जोकि अभी बनी भी नहीं है । – (व्यवधान) –जहां तक मैं समझता हूं जो इस अमैंडमेंट बिल के बारे में, मैं कहेंने लगा था, वई इसी मौके पर आना चाहिए । मिसाल के तौर पर उसके खिलाफ एके अमैंडमैंट है । यह अमैंडमैंट नम्बर 18 है । उसमें रीमेनिंग का शब्द तो टैक्नीकली शायद ठीक भी न हो लेकिन अगर मेरी अमैंडमैंट स्वीकार हो गई, तौ जो शब्द का मीनिंग है, वह रिन्डैन्डैटं हो जाएगा, बेकार हो जाएगा । इसलिए मैं यह समझता हूं कि यह जो

19 और 21 अमैंडमैंट है, यह बहुत जरूरी है और इस बिल की बुनियादी प्रोबलम्ज से ताल्लुक रखती है । 19 अमैंडमैंट मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं । पहले जो मैंने अमैंडमैंट दी थी, उसकें अब मैंने जो फाईनल शेप दी है, वह इस प्रकार है

In the proposed section l2(2XaXi), at the end of part (i), insert-

"After the Gram Panchayats having been equitablby demarcated in to to five separe constituencies, one of which shall be reserved for a Seheduled ducers".

तो चेयरमैन साहेब, यह मेरी' अमैंडमैंट है । चेयरमैन साहब, मैं नही जानता कि जब इस हाउस में जनरल डिस्क—शन पहली रीडिंग इस बिल. पर हो रही. थी तो आप यहां पर थे, या नहीं थे, लेकिन मैं मौजूद रहा हूं । मेरे ख्याल में एक दो मैंबर्क को छोड्कर किसी ने भी इस की मुखालफित नहीं की. । मेरा कहने का मतलब यह है कि इस —हाउस का यह सैन्स है कि मार्किट कमेटियों के एरिया को कांस्टीच्युएसियों में बांटा जाए और कहा पर 5 प्रोडयूसर वहां से बनने हैं, वहां पर एक सीट हरिजनों के लिए रिजवर्ड हो । जहां पर 9— 10 बनने है, वहां पर दो सीटे उनके लिए रिजर्व की जाएं । जहां तक रूल्ज का ताल्लुक है, मैं इस बात को बड़े जोर से कहता हूं कि एक्ट में तरमीम किए बिना रिजर्वेशन रूल्ज के अन्दर नही की जा सकती । अगर मन्त्री महोदय यह समझते हैं कि रूल्ज जो बनाएंगे

श्री वीरेन्द्र सिंह : चेयरमैन साहब, टाईम की भी कोई न कोई पाबन्दी होनी चाहिए ।

श्री सभापति : अमैंडमैंट्स तकरीबन सारी ही आपकी डिसकस हो चुकी है । अब आप जल्दी से समाप्त कीजिए ।

चौधरी उदय सिंह दलाल : आन ए प्वांयट आफ आर्डर, सर । मेरी आपसे एक रिक्वैस्ट है । मैं आपकी मार्फत मूल चन्द जी से यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह मार्किट कमेटियों का मामला है, वे बड़े पुराने तजरूबेकार हैं । वह तो किसी और धन्धे में किताबें पढ़ते रहे हैं । आप हमें मौका दो, हम बताएगे । क्या–क्या समस्या है –– (व्यवधान व शोर) –

Mr. Chairman : That does not make a point of order. Please take your seat.

श्री मूल चन्द जैन : चेयरमैन साहब, आप बेशक टाईम मुकर्रर कर दें, लेकिन मैं आपको एक बात का यकीन दिलाता हूं कि जो बातें हाउस में पहली रीडिंग के वक्त हो चुकी हैं, वहं मैं यहां पर नही दोहरा0ंगा । मैं नई बातें ही कहूंगा । मैं यह समझता हूं हर सदस्य को नई बात अगर कोई बिल में कहने योग्य हो, तो वह कहने का अधिकार है । यह एक ऐसा बिल है जिसका असर हरियाणा की एक करोड़ 20 लाख जनता के पर पड़ेगा । पहले भी हाउस इसी जल्दबाजी में एडजर्न हो गया था, लेकिन अब फिर जल्दबाजी क्या है । मैं नही समझता कि क्यों अब भी बो लने नहीं दिया जा रहा । जल्दबाजी की कोई बात नहीं. है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : लेकिन इसका मतलब यह तो नही है कि कोई मैंबर 4 घंटे तक बोलता ही रहे । After all there must be some limit. (Interruptions)

Mr. Chairman : Please take your seats. Let him speak.

चौधरी उदय सिंह दलाल : हमने भी जरूरी बाते कहनी हैं....

चौधरी संत कँवर : इनको ज्यादा स्पीच देने का शौक है तो बउनाव के मौके पर कर लेते वहां पर तो ये हाजिर नहीं हुए ।

एक आवाज : इन्होंने वहां पर टाईम ले लिया और ये यहां पर टाईम ले रहे हैं ।

श्री सभापति : आप सब बैठिए । जैन साहब, आप टाईम इस तरीके से लें कि रेलै– वैन्ट प्वांयट सब ले लें ।

श्री दीप चन्द भाटिया : आन ए प्वांयट आफ आर्डर सर । चेयरमैन साहब, मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि यह मेरे सा थी मूल चन्द जी एक्टिग से बात ज्यादा करसे हैं लेकिन असली बाते कम करते हैं । इसलिए मेरी रिक्वैस्ट है आपकी मारफत इनसे कि अगर ये कोई बात करना चाहते हैं, तो ठीक तरीके से करें, एक्टिग न करे ।

श्री सभापति : बाबू जी, जल्दी समाप्त कीजिए । वरना फिर आपके एक्शन्ज की कापी शुरू हो तो मुश्किल पड़ेगी ।

श्री मूल चन्द जैन : चेयरमैन साहब, मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि सैं किसी चीज को दोहराएंगा नही । अब प्वांयट यह है कि क्या रूल्ज में प्रोविजन क्रिया जा सकता है । मैं यह मानता है किं मन्त्री महोदय एक बड़े अच्छे वकील हैं, काबिल वकील है । मैं तो तुक छोटा–मोटा वकील हूं

श्री लछमन सिंह : चेयरमैन साहब यह मिनिस्टर साहब, की चापलूसी करने लगे हैं, कोई गलत काम न करवा ले । –– (व्यवधान व शोर)

श्री मूल चन्द जैन : मैं यह कह रहा था कि जब हम इस एक्ट में कोई प्रोविजन ही नहीं कर रहे हैं कि हमने हरिजनों को कोई रिजर्वेशन देनी. है, तो रूल्ज में कैसे प्रोवीजन कर सकते हैं । हमें एक्ट में प्रोवीजन करना पड़ेगा । मन्त्री साहब. का यह ख्याल हो कि एक्ट में प्रोवीजन न भी हो तो

श्री सभापति : मूल चन्द्र जी का यह ख्याल नही है । आप अपनी बात कहिए । –– (विध्न)

श्री मूल चन्द जैन : बहुत अच्छी बात है, अगर उनका ऐसा ख्याल नही है । ' उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि ऐक्ट में प्रोवीजन करना पड़ेगा इसलिए मैं आपके जरिए हाउस के तमाम मैंबरान से यह कहूंगा कि यह अमैंडमैंट इसी स्टेज पर

स्वीकार होनी बहुत जरूरी है और होनी चाहिए । इसके अलावा, चेयरमैन साहब., मेरी अमैंडमैंट नम्बर 20 22 और 24 हैं । 23 नम्बर अमैंडमैंट तो खत्महो चुकीं है । जो मेरी अमैंडमैंट नम्बर 24 है, उसका कन्सर्न कोआप्रेटिंव सोसाइटीज. के साथ हैं । अगर कोआप्रेटिव सोसाइटीज. को इनमें नुमाइंदगी दी गई है फिर तो मैं इस अमैंडमैंट को विद्ड्रॉ कर लूंगा । लेकिन मेरा निवेदन यह है कि अगर उनको इसमें नुमाईदगी नहीं दी गयी है तो कह अमेंडमैंट नम्बर 24 जो है, यह बहुत जरूरी है । प्रोडयूसर को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, ऐसा सभी चाहते हैं । अगर उनकी कांस्टीज्युएंसीज 5 अलग अलग हिस्सों में बंटती है, 5 अलग–अलग जोन बनते हैं, तो वह कौन बनाए, उसके लिए मैंने लिखा है––

After existing explanation to propose section 12(7) add—

"Explanation H. The demarcation of constituencies will to made by the Collector of the District concerned. His decision shall to final".

आखिर उसके लिए कोई न कोई तो अथॉरिटी रखनी होगी । इसलिए मैंने हुसमें यह एक्सप्लेनेशन रखी है । यह मैंने इसलिए किया है कि शायद मिनिस्टर साहब के नोटिस में न आई हों । मेरे लायक दोस्त शायद इस बात को जानते नही कि बिल पेश होने के बाद, हाउस में आने के बाद हर किसी की यह जिम्मेवारी. बन जाती है, कि वह उस पर अपने विचार प्रकट करे ।

चौधरी गंगा राम : आन ए प्वांयट आफ आर्डर, मेरे लायक दोस्त को यह नही कहना चाहिए कि मेरे दोस्त शायद इस बात को नहीं जानते हैं वे भी जानते हैं ।

Mr. Chairman : Please take your seat. I don't think he said anything of that kind.

श्री मूल चन्द जैन : चेयरमैन साहब, इसके अलावा जो मैंने अमैंडमैंट नम्बर 25 दी है, अगर मिनिस्टर साहब उसको गौर से देखेगे, तो मेन बिल में जो चीज है, उसको देखते हुए इसे अवश्य स्वीकार कर लेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है ।

इन शब्दों के साथ में अपनी अमैंडमैंट्स म्व करता हूं और आशा करता हूं कि हाउस उन अमैडमैंट्स को स्वीकार करेगा ।

सिंचाई तथा बिजली भवी (श्री वीरेन्द्र सिंह) : चेयरमैन साहब, जहां तक 17 नम्बर अमैंडमैंट का ताल्लुक है और जिसमें कहा गया है कि सोसायटी का नुमाईंदा मार्किट कमेटी में न भेजा जाए, उससे मैं मुत्तफिक नही हूं क्योकि मार्किट कमेटीज में जो सोसाइटीज हैं, वे ऐ सी हैं, जो सेल ऐंड परचेज आफ एगीकलचर प्रोडयूस का काम करती हें और कई बार मण्डियों में, मार्किट कमेटी में, हड़ताल वगैरह की सम्भावना होती है और सोसाइटी. वालों की दुकानें होती हैं जिससे प्रोडयूसर या ग्रोअर को कोई नुक्सान नहीं उठा ना पड़ता और सेल– तथा परचेज का कार्य ये दुकानें करती हैं । (इस समय श्री उपाध्यक्ष पदासीन हुए)

इसलिए यह जरूरी है कि सोसाइटी का नुमाईदा रही अवश्य भेजा जाए । जहां तक माननीय सदस्य. की अगली अमैंडमेंट का ताल्लुक है, उपाध्यक्ष महोदय, कमेटीज अभी तक इसलिए नही बन पायी कि हम लोग आठ दस दिन या कहिए पिछले बीस दिन से इलैक्शन के सिलसिले में बाहर थे । फाईल शायद मेरे आफिस में आ चुकी है, नाम लिखे जा चुके हैं । हम बाहर थे इसलिए दस्तखत नहीं ह ओं पाए । बाबू मूल चन्द को इसको चुनौती नहीं करनी चाहिए । कमेटी को कहा जाएगा कि वह अपनी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी सबमिट करे । मेरे जवाब देने के बाद ऐसी कोई अमैंडमैंट नही रहती, जो within the scope of that committee न हो । इसलिए मैं अपने लायक दोस्त से निवेदन करना चाहता हूं कि वे अपनी अमैंडमेंट्स को वापिस ले लें और मेरा कतई यह ख्याल नहीं है कि जो चीजें एक्ट में इस वक्त नहीं है हम उनको रूल्ज में नहीं रख सकते । जो चीजें रूल्ज में रखने की हैं, वे रूल्ज में रखी जाएंगीं । एक्ट को भी रिव्यू किया जाएगा । इन हालात मे मैं मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि इन अमैंडमैंट्स को वापिस ले लें । कमेटी पूरी तरह से गौर करेगी ।

चौधरी शिव राम वर्मा (नीलोखेडी) : डिप्टी स्पीकर साहब, मैंने भी कुछ संशोधन दिए हैं, वैसे देखा जाए तो संशोधन पढ़े हुए माने गए हैं । चेयरमैन महोदय ने कह दिया था कि उनको पढ़ा हुआ माना जातु । मैंने एक से लेकर सात और सोलह नम्बर ये संशोधन दिए हें । इस प्रकार मेरे आठसंशोधन है ।

प्रस्तावित धारा 12 (1) में ग्यारह या अठारह सदस्य रखे जाएं । दूसरे नम्बर का जो संशोधन है, उसमें मैंने दिया है कि प्रस्तावित धारा 12 (2) (क) में नौ के स्थान पर ग्यारह रखा जाए और नम्बर तीन संशोधन में मैंने दिया है कि प्रस्ताव वित धारा 12 (2) (क) (1) में पांच के स्थान पर सात रखा जाए । इसी तरह जितने भी संशोधन दिए हैं, उन सब में दो–दो बढ़ाने का प्रस्ताव किया है । इस बारे में दो मिनट में मैं अपनी बात कहना चाहूंगा । मैंने संशोधन इसलिए दिए हैंकि जो नौ या दस सदस्यों की मार्किट कमेटी बनती है, उसमें एक को–आप्रेटिव सोसाइटी का नुमाईंदा, एक तोला, दो डीलर और पांच किसान रखे गए हैं । मैं समझता हूं कि डीलर तादाद में थोड़े होते हैं, लेकिन उनके दो नुमाईदे रखे गए हैं । तोले और भी कम होते हैं उनका एक नुमाईदा है, लेकिन किसान अथवा ग्रोअर हजारों की तादाद में होते हैं, उनके सदस्य सिर्फ पांच रखे गए हैं । उनके लिए मैंने ये संशोधन दिए हैं कि वे पांच की बजाय. सात किए जाए । इसी प्रकार जहां बड़ी कमेटीज हैं, 'ए' क्लास कमेटीज हैं, उनमें एक आदमी कोआप्रेटिव सोसायटी का होता है, दो तोला होते हैं चार डीलर्ज होते हैं और नौ किसानों के नुमाईंदे रखे गए है । मैंने इसी अनुपात को देखते हुए कि जब किसानो की तादाद बहुत ज्यादा होती है तो किसानों के नुमाईंदे नौ की बजाए ग्यारह रखे जाएं । दो और नुमाईदे हर कमेटी में बढ़ाने के लिए मैंने प्रस्ताव किया है । मैं समझता हूं कि सारे सदस्य मुझे से सहमत होंगे, क्योंकि किसान, योअर हर इलाके में हजारों की तादाद में होते हैं

जबकि किसानों के नुमाईदे दूसरों की तुलना में कम है । मेरा कहना है कि पांच की कमेटी में सात किए जाए, 17 की कमेटी में नौ ग्रोअर्ज की बजाय ग्यारह ग्रोअर्ज रखे जाएं । डिप्टी स्पीकर साहब, यह मेरा प्रस्ताव है, आशा है मन्त्री महोदय इसको स्वीकार करेंगे और सभी माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, माननीय सदस्य के जो अमैंडमैंट्स हैं, वे सीट्स का नम्बर इनक्रीज करने के लिए हैं । इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन– करना चाहूंगा कि इस समय इन के अमैंडमैंट्स को प्रैस न करे, क्योकि इस तरह की जो बाते है, वे सारी अई सारी रिव्यू की जाएंगी । कमेटी इस सारे एक्ट को देखेगी । उस समय सारी बातों को मद्देनजर रखा जाएगा । अगर माननीय सदस्य इस समय इन अमैंडमैंट्स को न रखे, तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री उपाध्यक्ष : वर्मा जी, क्या आप अपनी अमैंडमैंट्स वापिस ले रहे है?

चौधरी शिव राम वर्मा : अगर मन्त्री महोदय विश्वास दे रहे हैं, तो मैं वापिस ले लेता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : विश्वास तो वे दे रहे हु । चौधरी शिव राम वर्मा डिप्टी स्पीकर साहब, मे अपनी अमैंडमैंटस वापिस ले लेता हूं । –– (व्यवधान) –

श्री मूल चन्द जैन : डिप्टी स्पीकर साहब, आपकी इजजत से मैं 17, 18, 22 और 23 नम्बर अमैंडमैंट्स विद्ड्रॉ करता हूं । बाकी को विद्ड्रॉ नही करता ।

Mr.. Deputy Speaker : Has the hon. Member, Chaudhri Shiv Ram Verma, the leave of the House to withdraw his amendments at Sr. Ncs. 1 to 7 and 16 ?

(Voices : Yes).

The ammendments were, by leave of the House, withdrawn.

Mr. Deputy Speaker : Now I will put the amendments from Swami Aditya Vesh to the vote of the House.

Question is—

In proposed Section 12(1), delete the words "out of whom one may be appointed by the State Government from amongst its officials".

In proposed Section 12(2), delete the word "remaining".

In proposed Section 12(2)(a)(i), for "five" substitute "nine".

In proposed Section 12(2)(a), delete the parts (ii) and (iii) and consequently the reference of brackets and figure "(i)" be also deleted.

In proposed Section 12(2)(b), delete "sub-clauses(i),(ii) and (iii) of".

In proposed Section 12(2)(c)(i), for "nine" substitute "sixteen".

In proposed Section 12(2)(c), delete the parts (ii) and (iii) i) end fercnce brackets and figure "(i)" be also deleted.

In proposed Section 12(4), line 6, for the words three "years", substitute the words "five years".

The motion was lost .

Mr. Deputy Speaker : Now.I will put the amendments by Shri Mool Chand fain to the vote of the House.

Shri Mool Chand Jain : I withdraw my amendments at Sr. Nos. 17 and 18.

Mr. Deputy Speaker : Has the hon. Member, Shri Mool Chand, the leave of the House to withdraw his amendments at Sr. Nos. 17 and 18 ?

(Voices : Yes).

The amendments were, by leave of the House withdrawn.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

In the proposed section 12(2XaXi), at the end of part (i), insert—

"after the Gram Panchayats having been equitably

demarcated into five constituencies, two of which shall be reserved for Scheduled Castes producers."

The motion was lost.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

In proposed section 12(2), delete clause (b).

The motion was lost.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

In the proposed section 12 (2) (c) (i), at the end of part (i), insert—

"after the Gram Panchayats having been equitably demarcated into nine constituencies, two of which shall be reserved for scheduled castes producers."

The motion was lost.

Shri Mool Chand Jain : Sir, **I** withdraw my amendments at Sr. Nos. 22 and 23.

Mr. Deputy Speaker : Has the hon. Member the leave of the House to withdraw his amendments at Sr. Nos. 22 and 23 ?

(**Voices :** Yes).

The amendments were, by leave of the House, withdrawn.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

After existing explanation to promised section 12(7),

add—

"Explanation II. The demarcation of constituencies will be made by the Collector of the District concerned. His decision shall be final".

The motion was lost.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That clause 2, as amended, stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 3

Mr. Deputy Speaker : I have received notice of an amendment to this clause from Shri Mool Chand Jain. He may please move his amendment.

Shri Mool Chand Jain (Sambhalka) : Sir, I beg to move—

In proposed section 14 for "his appointment" , substitute "notification of his election in official Gazette".

डिप्टी स्पीकर साहब, इस बिल केबारे में मेरी यह अमैंडमैंट थी, जिसके बारे मैंने मिनिस्टर साहब से अपील की थी । बिल में लिखा हुआ है–

For section 14 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :-

"14. Term of office of members.—Subject to the provisions of section 11, every member of a Committee, other

than a Committee constituted under sub-section (4) of section 12, shall hold office for a period of three years from the date of his appointment".

चूकि डिप्टी स्पीकर साहब, अब अप्वायंटमैंट तो होगी नहीं, इलैक्शन होगा, इसलिए यह जो अप्वायंटमैंट का शब्द ड्रापट बनाने वालों ने भूल कर जूं का तूं रख दिया. है, उसके स्थान पर मैंने कहा था कि यह शब्द आने चाहिएं.

"from the date of notification of his election in official Gazette".

जब मैंबरों का इलैक्शन होगा, फिर गजट होगा, तो उससे उसकी तीन साल की मियाद समझी जाएगी, इसलिए मैं यह समझता हूं कि मैंबरों की अप्वायंटमैंट नहीं हो रही, मैंबर इलैक्ट होंगे । अगर इलैक्ट होंगे, तो जो उसका गजट होगा, उस गजट की डेट से तीन साल की मियाद समझी जानी चाहिए । इसलिए मैं सुझाव देता हूं कि मिनिस्टर साहब को यह स्वीकार कर लेना चाहिए ।

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

In proposed section 14 for "his appointment", substitute "notification of his election in official Gazette".

श्री वीरेन्द्र सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, When election is going to take place तो यह बात इम्प्लायड है । इसमें जिस दिन से उसकी नोटिफिकेशन होगी, इंटरप्रिटेशन यह है कि तभी से

मानी जाएगी बाकी अगर कोई लीगल बारीकी बाबू जी देखते हैं, तो पता नहीं, मुझे तो कुछ नजर नहीं आता इनकी कोई भी एप्रीहैन्शन इस वर्ड पर नहीं होनी चाहिए ।

I think, this amendment should not be pressed.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

In proposed section 14 for "his appointrhent", substitute "notification of his election in official Gazette".

The motion was lost.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That clause 3 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 4

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That clause 4 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 5

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That clause 5 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 6

Mr. Deputy Speaker : I have received notice of an amendment to clause 6 from Shri Mool Chand Jain. He may please move his amendment.

Shri Mool Chand Jain (Sambhalka) : I beg to move—

Delete sub-clause (b) of clause 6.

डिप्टी स्पीकर साहब, क्लाज 'बी' यह है—

(b) for clause (iii), the following clause shall be substituted, namely:-

"(iii) the election of the Chairman and Vice-Chairman of Committees, their powers and term of office".

तो सैक्शन 43 की सब सैक्शन्ज 2 की क्लाज 3 जो मेन एक्ट में हे, उसकी बजाय हम यह इन्ट्रोडयूस करना चाहते हैं, उसके मायने यह हैं डिप्टी स्पीकर साहब कि

बैठक का समय बढ़ाना

Irrigation & Power Minister (Shri Verendar Singh) : I request that the sitting be extended till the Bill is passed.

(Voices : Yes).

Mr. Deputy Speaker : The sitting is extended with the sense of the House till the Bill is passed.

दि पंजाब एगीकल्चरल प्रोडयूस मार्किटस (हरियाणा अमैंडमैंट)

श्री मूल चन्द जैन : हां उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि इस अमैंडिंग बिल की सब क्लाज 'बी' के माध्यम से धारा 43 की सब सैक्शन 2 की धारा 3 में इसको लाने की कोशिश की गयी है लेकिन धारा 3 और सब क्लाज 'बी' की भाषा में कोई भी अन्तर नहीं है, दोनों र की तूं हैं, इसलिए इसको सबस्टीच्यूट करने की क्या जरूरत है? उपाध्यक्ष महोदय, आप देखें कि कहीं कौमा की भी तबदीली– नही है । धारा 43 की सब सैक्शन 2 की क्लास 3 यह है :——

"the election of the Chairman and Vice-Chairman of Committees, their powers and term of office;"

बिल की क्लाज 6 की सब क्लाज 'बी' जो है कह यह है——

"the election of the Chairman and Vice-Chairman of Committees, their powers and term of office;"

डिप्टी स्पीकर साहब, इन दोनों में कोई अन्तर नहीं है । तो मैंने कुदरती तौर पर यह कहा कि यह नब र की तूं वही चीजें हैं तो आप सबस्टीच्यूट क्या करेंगे, नयी चीज क्या लाएंगे । मिनिस्टर साहब बेशक कम्पेयर कर लें, इसलिए इसके सबस्टीच्यूट करने की कोई जरूरत नहीं है ।

चौधरी रिजक राम : डिप्टी स्पीकर साहब, अभी श्री मूल चन्द जैन जी ने जो अमैंडमैंट्स पेश की हैं और उन्होंने उन में कुछ कानूनी बातें कही हैं, वे ठीक हैं, अच्छी हैं या गलत हैं, सवाल यह नहीं है, बात असल में यह है कि वे अपने को ज्यादा कानूनदान समझते हैं और मिनिस्टर साहब मानते नहीं है

श्री वीरेन्द्र सिंह : मैं तो मानता हूं जी– (हंसी)

चौधरी रिजक राम : इसलिए मैं उनसे प्रार्थना करता हूं कि बात तो कोई है नहीं, यूं ही हाउस का टाईम बरबाद हो रहा है ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, वर्ड एप्वांयटमैंट' की जगह वर्ड 'इलैक्शन' आया है Sub-clause (a) of clause 6, roads—

"(a) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely:—

"(i) the appointment or election and mode of election, as the case may be, of members of the Board and Committees and their removal".

श्री मूल चन्द जैन : जो एप्वांयटमैंट का शब्द है वह तो सब क्लाज ए में है मैं तो सब क्लाज बी की बात कर रहा हूं । नए अमैंडिंग बिल की क्लाज 6 में सब क्लाज 'बी' है ।

श्री लछमन सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, इनको तो फायदा ही है, ज्यादा फीस मिलेगी ।

श्री मूल चन्द जैन : मेरा कर्त्तव्य था और मैंने अपना कर्त्तव्य निभाने की कोशिश की हैं। मैंने यह कहा है कि क्लाज 6 की जो सब क्लाज 'बी' है, उसकी आवश्यकता नही है । मन्त्री महोदय के जो एडवाईजर हैं, यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमैंट के सैक्रेटरी हैं, डिप्टी सैक्रेटरी हैं और हैड आफ दी. डिपार्टमैंट हैं, वे भी कृपा करके एग्जामिन करें और मन्त्री. महोदय को अपनी राये दें । वे अगर इतनी जल्दी न

श्री दिप चन्द भाटिया : डिप्टी– स्पीकर साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है । मेरी यह जिक्र है 'कि हम मानते हैं कि लाला मूल चन्द जैन अच्छे स्पीकर है और अच्छे वकील' भी है । हम यह नही सोचते कि ये अच्छे स्पीकर और अच्छे वकील नहीं हैं, लेकिन बात यह है कि मुफ्त का टाईम क्यों जाया करते हो ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, बात वही निकली जो चौधरी 'रिजक राम जी फरमा रहे थे । वहां पहले कुल स्टाप था और अब सैमी कोलन किया गया दू । इसलिए मैं बाबू जी से कहूंगा कि इसको छोड़ दें ।

Mr. Deputy Speaker : Question is—Delete sub-clause (b) of clause 6.

The motion was lost.

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That clause 6 stand part of the Bill.

The motion was carried.

Clause 1

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That clause I stand part of the Bill.

The motion was carried.

Enacting Formula

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Enacting Formula be the Enacting Formula of the Bill.

The motion was carried.

Title

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Title be the Title of the Bill.

The motion was carried.

Irrigation and Power Minister (Shri Verendar Singh) : Sir, I beg to move—

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill, as amended, be passed.

Mr. Deputy Speaker : Motion moved—

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill, as amended, be passed.

श्री मूल चन्द जैन (सम्भालखा) : डिप्टी स्पीकर साहब, यह इस महत्वपूर्ण है की थर्ड रीडिंग है । मैं समझता हूं कि मन्त्री महोदय ने जो एश्योरैसं इस हाउस में दिलाई है, वह हाउस को पूरा करेंगे ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : . आपने तो वह अश्योरैस नहीं मानी. ।

श्री मूल चन्द जैन : डिप्टी स्पीकर साहब, अगर मन्त्री महोदय यह कहेंगे कि मैंने यह अश्योरैस नही मानी., तो मैं कोई चीज मानूं या न मानू इससेइन द्वारा दी गई अश्योरैंस को कोई फर्क नहीं पड़ता । एक सदस्य अपने कर्त्तव्य के अनुसार काम करता है और एक मन्त्री महोदय. अपने कर्त्तव्य के अनुसार काम करते हैं । तो जो हाई पावर्ड कमेटी बनाई है, उस कमेटी में कौन कौन से सदस्य होंगे, इसके बारे में ये हाउस को बताते, लेकिन मन्त्री महोदय ने उस कमेटी के सदस्यों के नाम को विदहैल्ड किया है ।

Shri Lachhman Singh : On a Point of Order, Mr. Deputy Speaker. Shri Mool Chand Jain is not interested in the election. Kindly ask him to wind up. It is unnecessary waste of the time.

श्री मूल चन्द जैन : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं बहुत सख्त प्रोटैस्ट करता हूं कि कुछ सदस्यों ने इस बात का शेवा बना लिया है कि वे हर बार वेस्टेज आफ टाई म कह देते हैं । यहां पर एक करोड़ बीस लाख आदमियों की बाते कही जाती है । मैं इस बात का सख्त प्रोटैस्ट करता हूं ।

श्री लछमन सिंह : डिप्टी स्पीकर' साहब, इसमें रेलैवेंसी क्या है?

श्री मूल चन्द जैन : मेरा अपना अधिकार है और मैं अपने अधिकार एक्सरसाईज कर रहा हूं ।

चौधरी उदय सिंह दलाल : डिप्टी. स्पीकर साहब, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है । मैं आपसे रिक्वैस्ट करूंगा कि हाउस के दूसरे मैंबर भी इसलिए आए हैं कि वे अपनी प्रॉब्लम बताएं इसलिए आप मेहरबानी करके रोजाना का टाईम मुकर्रर कर दें । ऐसे तो किसी' का बोल–नें के लिए नम्बर ही नहीं आएगा । इसलिए मेहरबानी करके टाईम मुकर्रर कर दें ।

श्री मूल चन्द जैन : डिप्टी स्पीकर साहब, हमारी एक किताब है जिसको रूल्ज आफ बिजनैस कहते हैं उसके अनुसार हर मैंबर बोलने के लिए हाउस में टाईम ले सकता है । उस किताब के चाहे स्पीकर हो, डिप्टी स्पीकर हो या चेयरमैन हो सब पाबन्द हैं ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, ये बिल पर बोलें ।

श्री मूल चन्द जैन : डिप्टी स्पीकर साहब, यह इस वक्त थर्ड रीडिंग चल रही है । इसमें सदस्यों का यह अधिकार है बिय वे गवर्नमैंट को सुझाव दें । मन्त्री महोदय की तरफ से कोई संकेत आया हो और सदस्यों की सहमन्त्री न हो तो सदस्यों का यह अधिकार है कि वे मन्त्री महोदय से कह कि आपने जो बात क्ही है वह मुनासिब नहीं है । उन्होंने हाई पावर्ड कमेटी जिसने इस सारे काम पर विचार करना है उसके सदस्यों के बारे में नहीं बताया किं कौन कौन आदमी उसमें रखें है । इसलिए मैंने यह बात कही कि शायद मन्त्री महोदय मेरी बात का जवाब दे देंगे ।

श्री वीरेन्द्र सिंह : मैंने बता तो दिया कि मेरे पास फाईल नही आई । बार बार एक बात को कहने का क्या फायदा है ।

श्री मूल चन्द जैन : मेरे दिल को इस बात का दुख है कि सरकार चलाने का तरीका क्या है?

वित्त मंत्री (चौधरी सतबीर सिंह मलिक) : आपके बगैर सरकार नही चल सकती । यह ठेकेदारी आप लिए बैठे है । करनाल का इलैक्शन आपके बगैर जीत कर दिखाएंगे ।

श्री मूल चन्द जैन : आप आपे से बाहर क्यों होते हैं ।

Mr. Deputy Speaker : No direct talks please.

श्री मूलचन्द जैन : (वित्त मन्त्री की तरफ इशारा करते हुए) आप क्यों आपे से बाहर होते हैं–– (व्यवधान)–

चौधरी सतवीर सिंह मलिक : फाईनैस भी आपके बगैर नहीं चल सकता (व्यवधान)

श्री शमशेर सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, सारे कानून क्या वजीरों के लिए ही हैं, क्या मैंबरों के लिए भी हैं– (व्यवधान) –

Mr. Deputy Speaker : No direct talks please. He may be allowed to speak.

श्री मूल चन्द जैन : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक बात कह कर बैठ जा0ंगा, और वह यह है कि मार्किट कमेटियों की जो आमदनी है उसको कैसे खर्च किया जाए– (विध्न) –

Shri Verendar Singh : He is again repeating. He has already argued this point. Time should not be wasted in this manner.

श्री मूल चन्द जैन : मैं रिपीट नहीं करूंगा, नई बात कहूंगा– (व्यवधान) –

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज– (व्यवधान) –

चौधरी उदय सिंह दलाल :'. आन ए प्वांयट आफ आर्डर । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या कानून की किताब में ऐसा नहीं है कि मैंबर मन्त्री से दफतर में बात कर ले और अपनी शंका निपटा लें– (व्यवधान) –

Mr. Deputy Speaker : This is no point of order.

श्री मूल चन्द जैन : मैं कहना चाहता हूं कि मार्किट कमेटियों के फण्ड्ज के बारे में मन्त्री महोदय ने कहा है कि कहीं पैसे की ज्यादा जरूरत होती है, कहीं कम होती है । मन्त्री महोदय ने इस हाउस में मेरे एक सवाल के जवाब में यह सूचना दी थी । आदित्यवेश जी ने सड़कों का सवाल किया था कि जब से जनता सरकार पावर में आई है तब से कितनी सड़कें सैक्शन हुई थी और कितनी बनी थी

Shri Verendar Singh : Mr. Deputy Speaker, kindly consult the Rules and check it. Otherwise, there is no end to this discussion. Now he has begun to argue about roads, then he will come to Public Health, to Irrigation, Agriculture and then to Finance. There will be no end like this.

श्री उपाध्यक्ष जैन : साहब, अब आप खत्म करें (व्यवधान)

श्री मूल चन्द जैन : क्या यह तरीका है? मैं एक बात कह रहा हूं, आप मुझे दो मिनट भी नहीं देते (व्यवधान) मैं अपनी बात क्हे बगैर (व्यवधान)

श्री शमशेर सिंह : आन ए प्वांयट आफ आर्डर । मेरी आपसे गुजारिश है कि जब एक मैंबर बोल रहा है तो आप उसको फैसिलिटेट करें और दूसरे इन्ट्रप्ट करने वालों को रोकें । जब 'मिनिस्टर ही पूरी तरह से इन्ट्रप्ट करते हैं, तो मैंबर कैसे बोल सकते हैं । आप हाउस का डैकोरम स्ट्रिक्टली मेनटेन करे ।

Mr. Deputy Speaker : Is it about the rule ?

Shri Shamsher Singh : I want your ruling on a Point of Order.

श्री मूल चन्द जैन : मैं कह रहा था कि इन्होंने खुद आंकड़े दिए हैं और मैं उन आंकड़ों की व्याख्या करना चाहता हूं हिसार में 32 सड़कें (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र सिंह : इसका जवाब मैं सदन के सामने दे चुका हूं । इन्होंने एक काल अटैशन मोशन दिया था और उसका जवाब देदिया था, लेकिनवे काल अटैशन मोशन के जवाब के वक्त यहों नहीं थे ।

श्री मूल चन्द जैन : डिप्टी स्पीकर साहब, ये बीच बीच में क्यों बोल रहे हैं (व्यवधान) इन्होंने हिसार में सड़कें इसलिए दे दीं क्योंकि ये हिसार को पंजाब के साथ मिलाना चाहते है । मैंने आज ही एक सवाल पूछा था जिसके जवाब मे इन्होने कहा था कि जमुना के किनारे जो गांव हैं वहां गांव गांव में सड़कें

पहुंचा दी हैं– (व्यवधान) मेरे पास जवाब है, सरकार का दिया हुआ जवाब है और आज ही मुझे मिला है ।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिल के परही रोशनी डालें ।

श्री मूल चन्द जैन : 69 गांव ऐसे– हैं, जमुना के किनारे जिन में सड़कें ही नहीं हैं...

श्री वीरेन्द्र सिंह : क्या यह बात इस बिल से रैलेवेंट है – (व्यवधान)–

श्री मूल चन्द जैन : जिस इलाके का रुपया है, जिस मार्किट कमेटी का रुपया है, वल उसी डुलाके में खर्च होना चाहिए । न तो बंसी लाल सरकार ने ईस तरीके से खर्च किया और न अब जनता सरकार कर रही है । 1975 से 1977 तक यानी पिछले 30 वर्षों में 99. 4 परसैट सड़के भिवानी में चली गयीं । हमारे इलाके में सड़कों की बडी कमी है इसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता । हिसार और सिरसा में 99 4 परसैन्ट सड़कें बनी हैं । अगर 5 या 10 परसैन्ट का फर्क हो तो बरदाश्त भी विय) जा सक्ता है लेकिन इतना फर्क होना अन्याय है ।

Mr. Deputy Speaker : Question is—

That the Punjab Agricultural Produce Markets (Haryana Amendment) Bill, as amended, be passed.

The motion was carried.

Mr. Deputy Speaker : The House stands adjourned

till 2 p.m. tomorrow, the 4th April, 1978.

14.00 बजे

The Sabha than adjourned* till 2 p.m. on Tuesday, the 4th April, 1978).